हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 2002

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 14 मार्च, 2002

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एंव उत्तर	(7)1
वाक आउट	(7)9
तारांकित प्रश्न एंव उत्तर (पुनरारम्भ)	(7)20
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)30
सरकारी संकल्प –	(7)36
(1) पंजाब के क्षेत्र में एस०वाई०एल० नहर को पूरा करने संबंधी	(7)38
सदस्य का नाम लेना	(7) 41
सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(7)41
(2) हरियाणा राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना संबंधी	(7)43
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	(7) 57

फरीदाबाद नगर निगम के क्षेत्र मे निरन्तर बढती जनसख्यां के कारण जन सुविधाओ की भारी कमी सबंधी	(7)57
वक्तव्य–	(7)58
नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबधी	(7) 58
समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(7)61
(1) लोक लेखा समिति की 51वीं रिपोर्ट	(7)61
(2) अधीनस्थ विधान समिति की 32वीं रिपोर्ट	(7)61
वर्ष 2002 –2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा	(7)61
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	(7)64
श्री मलिक चन्द गम्भीर, एम०एल०ए० द्वारा	(7)64
बैठक का, समय बढ़ाना	(7)82
वर्ष 2002–2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)82
बैठक का समय बढाना	(7)83
वर्ष 2002–2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)84

बैठक का समय बढाना	(7)86
वर्ष 2002–2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)86
बैठक व समय बढाना	(7)88
वर्ष 2002–2003 के लिए बजट सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)88
बैठक का समय बढाना	(7)89
वर्ष 2002–2003 के लिए बजट पर सामन्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7) 89
बैठक का समय बढाना	(7) 90
वर्ष 2002–2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)91

हरियाणा विधान सभा

वीरवार 14 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एव उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान अब सवाल होंगे।

Diet money of School Players

***928. Sh. Anil Vij :** Will the Minister of State for Education be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to increase diet money of the school players ; and

(b) if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ० बहादुर सिंह):

(ए) जी, नहीं

(बी) (ए) के दृष्टिगत प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि स्कूलों के खिलाडियों

को जो डाईट मनी दी सकती है वह अब कितनी दी जाती है और पिछले कितने सालों से इसे बढ़ाया नही गया है ?

चौ० बहादुर सिहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि स्कूलस में जो खेल होते हैं उनके अंदर जोनल लैवल के खेलों के खिलाड़ियों को 8 रुपये प्रति दिन, स्टेट लैवल के खेलों के लिए 25 रुपये प्रति दिन और नैशनल लैवल के खेलो के लिए 40 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिए जाते हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि ये जो 8 रुपये खिलाड़ियों को दिये जा रहे हैं ये पिछले कितने सालों से रिवाईज नहीं हुए हैं। महंगाई बढ रही है, इनडैक्स बढ़ रहा है और डाईट के पैसे पिछले कई सालों से नहीं बढ़ाये गये हैं, एक जगह पर स्थित है। अध्यक्ष महोदय सभी साथी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी सरकार खेलों को बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है और खेलों को बेहतर बनाना चाहती है। सभी इस बात से भी सहमत होंगे कि जिन देशों ने खेलों में तरक्की की है उनका फार्मूला रहा है कि Catch them young यानि बचपन से ही बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित किया जाये। लेकिन 8 रुपये डाईट मिलने पर क्या कोई खिलाड़ी पूरे दिन गुजारा कर सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डाईट मनी कब से नही बढ़ाई गई है और इसे बढ़ाने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है, यदि हां तो कब तक बढ़ाई जायेगी?

चौ० बहादुर सिंहः अध्यक्ष महोदय, बाकी खिलाडियों के बारे में तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद है ऐलान किया था कि जिन खिलाडियों को डाईट मनी 15 रुपये मिलती हैं उसे बढ़ाकर 30 रुपये किया जा रहा है, जिनको 25 रुपये डाईट मनी मिलती है उसे बढ़ाकर 40 रुपये किया जा रहा है। लेकिन स्कूल के जो खिलाडी हैं उनके लिए हम स्पोर्टस फंड इकट्ठा करते हैं, छठी क्लास से आठवीं क्लास तक के बच्चो से 10 रुपये लेते हैं नौंवी क्लास से बारहवी क्लास तक के बच्चों से 15 रुपये लेते हैं और इस फंड मे से ही स्कूल लैवल के खिलाड़ियों पर पैसा खर्च करते हैं। इनसे जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से 70 प्रतिशत पैसा डी०ओ० आफिस मे रहता हैं और 30 प्रतिशत पैसा डायरैक्टर आफिस में आता है। स्कूल लैवल पर हमारा काम ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी यदि बच्चों की कोई डिमांड होगी तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। बाकी जहां तक किराये का सबंध है उस बारे हमने ट्रांसपोर्ट विभाग से टेक–अप किया हुआ है कि जहां दूसरे खिलाडियों को 75 प्रतिशत माफ किराया जाता हैं देख ही स्कूल लैवल के खिलाड़ियों को भी किराये में 75 प्रतिशत छूट देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को किट दी जाती है, पोशाकें भी दी जाती हैं और यात्रा भत्ता अलग से दिया जाता है।

तारांकित प्रश्नु संख्या– 859

(इस समय माननीय सदस्य श्री रमेश राणा सदन में उपस्थित नही थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नही गया।)

Strengthening of Transmission System

***916. Shri Banta Ram Balmiki :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to strengthen the transmission system in the State ; if so, the District-wise details from the year 1999 to date ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राज्य में प्रसार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। 1 जनवरी 1999 से फरवरी 2002 तक 32 नये उपकेन्द्र चालू किए जा चुके हैं 178 चालू उपकेन्द्रो की क्षमता में वृद्धि की जा चुकी है तथा 658 कि० मी० प्रसार लाईनों का निर्माण 263.71 करोड़ रुपए की लागत से किया जा चुका है।

1 जनवरी 1999 से फरवरी 2002 तक नए चालू किए उपकेन्द्रो एवं क्षमता वृद्धि किए गये उपकेन्द्रों का जिला वार विवरण निम्न प्रकार से दिया जाता हैः–

नये उपकेन्द्र

क्र०सं०	जिला		उपकेन्द्र का नाम

1.	पचकूला	1	66 के० वी० उपकेन्द्र, रायपुरानी
2	कैथल	1	132 के० वी० पाई
		2	33 के० वी० चीका
		3	33 के० वी० क्वातरन
3	करनाल	1	33 के० वी० बियाना
4	सोनीपत	1	220 के० वी० सोनीपत
		2	132 के० वी० कुंडली
5	जीन्द	1	33 के०वी सिघाना
6	हिसार	1	132 के० वी० सैक्टर 27/28, हिसार
7	झज्जर	1	33 के० बी० जहाजगढ
8	गुड़गांव	1	66 के० वी० सैक्टर 23, गुड़गांव
		2	66 के० वी० सैक्टर 34, गुड़गांव
		3	66 के० वी० सैक्टर 55/56 गुड़गांव
9	फरीदाबाद	1	220 ०वी० पल्ला

		2	66 के०वी० सैक्टर 46, फरीदाबाद
		3	66 के० वी० एन० एच०, 3 फरीदाबाद
		4	66 के० वी० सैक्टर 31 फरीदाबाद
10	रिवाड़ी	1	132 के० वी० पाली गोथरा
		2	33 के० वी० खुशपुरा
11	मोहिन्द्रगढ	1	33 के० वी० गढ़ी महेसर
		2	33 के० वी० डबलाना
		3	33 के० वी० बवानिया
12	फतेहाबाद		33 के० बी० अजीतनगरागडा
13	भिवानी	1	33 के० वी० मोरवाला
		2	33 के० वी० देवराला
14	सिरसा		33 के० वी० आई० ए० सिरसा
15	कुरुक्षेत्र	1	132 के० बी० मलिकपुर

		2	132 के० वी० पिपली
16	अम्बाला		66 के० वी० बरनाला
17	यमुनानगर		66 के० वी० जठलाना
18	पानीपत		33 के० वी० कोहन्द
			33 के० वी० उपलाना
	क्षमता वृद्धि		
1	अम्बाला		33 के०वी अम्बाला कैंट
2	पंचकूला		132 के० वी० पिजौर
			66 के० वी० सैक्टर–1, पचंकुला
3	यमुनानगर		66 के० वी० मुस्तफाबाद
			66 के० वी० नारायणगढ
			66 के० वी० शहजादपुर
			66 के० वी० यमुनानगर
			33 के० वी० बूढकलां
4	कुरुक्षेत्र	1	220 के० वी० शाहबाद

		2	220 के० वी० पेहवा
		3	132 के० वी० भोर
		4	132 के० वी इस्माइलाबाद
		5	132 के० वी० अमीन
		6	132 के वी० थाना
		7	132 के०वी० मलिकपुर
		8	132 के०वी० पिपली
		9	66 के०वी० लाडवा
		10	66 के० ठी० शाहबाद
		11	33 के० वी० बोदनी
		12	33 के० वी० मथाना/दो बार
		13	33 के० वी० इशाक
		14	33 के० वी० ज्योतिसर
		15	33 के० वी० किरमिच
		16	33 के० वी० बादक

		17	33 के० वी० सुखी
		18	33 के० वी० भागल/दीवाना
		19	33 के० वी० डाबा
		20	33 के० वी० कगथली
		21	33 के० वी० दुराला
		22	33 के० वी० पेहवा
		23	33 के० वी० अजराना
		24	33 के० वी० खानपुरकुलिया
5	कैथल	1	132 के० वी० पुंडरी
		2	132 के० बी० पाई
		3	33 के० वी० चकूलादाना
		4	33 के० वी० चीका
		5	33 के० वी० खेड़ी गुलाम अली
		6	33 के० वी० मस्तगड
		7	33 के० वी० पाडला

		8	33 के० वी० इशाक
		9	33 के० वी० सीवन गेट कैथल
		10	33 के० वी० ढाड.
		11	33 के० वी० टयोथा
6	करनाल	1	220 के० वी० निसिंग/दो बार
		2	132 के० वी० सग्गा
		3	132 के० बी० इंद्री
		4	132 के० बी० घरौंडा
		5	33 के० बी० तरावड़ी
		6	33 के० वी० उपलाना
		7	33 के० वी० मेरठ रोड करनाल
		8	33 के० बी० जम्बा
		9	33 के० वी० रामनगर
		10	33 के० वी० रम्बा/दो बार
		11	33 के० वी० नागला मेघा

		12	33 के० बी० भादसौं
7	पानीपत	1	132 के० वी० समालखा/दो बार
		2	132 के० वी० गोहाना रोड पानीपत
		3	33 के० वी० सनोली रोड पानीपत
		4	33 के० वी० काबडी
		5	33 के० वी० बरसत
		6	33 के० वी० धर्मगढ
		7	33 के० वी० इसराना
		8	33 के० वी० दिकाडला
8	सोनीपत	1	132 के० बी० गन्नौर
		2	33 के० वी० ताजपुर/दो बार
		3	33 के० वी० अटेरना
		4	33 के० वी० लघु सचिवालय/दो बार

		5	33 के० वी० एचएसआईडीसी कुंडली
		6	33 के० वी० कुंडली
		7	33 के० वी० सूर्य स्टील आई० ए० पानीपत
		8	33 के० बी० खरखौदा/दो बार
		9	33 के० वी० वेगा
		10	33 के० बी० भटगांव
		11	33 के० बी० कैलाना
9	जींद	1	220 के० वी० नरवाना
		2	132 के० वी० नरवाना/दो बार
		3	33 के० वी० अलेदा/दो बार
10	हिसार	1	220 के० वी० आई० ए० हिसार
		2	132 के० वी० हांसी
		3	132 के० वी० बीड़
		4	132 के० वी० रानियां

		5	33 के० वी० विद्युत नगर हिसार
		6	33 के० वी० एचटीएम हिसार
		7	33 के० वी० अग्रोहा
		8	33 के० वी० भट्टू/ दो बार
		9	33 के० वी० डिगोह
		10	33 के०वी० मुडाल
		11	33 के० वी० बरवाला
		12	33 के० वी० भाटला
		13	33 के० वी० आर्य नगर
		14	33 के० वी० बहवलपुर
		15	33 के० वी० रैनवाली
11	रोहतक	1	132 के० वी० रोहतक
		2	33 के० वी० भपुनिया
		3	33 के० वी० महम
		4	33 के० वी० जसिया

12	झज्जर	1	33 के० वी० बहादुरगढ़
		2	33 के० वी० बादली
		3	33 के० वी० सूर्य रोशनी
		4	33 के० वी० झज्जर
13	गुडगाव	1	220 के० वी० बादशाहपुर
		2	66 के० वी० फारूखनगर
		3	66 के० वी० बादशाहपुर/दो बार
		4	66 के० बी० सोहना
		5	56 के० वी० मारूति
		6	66 के० बी० सैक्टर 23 गुड़गांव
14	फरीदाबाद	1	220 के० वी० पल्ला
		2	66 के० बी० ए–4 फरीदाबाद/3 बार
		3	66 के० वी० फोर्ड फरीदाबाद
		4	66 के० वी० पलवल

		5	66 के० बी० झारसेतली
		6	66 के० बी० ए–3 पल्ला /तीन बार
		7	66 के० बी० प्रताप स्टील फरीदाबाद
		8	66 के० वी० यूएसए फरीदाबाद
		9	66 के० वी० होडल
		10	33 के० बी० एस्कोर्ट फरीदाबाद
15	रिवाड़ी	1	33 के० वी० झरौदा/दो बार
16	महेन्द्रगढ़	1	220 के० वी० नारनौल
		2	132 के० वी० अटेली
		3	82 के० बी० महेन्द्रगढ़ /दो बार
		4	132 के० वी० कनीनाखास
		5	132 के० बी० नंगल चौधरी
		6	33 के० वी० झारथल/दो बार
		7	33 के० बी० निजामपुर

		8	33 के० बी० मुडियाखेडा
17	फतेहाबाद	1	132 के० वी० रतिया /तीन बार
		2	132 के० वी० फतेहाबाद /दो बार
		3	132 के० वी० टोहाना
		4	33 के० वी० ऐआलकी
		5	33 के० वी० भुतनकलां
		6	33 के० वी० फतेहाबाद
18	भिवानी	1	132 के० बी० दादरी–2
		2	132 फें० वी० झोजूकलां
		3	132 के० वी० बादडा
		4	132 के० वी० डीगावां जटा
		5	33 के० वी० कादमा
		6	33 के० वी० लोहारु/दो बार
		7	33 के० वी० इसरवाल
		8	33 के० वी० आई ए भिवानी

		9	33 के० वी० नाकीपुर/दो बार
		10	33 के० वी० लोहानी
		11	33 के० वी० लाड
		12	33 के० वी० निगाना कनाल
19	सिरसा	1	220 के० वी० सिरसा
		2	132 के० वी० जीवननगर
		3	33 के० वी० कालांवाली
		4	33 के० वी० गंगा
		5	33 के० वी० पंजुआना
		6	33 के० वी० बहुदीन
		7	33 के० वी० पंजुआना
		8	33 के० वी० नाथूसरी
		9	33 के० वी० बेगू
		10	33 के० वी० डीग

इसके अतिरक्त राज्य में प्रसार प्रणाली को सुदृढ करने के लिए 75 नं० नए उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य तथा 55 नं० वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की जा रही है। एशोसियेटिड

ट्रांसमिशन लाईनों के साथ ये कार्य 700 करोड़ रुपए की लागत से अगले दो वर्षों मे पूर्ण किए जायेगे। इन कार्यो की एक जिलानुमसार सूर्या निम्न प्रकार दी जाती है: –

जिला	नए उपकेन्द्र	वृद्धि
1	2	3
अम्बाला	220 के० वी० टेपला	66 के० वी० बरनाला
	66 के० वी० मुलाना	66 के० वी० शहजादपुए
	66 के० वी० दुखेड़ी	66 के० वी० चौरमस्तपुर
	66 के० वी० कालका	220 के० बी० पंचकूला
	66 के० वी० मनसा देवी	66 के० वी० आई० ए० पंचकूला
यमुनानगर	220 के० वी० यमुनानगर	66 के० वी० मुस्तफाबाद
	66 के० वी०	66 के० वी० बसतपुर

	तलाकौर	
	66 के० वी० गुलाबनगर	66 के० वी० गोबिदपुरी
		66 के० वी० रादौर
		66 के० वी० लाडवा
		66 के० बी० नारायणगढ़
		66 के० वी० बिलासपुर
		66 के० वी० चांदपुर
कैथल	220 के० वी० चीका	132 के० वी० कौल
कुरक्षेत्र	132 के० वी० चाकूलदाना	132 के० वी० थाना
	132 के० वी० पाडला	33 के० बी० राजौंद
	132 के० वी० कगथली	
	132 के० वी०	

	भागल	
	33 के० बी० जाखोली	
	33 के० वी० केयरोक	
	66 के० वी० कलसाना	132 के० बी० इस्माइलाबाद
	66 के० बी० दंगाली / यारा	33 के०वी० बाड़ना
	33 के० वी० झांसा	
	33 के० बी० मुरथाली	
	33 के० वी० गुमथला	
	33 के० वी० सैंसा	
करनाल	132 के० वी० जलमाना	132 के० वी० साना
	132 के० वी०	132 के० वी० मधुबन

	नेवल	
	33 के० वी० मंजूर।	132 के० वी० इन्द्री
	33 के० वी० फाड़ा	33 के० वी० कोहांड
	33 के० वी० अहर	33 के० बी० धर्मगढ
	33 के० वी० निगधू	
पानीपत	132 के० वी० मतलोडा	132 के० वी० चंदौली
	132 के० वी० इसराना	
	33 के० बी० अ० आर० पानीपत	
	33 के० वी० ईदबाना	
जींद	220 के० वी० मुरथल	220 के० बी० सोनीपत
	132 के० बी०	132 के० बी० गोहाना

	हरसन कलां	
	132 के० बी० खरखौदा	132 के० वी० कुंडली
	132 के० वी० खेवरा	33 के० वी० सोनीपत
रोहतक	132 के० बी० महम	220 के० बी० रोहतक
	132 के० वी० सांपला	132 के० बी० कलानौर
	132 के० वी० एम०डी०यू० रोहतक	33 के० वी० जसिया
झज्जर		132 के० वी० बहादुरगढ़
		33 के० बी० मछरौली
हिसार	132 के० वी० आर्य नगर	132 के० वी० उकलाना
	33 के० बी० मंगाली	33 के० बी० बेरला
	33 के० बी० उमरा	33 के० वी० भाटला

		33 के० बी० मुंढाल
फतेहाबाद	220 कें० वी० फतेहाबाद	
	132 के० वी० अहरवन	
	33 के० बीस दरियापुर	
	33 के० बी० सढनवास	
भिवानी	132 के० वी० भिवानी	220 के० वी० भिवानी
	132 के– वी० तोशाम	132 के– वी० अटेला
	132 के० बी० लोहारू	
	132 के० बी० बहल	
	33 के० वी० पटौदी	

	33 के० वी० सिटी रेलवे स्टेशन भिवानी	
सिरसा	220 के० बी० रानियां	33 के० बी० शाहपुर बेग्गु
	132 के० वी० माधोसिघाना	33 के० वी० नाथूसारी
	132 के० बी० ऐलनाबाद	
	132 के० बी० करीवाला	
	132 के० वी० ओडान	
	132 के० वी० सिकंदरपुर	
	33 के० वी० केहरवाला	
	33 के० वी०	

	रसूलपुर खेड़ी	
	33 के० वी० खारिया	
महेन्द्रगढ	220 के० वी० महेन्द्रगढ़	220 के०वी० नारनौल
	132 के० वी० सतनाली	33 के० वी० दहिना
	132 के० वी० मुडियाखेर	33 के० वी० बाडदा
रिवाड़ी		132 के० बी० बरौली
गुड़गांव	220 के० बी० चकरपुर	66 के० वी० फारूखनगर
	66 के० वी० भोरांकला	66 के० वी० सोहना
	66 के० बी० 44/45 गुड़गांव	66 के० वी० क्यू ब्लाक गुड़गांव
फरीदाबाद	220 के० वी० पाली	220 के० वी० पलवल
योग	66 के० वी० छैंसा	66 के० वी० धौज

	66 के० वी० हसनपुर	
	66 के० वी० अलावलपुर	
	66 के० बी० पिरथला	
	66 के० बी० पनुहाना	
	75 नं०	55 नं०

श्री बता राम बाल्मिकिः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से समाज के प्रति तडफ रखने वाले दयालु मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पारेषण तंत्र को मजबूत करने के लिए उपकेन्द्रों पर कितना पैसा खर्च किया जायेगा और इससे लाईन लोसिज कितने कम होंगे?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर साहब, मेरे माननीय साथी ने यह जानना चाहा है कि ये जितने उपकेन्द्र बनाये गये हैं और जिनकी क्षमता बढाई गई है उन पर कितना धन खर्च द्या और साथ ही साथ यह भी जानना भी चाहा है कि वहां पर लाईन लौसिज रोकने के बारे में ऐसे क्या स्टैप्स उठाये गए हैं जिससे उनको कम किया जा सके। स्पीकर साहब, 1–1–1999 से फरवरी

2002 तक ऐसे कितने उपकेन्द्र बनाये गये हैं यह एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट है जो पटल पर रख दी गई है। उन पर एक–एक पर कितना कितना धन खर्चा हुआ वह भी बहुत बडी रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बताना चाहूंगा कि 132 के०वी० के 3 उपकेन्द्र बने हैं और ये हैं मलिकपुर, पीपली और पाई। इन तीनो पर 10 करोड़ 27 लाख रुपये खर्च हुए हैं 66 के०वी० के उपकेन्द्र बरनाला, अम्बाला और जतलाना में बने हैं। इन पर 4 करोड़ रछ लाख रुपये खर्च हुए हैं। 33 के०वी० के उपकेन्द्र कौन्धा उकलाना भोरवाला और गदी मौसर में यानि चार बने हैं। डन पर 3 करोड़ 14 लाख रुपये लागत आई है। 220 के०वी० के 2 उप केन्द्रों जिनकी क्षमता बढाई गई है। इन पर 3 करोड 20 लाख रुपया खर्च हुआ है। 132 के०वी० के 11 उपकेन्द्र हैं जिन पर 16 करोड 98 लाख रुपये खर्च हुये हैं। 66 के०वी० के रु उपकेन्द्र हैं जिन पर 3 करोड़ 34 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इनके अलावा 33 के०वी० के 56 और उपकेन्द्र है जिन पर 22.64 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। 75 के०वी० के जो उपकेन्द्र हैं उन पर 46.76 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलाबा 109 किलोमीटर लम्बी लाईन का प्रसार किया गया है जिस पर 8.16 करोड रुपये खर्च हुए हैं। 220 के०वी० के उपकेन्द्र सोनीपत, पल्ला और फरीदाबाद में जो बनाये गए हैं उन पर 20 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च हुआ है। इसी प्रकार से कुण्डली पाली, सोनीपत, रिवाड़ी–सैक्टर 27–28 दीघा फरीदाबाद के उपकेन्द्रों पर रु करोड 32 लाख रुपये खर्च हुए हैं। 66 के०वी० के 7 उपकेन्द्र हैं।

सैक्टर–23ए गुड़गांव, सैक्टर–48 फरीदाबाद, एन०आई०टी० फरीदाबाद, सैक्टर–31 फरीदाबाद, रायपुर रानी सैक्टर 31 गुडगाव, सैक्टर 55/56 गुड़गांव इन पर 19 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसी प्रकार से 33 के०वी० के जो उपकेन्द्र चीका, क्वातरन, बियाना, सिंघाना जहाजगढ़ खुशपुरा गढ़ी महेसर डबलाना, बबानिया अजीतनगर मोरवाला, देवराला सिरसा, कोहन्ड उपलाना आदि है इन पर 7 करोड़ 1 लाख रुपया खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जुलाई 1999 से अब तक तैयार किए गए जिलानुसार नए उपकेन्द्र इस प्रकार हैं। जिला भिवानी, 33 के०वी० उपकेन्द्र, देवराला, इस पर 7० लाख रुपये खर्च हुए हैं और इसके चालू होने की तिथि 30–7–99 है। जिला फरीदाबाद में 220 के०वी० उपकेन्द्र पल्ला पर 700 लाख रुपये खर्च हुए हैँ और यह 3–2–2000 को चालू हुआ है। 66 के०वी० उपकेन्द्र सैक्टर, 46 फरीदाबाद पर 322 लाख रुपये खर्च हुए हैं और इसके चालू होने की तिथि 28–4–2001 है। 66 के०वी० उपकेन्द्र एन० एच० –3, फरीदाबाद पर 416 लाख रुपये खर्च हुए और इसके चालू होने की तिथि 30–6–2001 है। 66 के०वी० उपकेन्द्र सैक्टर 31 फरीदाबाद पर 225 करोड़ रुपये खर्च हुए और इसके चालू होने की तिथि 31–10–2001 है। इसी प्रकार से फतेहाबाद जिले में 66 के०वी० उपकेन्द्र अजीतनगर पर 100 लाख रुपये खर्च हुए हैं और यह 8–10–2001 को चालू हुआ। गुडगांव जिले में 66 के०वी० उपकेन्द्र, सैक्टर 28/ए गुड़गांव पर 150 लाख रुपये खर्च हुए है और इसके चालू होने की तिथि 24–9–1999 है। 66 के०वी०

उपकेन्द्र सैक्टर–स्प पर 328 लाख रुपये खर्चे हुए हैं और इसक चालू होने को तिथि 25–12–2001 हैं। इसी प्रकार से 66 के०वी० उपकेन्द्र, सैक्टर 55/56 पर 333 लाख रुपये खर्च हुए और इसके चालू होने की तिथि 28–2–2002 है। जिला हिसार में 132 के०वी० उपकेन्द्र, सैक्टर 27/28 हिसार पर 215 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसके चालू होने की तिथि 27–8–2001 है। जिला झज्जर में 33 के०वी० उपकेन्द्र, जहाजगढ पर 43 लाख रुपये खर्च हुए हैं और इसके चालू होने की तिथि 19–1–2001 है। स्पीकर सर जिला जीन्द में 33 के०वी० उपकेन्द्र सिंघाना मे 30 लाख रुपये खर्चे हुए और 5–1–2000 को यह चालू हो गया। 33 के०वी० उपकेन्द्र चीका पर 48 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 31–7–1999 को यह चालू हो गया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 33 के०वी० का उपकेन्द्र क्यातरन पर 60 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और यह 23–3–2001 कौ कमीशन हो गया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से जिला करनाल में 33 के०वी० उपकेन्द्र. वियाना पर एक करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं और यह 20–7–2001 को कमीशन हो गया है। रिवाड़ी जिला में 33 के०वी० का उपकेन्द्र, पाली–गोथरा में बना है जिस पर एक करोड़ सात लाख रुपये खर्च हुए हैं और 22–12–2000 को यह कमीशन हो गया है। इसी प्रकार से 33 के०वी० का उपकेन्द्र. खुशपुरा पर 80 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और यह 30–9–2001 को कमीशन हो गया है। जिला सिरसा मे 33 के०वी० का उपकेन्द्र आई०ए०, सिरसा पर 50 लाख रुपया खर्च हुआ हैं और 27–5–2000 को यह चालू हो गया है। जिला

सोनीपत में 220 के०वी० उपकेन्द्र पर 13 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च हुए हैं और यह 1–9–1999 को चालू हो गया है, यह कमीशन हो गया है। इसी प्रकार से 132 के०वी० का उपकेन्द्र, कुण्डली पर 2 करोड 56 लाख रुपये खर्च हुआ है और 30–5–2000 को यह कमीशन हो गया है। स्पीकर सर जिला महेन्द्रगढ़ में 33 के०वी० का उपकेन्द्र, बवानिया पर 60 लाख रुपये खर्च हुए हैं और यह 8–2–2002 को कमीशन हो गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र डबलाना पर 60 लाख रुपये खर्च हुए हैं और यह 9–2–2002 को कमीशन है। गया है। जिला पंचकूला में 66 के०वी० का उपकेन्द्र रायपुर रानी में है जिस पर 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 30–11–2001 को यह चालू हो गया हुँ। जिला अम्बाला में 33 के०वी० का उपकेन्द्र, अम्बाला कैंट पर 24 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 4–6–2000 को यह कमीशन हो गया है। जिला भिवानी में 132 के०वी० का उपकेन्द्र, दादरी–2 पर 40 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 3–8 –2000 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। 132 के०वी० के उपकेन्द्र झोझूकला पर एक करोड़ बाईस लाख रुपये खर्च हुये हैं और 25–5–2000 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 132 के०वी० उपकेन्द्र, बादरा पर 40 लाख रुपये खर्चे हुए हैं और 22–10–2001 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र. कादमा जिस पर 25 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 15–10–1999 को यह कमीशन हो गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र, लोहारु पर 3० लाख रुपये खर्च हुए हैं और 28–1–1999 को यह कमीशन हो

गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र ईसरवाल पर 74 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 8–1–2001 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 33 के०वी० का उपकेन्द्र आई०ए०, भिवानी जिस पर छ लाख रुपये खर्च हुए हैं और यह 6–1–2001 को कमीशन हो गया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 33 के०वी० का उपकेन्द्र, लोहारु जिस पर 26 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 27–4–2001 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। स्पीकर सर. इसी प्रकार से जिला फरीदाबाद में 220 के०वी० के उपकेन्द्र, पाला पर 5 करोड रुपये खर्च हुए हैं और 17–3–2001 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। 66 के०वी० का उपकेन्द्र, ए–4, फरीदाबाद पर 62 लाख रुपये खर्च हुए। इसी प्रकार 66 66 के०वी० उपकेन्द्र फरीदाबाद में 30 लाख रुपये खर्च हुए और 24–3–2000 को कमीशन हो गया। 66 के०वी० उपकेन्द्र, फोर्ड, फरीदाबाद पर 40 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 31–3–2000 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र, पलवल है जिस पर 50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और 11–5–2000 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 66 के०वी० उपकेन्द्र, झारसेथली का जिस पर 50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और इस केन्द्र ने 8–6–2000 को काम करना शुरु कर दिया है। 66 के०वी० उपकेन्द्र, ए–3 पाला पर 56 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और 24–8–2000 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। 66 के०वी० का उपकेन्द्र प्रताप स्टील फरीदाबाद का है जिस पर 15 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और

23—10—2000 को यह कमीशन हो गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र. ए—4 फरीदाबाद का है जिस पर 25 लाख का खर्च आया है और 10—12—2000 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 66 के०वी० उपकेन्द्र, यू०एस०ए०, फरीदाबाद पर 20 लाख रुपये खर्च किया गया है और 27—2—2001 को इसने बनाम दपरना शुरु कर दिया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र, एस्कोर्ट का है जिस पर 25 लाख रुपये खर्च आए हैं और 30—11—1999 को इसने काम करना शुरु कर दिया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से जिला फतेहाबाद में 132 के०वी० का उपकेन्द्र, रतिया का है जिस पर 43 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और 31—7—1999 को कमीशन हो गया है। 132 के०वी० का उपकेन्द्र रतिया पर 33 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 9—6—2000 को यह कमीशन हो गया है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 132 के०वी० उपकेन्द्र, रतिया पर 7० लाख रुपये की लागत आई है और 15—5—2000 को यह चालू हो गया है। (विघन) अध्यक्ष महोदय. हमने बहुत ज्यादा काम किया है। 132 के०वी० उपकेन्द्र, फतेहाबाद में 1 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से बनवाया है और यह 23—5—2000 में कमीशन हो गया है। 132 के०वी० का उपकेन्द्र टोहाना में 1 करोड 48 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 294—2001 मे कमीशन हो गया है। 66 के०वी० का उपकेन्द्र, बादशाहपुर में 25 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 7— 7—2000 में कमीशन हो गया है। 66 के०वी० का उपकेन्द्र, फारूखनगर में न लाख की लागत से बनबाया है और

यह 29–1–2000 में कमीशन हो गया है। 66 के०वी० का उपकेन्द्र, बादशाहपुर में 5० लाख की लागत से बनवाया गया है जरि यह 20–5–2000 में कमीशन हो गया है। 66 के०वी० का उपकेन्द्र, सोहाना 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 14–11–2000 में कमीशन हो गया है। 66 के०वी० का उपकेन्द्र मारूति 60 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 9–4–2000 में कमीशन हो गया है। 66 के०वी० का उपकेन्द्र सैक्टर 23, गुड़गाव मे 98 लाख की लागत मैं बनवाया गया है और यह 19 –4–2001 में कमीशन हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिला हिसार में 220 के०वी० का उपकेन्द्र. आई०ए० हिसार में है जिसे 3 करोड़ 22 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 22 –9 –2000 में कमीशन हो गया है। चौधरी भजन लाल जी आपको यह पता होना चाहिए। 132 के०वी० का उपकेन्द्र, हांसी 1 करोड़ 18 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 29 –12 –99 में कमीशन हो गया है। (शोर एवं व्यवधान) 132 के०वी० का उपकेन्द्र विद्युत नगर हिसार मे 34 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 29 –5 –2000 को कमीशन हो गया है। 132 के०वी० का उपकेन्द्र, एच०टी०एम० हिसार जो कि उै लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 24 –2 –2001 में कमीशन हो गया है। 132 के०वी० का उपकेन्द्र अग्रोहा जो कि 24 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 1 –6 –2001 में कमीशन हो गया है 132 के०वी० का उपकेन्द्र भट्टू 15 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 23 –7 –2001 में कमीशन हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से 132 के०वी० का उपकेन्द्र, बहादुरगढ़ 94 लाख की लागत से बनवाया है और यह 22 –1–2000 में कमीशन हो गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र. बादली 30 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 3 –11 –1999 में कमीशन हो गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र सूर्य रोशनी 26 लाख की लागत से बनवाया है और यह 26 –6 –2001 मे कमीशन हो गया हैं। 33 के०वी० का उपकेन्द्र झज्जर 59 लाख की लागत से बनवाया है और यह 10 –7 –2001 में कमीशन हो गया है। (शोर एव व्यवधान)

चौ० जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय. यह प्रश्न काल दै और ये स्पीच दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ये स्पीच न दें।

श्री अध्यक्षः आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी आप अपनी सीट पर बैठ जाए। कैप्टन साहब, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाए। (शोर एव व्यवधान) मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं। आप इस तरह से न बोले, आप अपनी सीटो पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) यह जवाब उनके लिए है जो आप जैसे कम पड़े लिखे हैं इसलिए आप बैठकर इसको सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाशः ....

कैप्टन अजय सिंह यादवः ....

श्री अध्यक्षः ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नही किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) अनीता जी आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, इस जवाब में हरियाणा प्रदेश की सरकार की प्रगति और जनता के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अन्य ये यहां पर ऐसी बात कर रहे हैं। इनके लिए मुझे याद आ रहा है

'क्यों झलक आए आंसू तेरी आखों में नादान,

अभी तो छेडी है दास्तान जिन्दगी की।'

मेरे मित्रो और साथियो मैंने तो अभी शुरु किया है और यह हरियाणा प्रदेश की प्रगति का मामला है। (शोर एवं व्यवधान) आपके मानने से क्या होता है। सदन के एक माननीय साथी ने सवाल पूछा है मैं उनकी तसल्ली करवा रहा हूं। (शोर एवे व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिला जींद है यहा पर भी 220 के०वी० का उपकेन्द्र, नरवाना 1 करोड 9 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 13–3–2000 में कमीशन हो गया है। 132 के०वी० का उपकेन्द्र नरवाना 71 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 17–1–2002 में कमीशन हो गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र, अलेवा 25 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 3–11–1999 में कमीशन हो गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र.

अलेवा 35 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 8–8–2001 में कमीशन हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिला कैथल में 33 के०वी० का उपकेन्द्र चकुलदुाना 22 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 28–7–1999 में कमीशन है। गया है। 33 के०वी० का उपकेन्द्र चीका 27 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 17–8–1999 में कमीशन हो गया हैं। 33 के०वी० का उपकेन्द्र खेड़ी गुलाम 31 लाख की लागत से बनवाया गया है और यह 7–3–2000 मो कमीशन हो गया है। इसी प्रकार से 33 के०वी० का उपकेन्द्र मस्तगढ में बनाया गया इस पर 30 लाख रुपये खर्च हुए हैं और यह 7–8–2000 को कमीशन हुआ। 33 के०वी० का उपकेन्द्र, पाडला में बनाया गया इस पर 31 लाख रुपये खर्च हुए हैं और यह 10–1–2001 को कमशीन हुआ। 33 के०वी० का उपकेन्द्र, ईशाक में बनाया गया इस पर 59 लाख रुपये खर्च हुए और यह 20–7–2001 को कमीशन हुआ, 220 के०वी० का उपकेन्द्र निसिंग में बनाया गया इस पर 261 करोड़ रुपया खर्च द्या और यह 24–10–2001 को कमीशन हुआ, 132 के०वी० का उपकेन्द्र, सना में बनाया गया इस पर 226 करोड रुपये खर्च हुआ और 27–7–2000 को कमीशन हुआ, 132 के०वी० का उपकेन्द्र, इन्द्री में बनाया गया इस पर 43 लाख रुपये खर्च हुए और यह 11–5–2001 को कमीशन हुआ 132 के०वी० का उपकेन्द्र मेरठ रोड, करनाल में बनाया गया इस पर 40 लाख रुपया खर्च त्वा और यह 20–5–2000 को कमीशन हुआ, 132 के०वी० का उपकेन्द्र, परावडी में बनाया गया इस पर तीस लाख रुपया खर्चे

हुआ यह 15–7–2000 को कमीशन हुआ, 33 के०वी० उपकेन्द्र, जम्बा में बनाया गया, इस पर तीस लाख रुपया खर्च हुआ और यह 19–8–2000 को कमीशन हुआ, 33 के०वी० का उपकेन्द्र, उपलाना में बनाया गया इस पर चालीस लाख रुपया खर्च हुआ और यह 24–1–2001 को कमीशन हुआ। इसी प्रकार से जिला कुरुक्षेत्र में 220 के०वी० का उपकेन्द्र शाहबाद मे बनाया गया इस पर 120 करोड़ रुपया खर्च द्या और यह 30–8–1999 को कमीशन स्पा, 132 के०वी० का उपकेन्द्र, भोर में बनाया गया इस पर 1.27 करोड़ रुपया खर्च हुआ और यह 29–7–1999 को कमीशन हुआ, 132 के०वी० का उपकेन्द्र, इस्माइलाबाद में बनाया गया इस पर 1. 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ और यह 29–3–2000 को कमीशन हुआ, 132 के०वी० का उपकेन्द्र, अमीन में बनाया गया इस पर 176 करोड रुपया खर्च हुआ और यह 8–12–2000 को कमीशन हुआ, 132 र्क०वी० का उपकेन्द्र, थाना में बनाया गया इस पर 20 लाख रुपया खर्च त्वा और यह 25–6–2001 को कमीशन हुआ। (विघन) अध्यक्ष महोदय, ये कहें कि हम सरकार की कारगुजारी से संतुष्ट हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नही है आप बैठिए। भजनलाल जी जो भी बोलें वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय ....

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि बिजली के मामले में सरकार ने क्या किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भजनलाल जी, आप बैठें। आप तो विपक्ष के नेता हैं इसलिए आपको तो पता होना चाहिए कि हाउस मे किस समय पर खडे होकर बोलना है।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मैं यह तारीख इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्यों की तरफ से कहा गया कि इनकी कमीशन की तारीख भी बतायी जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी, प्रकार से 66 के०वी० का उपकेन्द्र, लाडवा में बनाया गया इस पर 60 लाख रुपया खर्च हुआ और यह 27—7—1999 में कमीशन हुआ 66 के०वी० का उपकेन्द्र, शाहबाद में बनाया गया इस पर मत लाख रुपया खर्च हुआ और यह 13—8—1999 में कमीशन दुआ हम के०वी० का उपकेन्द्र, वोदनी में बनाया गया इस पर 22 लाख रुपया खर्च हुआ ओर यह 30—7 —1999 मे कमीशन हुआ, 33 के०वी० का उपकेन्द्र, मथाना में बनाया गया इस पर बीस लाख रुपया खर्च हुआ और यह 7—1—2000 में कमीशन हुआ, 33 के०वी० का उपकेन्द्र, ईशाक में बनाया गया इस पर तीस लाख रुपया खर्च हुआ और यह 30—3—2000 को कमीशन हुआ, 33 के०वी० का उपकेन्द्र ज्योतिसर में बनाया गया इस पर 38 लाख

रुपया खर्च हुआ और यह 15–5–2000 को कमीशन हुआ. 33 के०वी० का उपकेन्द्र, किरमिच में बनाया गया इस पर तीस लाख रुपया खर्च हुआ और यह 18–5–2000 को कमीशन हुआ, 33 के०वी० का उपकेन्द्र, बोदनी में बनाया गया इस पर 29 लाख रुपया खर्च हुआ और यह 6–10–2000 मे कमीशन हुआ, 33के०वी० का उपकेन्द्र, सुखी में बनाया गया इस पर तीस लाख रुपया खर्च हुआ और यह 9–1–2001 को कमीशन हुआ। इसी प्रकार से जिला महेन्द्रगढ़ मे 220 के०वी० का उपकेन्द्र' नारनौल में बनाया गया इस पर साठ लाख रुपया खर्च हुआ और यह 14 –10–1999 को कमीशन हुआ 132 के०वी० का उपकेन्द्र. अटेली में बनाया गया डस पर साठ लाख रुपया खर्रा हुक और यह 18 –5–2000 को कमीशन हुआ 132 के०वी० का उपकेन्द्र, कनीनाखास में बनाया गया इस पर 25 लाख रुपया खर्च हुआ और 31–8–2001 कै। कमीशन हुआ, 132 के०वी० का उपकेन्द्र, नंगल चौधरी में बनाया गया इस पर 1.30 करोड़ रुपया खर्च हुआ और यह 13–11–2001 को कमीशन हुआ, 33 के०वी० का उपकेन्द्र, जारथल में बनाया गया इस पर तीस लाख रुपया खर्च हुआ और यह 2–11–1999 में कमीशन हुआ। इसी प्रकार से जिला पंचकुला में 132 के०वी० का उपकेन्द्र, सैक्टर 1 पंचकूला में बनाया गया इस पर 80 लाख रुपया खर्च हुआ और यह 9–11–2000 को कमीशन हुआ। इस प्रकार से पानीपत जिला में 132 के०वी० का उपकेन्द्र, समालखा मे बनाया गया इस पर 1.80 लाख रुपया खर्च हुआ और 4–7 –2000 को इसने काम करना शुरु कर दिया। इसी तरह से समालखा में ही

132 के०वी० का उपकेन्द्र 1 करोड 76 लाख रुपये में लगा और इसने 13–1–2002 को काम करना शुरु कर दिया। (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से गोहाना में 132 के०वी० का उपकेन्द्र 1 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से लगा और उसने 9–6–2001 को कामु करना शुरु कर दिया। (शोर एव व्यावधान) अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न देन पार्ट का जवाब दिया है कि कितना–कितना पैसा लगा था?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय. ....

श्री अध्यक्षः श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्षः इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय. अभी तो मैंने आधा जवाब ही दिया है। पॉवर सैक्टर के बारे में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि डी० एफ० आई० डी० की चिट्ठी आई है उन्होंने लिखा है – "I am pleased to note the very significant achievements by the Government of Haryana in restructuring the State's power sector, with the help of DFID's Technical Assistance programme." यह प्रशंसा पत्र है यह तुम्हें कभी नही मिला। यह हरियाणा प्रदेश की सरकार को मिला है। यह हमारी बहुत बड़ी अचीवमैंट है। मैंने कहा है कि हरियाणा मे नये

सब–स्टेशन और ट्रांसमीशन लाइन नयी खडी करने से लाईन सोर्सिज जो ' वर्तमान सरकार के समय के थे ये मैंने नही कहा है, यह विद्युत नियमन आयोग ने कहा है कि पिछली सरकारों के समय में 47.71 प्रतिशत लाइन लौसिज रहे और यह टैरिफ ऑर्डर में बताया गया है इसको घटाने के लिए चालू वित्त वर्ष में 40.76 प्रतिशत कर दिया गया और आगे भी टारगेट रखा गया। हर वर्ष 2 प्रतिशत लाइन लौसिज कम करने की योजना बनाई गई। इतने सब –स्टेशन और इतनी ऑगमैटेशन हुस बात की द्योतक है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार कितनी कसने है। स्पीकर साहब, 11 के०वी० के फीडर को बायफरकेट करके इनको नयी लाइनों से जोड़ कर लाइन लौसिज कम करने के प्रयास किए गए। अच्छी कंपनी के मीटर लगाकर दस लाख उपभोक्ताओा के संस्थान की चौकिंग की गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, लाइन लौसिज अलग अलग बताए जा सकते थे।

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

वाक–आउट

श्री राम किशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, ' हाउस मैं लैंथी जवाब देकर हाउस का समय खराब किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, हाउस मे लैंथी जवाब दिए जाने के विरोध मे मै सदन से वाक–आउट करता हूं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के एक सदस्य श्री राम किशन फौजी सदन से वाक आउट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षा मे 10 लाख उपभोक्ताओं के संस्थानों की चौकिंग की गई और 85 हजार बिजली चोरी के केसिज पकड़े गए और 63 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया और 30 करोड़ रुपये की वसूली की गई। चोरी करने वालों पर जुर्माना करके लाइन लौसिज कम करने का कदम उठाया गया। इसी तरह से ऐच्छिक तौर से लोड बढाने को स्कीम के तहत किसानों को व्यापारियों को यह छूट दी गई कि वे अपनी मर्जी ले लोड बढ़वा सकते हैं जिसकी वजह से जो 285 मैगावाट गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे वे रैगुलराइज किए गए। इसी तरीके से टयूबवैल कनेक्शन देने का काम किया गया। पिछली बार भी अधयक्ष महोदय मैंने हाउस में बताया था कि इन दोनों के सात साल के रिजाइम में मिलाकर 14582 कनैक्शन टयूबवैल के दिए गए और हमारे वक्त में काफ दो साल की अक्षीय में 16000 टयूबवैल के कनैक्शन दिए गए हैं इससे फालतू उपलब्धि और क्या होगी?

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, सरकार को मैं इस बात की बधाई देना चाहूगा कि जनवरी 1999 से फरवरी 2002 तक 32 नये उपकेन्द्र चालू किये जा चुके हैं और 178 चालू उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा चुकी है तथा 658 कि०मी० प्रसार लाइनों का निर्माण 263.71 करोड़ रुपये की लागत से किया जा चुका है। मंत्री महोदय ने अगले दो वर्षो के बारे मे ला जवाब दिया है उसमे 75 नये उपकेन्द्रों का निर्माण किया जाना है। इसमें फरीदाबाद जिले में छायसा हसनपुर और मायना में तो उपकेन्द्र बनाने का काम चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि औरंगाबाद में भी एक उपकेन्द्र बनाने का काम प्रस्तावित था उसके बारे मे सरकार द्वारा क्या विचार किया जा रहा है।

10.00 बजे

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न से हटकर स्पैस्फिक प्रश्न किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा। कि ये हैज बारे में अलग से नोटिस दे दें उसके बारे मे इनको जानकारी दे दी जायगी।

श्री रामफल कुण्डुः स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि सफीदों में 132 के०वी० तलौडा खेड़ी में 66 के०वी० और हाट में 33 के०वी० के

सब स्टेशन को अपग्रेड करने का काम विचाराधीन था वह काम कब तक शुरु हो जागेगा।

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, अपग्रेडेशन के कार्य को करने का एक साल का टारगेट होता है। इसके अलावा क्षमता बढ़ाने के लिए जहां ओवरलोडिंग ज्यादा है वहां पर उन ट्रांसफार्मज की क्षमता बढ़ाकर उन उपकेन्द्रों को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। अगर उनमें माननीय सदस्य ने जिन जगहों के नाम लिये हैं अगर वे भी होंगे तो उनको भी अपग्रेड कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पुर चर्चा करते हुए भी मैंने सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी कि पिछले दो सालों में बिजली के कार्य में बड़ा भारी सुधार हुआ है। गांव–गांव में नये सब–स्टेशंज लगाये जा रहे हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है ट्रासमिशन की लाइनों का आगुमैंटेशन किया जा रहा है उन लाइनों को स्ट्रैंग्थन किया जा रहा है परन्तु स्टाफ की कमी के कारण इस काम में और दिलाई आ रही है। वहा पर 8 –8 ए०एल०एम०, 6 –6 एल०एम० और 4 –4जे०ई०, छः –छः पदों के अगेसट काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इस काम को करने में बडी भारी दिक्कत महसूस हो रही है। मैं आदरणीय माजरा साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे स्टाफ की इस कमी को पूरा

करेंगे जिसकी वजह से सरकार ने जनता को 24 घण्टे बिजली देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूरा किया जा सके।

श्री रामपाल माजराः स्पीकर सर सरकार ने रैशनेलाइजेशन स्कीम को सभी विभागों में लागू किया है। उस स्कीम को हम भी लागू कर रहे हैं उसी को मीट आऊट करने के लिए हमने बिल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गांवों में चौकीदार की डयूटी लगाई है। गांवों में बिल कलैक्शन करने के लिए मोबाइल बैनज लगाई हुई हैं। इसी प्रकार बिलों को चौक करने के लिए गावों में आला अफसर जाते हैं। इसी प्रकार से जहां भी कर्मचारी ज्यादा बैठे होंगे उनको दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया जायेगा। इस बारे में और सलाह मशवरे की जरूरत पडी तो हम माननीय सदस्य की सलाह भी जरूर ले लेगें, वैसे इस बारे में डिटेल्ड रिप्लाई पिछले सदन में दिया था।

श्री रामबीर सिंहः स्पीकर सर. चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय ने जो लिस्ट पढ़ी है उसके दस नम्बर पेज पर गुड़गाव के भौडाकला मे 66 के०वी० का सब स्टेशन लगाने का निर्णय पिछली सरकार के समय लिया गया था लेकिन एक टावर का झगड़ा होने के कारण जिस जमीदार की जमीन थी वह कोर्ट मे चला गया था और यह काम शुरु नहीं हो सका था। अब हमने उस जमींदार को मना लिया है और वह अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर काम कब तक शुरु हो जायेगा, ट्रांसफार्मर रखा द्या था।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है मेरे साथी ने बताया कि वहां कोर्ट का डिस्पयूट है और सब –जुडिश मैटर था उसको इन्होंने निपटा दिया और सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जो सारे कामो की लिस्ट मैंने सदन. के पटल पर रखी है यह सारे काम फ महीनों में पूरे कर दिए जाएंगें। जहां तक मेरे माननीय साथी का विशेष प्रश्न है क्योंकि मामला कोर्ट मे था इसलिए यह मामला कोर्ट से सुलटते ही तुरन्त इस पर काम शुरु कर देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या– 1058

(इस समय माननीय सदस्य श्री भाग सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नही गया।)

Distribution of Loan by Central Cooperative Banks

***990. Sh. Bhagi Ram : Will the Minister for** Cooperation be pleased to state the yearwise total amount of loan disbursed by the Cenral Cooperative Banks in the State during the period from 1996 to date ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना) 1996 से अब तक राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैकों ने वर्ष –वार निम्नलिखित कुल ऋण वितरित किएय –

(राशि करोड रुपयों में)

क्रम संख्या	वर्ष	कुल वितरित ऋण
1.	1995-96	1406.11
2.	1996-97	1717.59
3.	1997-98	1801.81
4.	1998-99	2166.62
5.	1999-2000	2694.35
6.	2000-2001	3078.28
7.	2001-2002	2824.55
	(जनवरी 2002 तक)	(31–3 –2002 तक) 3350 करोड़ अनुमानित)

जो 1995 –96 से 2002 तक 150 प्रतिशत अधिक है।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं इसमें कोई शक नहीं है। इन्होने मेरे सवाल का पूरा जवाब दे दिया है लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से जो प्रश्न सहकारिता मंत्री महोदय से है मैं चाहता हूं कि उसका जवाब मुख्यमंत्री महोदय दें। प्रश्न यह है कि इस समय जमींदरो की हालत बड़ी नाजुक है उनके पास कोई पैसा नहीं है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है और सारा हाउस इससे सहमत होगा कि जिन किसानों ने मकान के

लिए कोई लोन ले रखा है या कोई और छोटा–मोटा लोन ले रखा है और बैंक उनसे रिकवरी कर रहा है उस रिकवरी को एक महीने के लिए रोक दिया जाए क्योंकि एक महीने बाद किसान की गेंहू की फसल कटकर उसके घर आ जाएगी. उस समय वह किसान बैंक का कर्जा आसानी से दे पाएगा। इसलिए मेरा मुख्यमत्री महोदय से अनुरोध है कि जहां यह रिकवरी चालू है उसको एक महीने के लिए रोक दिया जाए और इस रिकवरी के लिए किसानो पर ज्यादा जोर न दिया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हरियाणा में जहां कपास की फसल खराब हो गई है वहां यह रिकवरी रोक दी गई है इसलिए माननीय साथी के सुझाव को मानते हुए हम 15 मई तक के लिए यह रिकवरी रोक देगे।

श्री रमेश कुमार खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनका कोई आकलन हुआ है और यदि आकलन हुआ है तो हरियाणा की क्या स्थिति है। दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो फसली ऋण हैं उन पर सरकार की ब्याज की दर क्या–2 हैं?

श्री करतार सिंह भडाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि फसली ऋण पर दो तरह के सूद हैं एक तो प्र परसैंट और दूसरा 15 परसैंट।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कोओपरेटिव सोसाइटीज के मैंबर्ज हैं, वे बैंक के शेयर होल्डर्ज भी हैं। उनको 50 हजार से ऊपर जो लोन दिया जाता है उसके ऊपर रैवेन्यू विभाग ने डेढ़ प्रतिशत स्टैंप डयूटी लगा दी है। यह क्यों कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब यह कोआपरेटिव से रिलेटिड प्रश्न नही है आप रिलेटिड प्रश्न पूछें।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह रैवेन्यू विभाग से जुडा त्वा प्रश्न है इस बारे में ये अलग से लिखकर दे दे इनको जवाब दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप जो पूछ रहे हैं वह रिलेटिड प्रश्न नहीं है। आप लोन के बारे में पूछ सकते हैं, रिकवरी के बारे में पूछ सकते हैं कि अब कितना लोन दिया गया है और कितनी रिकवरी हुई है।

तारांकित प्रश्न संख्या–982

(इस समय माननीय सदस्य श्री सूरजमल सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नही गया)

Construction of Grain Market

***974. Shri Bhagwan Sahai Rawat: Will** the Minister

for Agriculture be pleased to state the number of new Grain Markets, if any, constructed by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the State during the last two years ?

कृषि मन्त्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू): हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दो वर्षो के दौरान एक नई अनाज मण्डी, दो विस्तार अनाज मण्डी और एक गुड मण्डी का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा दो नई सब्जी मण्डियों का निर्माण तथा 45 खरीद केन्द्रों का विकास/विस्तार कार्य किया गया हे।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि दो वर्ष के दौरान एक नई अनाज मण्डी. दो विस्तार अनाज मण्डी, गुड़ मण्डी, दो नई सब्जी मण्डी तथा 45 खरीद केन्द्रों का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हथीन में जो सब यार्ड 1972 से 1978 के मध्य बना था क्या उसका भी विस्तार करने बारे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हा तो इस बारे क्या प्रयास किए गये हैं और यह कब तक इम्पलीमैंट होगा?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की मंशा है कि किसी भी किसान को अपने यहां से 6 से 8 किलोमीटर से अधिक दूर अपनी फसल बेचने न जाना पड़े। इसी प्रोग्राम के तहत हथीन जो पलवल मार्किट कमेटी का सब यार्ड है

उसको हमने स्वतंत्र मार्किट बनाने बारे जनवरी, 2002 में कमेटी को अधिसूचना जारी की है उसकी रिपोर्ट आने के बाद, इसको स्वतंत्र मण्डी के रूप में बना दिया जायेगा।

श्री रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि किसान अपनी फसल अपने गांव से रु से 8 कि०मी० की दूरी से अधिक दूर न बेचने जाये लेकिन मेरे बादूडा हल्के के नजदीक दादरी की अनाज मण्डी पड़ती है जो कि वहां से 40 कि०मी० दूर है और कादमा से 50 कि०मी० दूर है और इससे पहले कोई खरीद केन्द्र भी नहीं हैं क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि बाढूडा के किसानों की समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए वहां कोई खरीद केन्द्र बनाने बारे सरकार योजना बना रही है?

सरदार जसविन्द्र सिह संधूः अध्यक्ष महोदय सारे हरियाणा भर में 105 मुख्य मण्डियां 189 उप यार्ड लगभग 158 खरीद केन्द्र हैं कुल मिलाकर 442 खरीद सैंटर हैं। जहां तक मेरे माननीय साथी कह रहे हैं कि इनके यहा किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए 40 –50 कि०मी० दूर जाना पड़ता हे यह बात मुझे ठीक नहीं लगती लेकिन ये इस बारे में मुझे अलग से नोटिस दे दें, इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री मलिक चंद गंभीरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यमुनानगर के अंदर जो पहले एग्रीकल्चर मण्डी है वह काफी तंग है वहां पहले से ही

40 –50 दुकानें सैंक्शन हो चुकी हैं, उनको कब चालू किया जायेगा ' जबकि कमेटी ने इन दुकानो को बनाकर हैंड ओवर कर दिया है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहूगा कि सरकार की मंशा लोगों की मूलभूत जरुरते पूरी करना हैं ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें। जहां सरकार उनका एक एक दाना खरीदेगी वही उनको ज्यादा दिक्कत ओर कठिनाई न आये उसके लिए आज पूरे देश के स्तर पर सबसे ज्यादा सुविधाएं हमारे यहां हैं. सबसे ज्यादा परचेज सैंटर और वे भी कम दूरी पर हमारे यहां हैं। उसके बावजूद भी यदि कही परचेज सैंटर की प्रपोजल होगी और नार्म्ज भी पूरे नहीं होंगे तो नार्म्ज में छूट देकर जो किसान के हित में होगा हम करेंगे और परचेज केन्द्र बनायेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या– 1033

(इस समय माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Alarming Population

***1028. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to control the alarming population in the State ; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम० एल० रंगा): इस संबध मे विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत

विवरण

जी हां, राज्य में जनसंख्या नियंत्रण करने बारे की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

परिवार कल्याण सेवाएं निम्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैंः—

— पुरुष एवं महिलाओं के लिये बन्धीकरण सुविधा।

— महिलाओं के लिये आई०यू०डी० (कॉपर—टी) सुविधा।

— निरोध का मुफ्त वितरण।

— गर्भ निरोधक गोलियों का मुफा वितरण।

— लोगों को छोटा परिवार अपनाने बारे प्रेरित करने की सेवाएं प्रदान करना।

— बिना चीरा टांका पुरुष नसबंदी—वर्तमान में बिना चीरा, बिना टांका तथा बिना दर्द के पुरुष नसबंदी के लिये राज्य में नया तरीका अपनाया गया है। इसके तहत राज्य में 49 डॉक्टरों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है तथा इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं औंर परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य जनसंख्या आयोगः

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को दिशा देने तथा अन्य विभागों से तालमेल बढाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 12–7–2000 को राज्य जनसंख्या आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा हैं।

डैमोग्राफिक सूचकांक

विभिन्न प्रकार के डैमोग्राफिक सूचकाक जो कि एन०एफ०एच०एस०–11 सर्वे (हरियाणा/ भारत) पर आधारित हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जिससे स्पष्ट है कि राज्य में जनसंख्या में स्थिरता आ रही हे।

जन्म दरः

राज्य में जन्म दर जोकि 1991 में 33.1 थी वर्ष 1999 में घटकर 23.। रह गई (एन० एफ० एच० एस० –11 सर्वे (1999) जबकि इसी समय के दौरान राष्ट्रीय दर 295 से घटकर 264 ही आई है।

कुल प्रजनन दरः

राज्य की कुल प्रजनन दर जोकि 891 में 40 थी वर्ष 1999 (एन० एफ० एच० एस०–11 सर्वे) में घटकर 288 हो गई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 3.2 है।

कप्पल प्रोटेक्शन रेट

वर्ष 1992 में यह दर 55.9 थी जबकि वर्ष 1999 (एन० एफ० एच० एस० – 11 सर्वे) अनुसार यह दर बढ़कर 824 प्रतिशत हो गई जबकि राष्ट्रीय दर काफी समय से 44.0 प्रतिशत है

गुणवत्ता सूचक

वर्ष 2000 –2001 के आकड़ों के अनुसार 2 या इससे कम बच्चों वाले बंधीकरण स्वीकारको की सख्या 22.85 प्रतिशत (1990 –91) से बढ़कर 34.75 प्रतिशत (2000 –2001) हो गई है तथा आई० यू० डी० स्वीकारको की इसी यूप की संख्या 51.07 से बढ़कर 66.12 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार परिवार कल्याण के विभिन्न तरीके अपनाने वाले स्वीकारको की उन दम्पतियों की संख्या जिनके तीन या इससे अधिक बच्चे हैं, में भी तुलानात्मक कमी आई है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अब कम बच्चों वाले अधिक दम्पति परिवार कल्याण के तरीके अपना रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिक से अधिक बल सेवाओं की गुणवत्ता की ओर दिया जा रहा है। **डॉ० एम० एल० रंगाः** अध्यक्ष महोदय मैं सम्मानित सदस्य को बधाई देना चाहूंगा और इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज का जो प्रश्न पूछा है वह राष्ट्रीय चिन्तन के बारे पूछा है। इस विषय में विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी हुई है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय ने मेरे इस प्रश्न से संबंधित जानकारी सदन को उपलव्य करवाई है। इस जानकारी में इन्होंने जो रिप्लाई दी है उससे पता लगता है कि हमारे यहां पर बर्थ रेट भी कम हुआ है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आज सारे देश में यह चर्चा बनी हुई है और लोग बधाई दे रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने आज के दिन बहुत अच्छी नीतिया चलाई हुई हैं। हमारे लिए यह फख्र की बात है कि हमारी इन अच्छी नीतियों को दूसरी स्टेट के लोग कॉपी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से आग्रह करूगा कि आज जो बढ़ती हुई जनसंख्या है यानि जो अलार्मिंग सिचुएशन है वह एक बडी भारी चुनौती है, इस पर हमें गहन विचार करना होगा। यह देश के सामने नम्बर एक की प्रौबल्म है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जो यह रिप्लाई दिया है यह सफीशिएंट नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि जहां जनसंख्या कम हुई वहां पर हमें देखना होगा कि– –

श्री अध्यक्षः राजेन्द्र सिंह जी, आप क्वैश्चन पूछें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय. मैं प्रश्न ही पूछ रहा हू। इस सम्बन्ध में आपको तो बडी भारी जानकारी होगी क्योंकि आपने तो दूसरे देशों का भ्रमण किया है। चाईना जैसा जो देश है, आज वह वर्ल्ड की सबसे बड़ी फोर्स है। चाईना को अमेरिका के बराबर शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। उनके चिन्तन और मनन के पीछे सबसे ज्यादा उनकी जो पापुलेशन थी उस पर

उन्होंने कन्ट्रोल किया इसके लिए उनको बधाई जाती है। इस संबध में मैं भी यह आग्रह करूगा कि हरियाणा में भी ऐसी पोलिसी बनाई जाये, जिसके एक बच्चा होगा, दो बच्चे होंगे या आगे नहीं होंगे उनको नौकरियां दी जाती और उनको नौकरियों में प्रमोशन दी जायेगी। जब तक हम ऐसा कोई कदम इस दिशा मे नहीं उठायेंगे तब तक बात नही बन सकेगी। यह ठीक है कि आज हास्पिटल हैं, वहां दवाईयां रख दी हैं वहां पर सामान रख दिया है। ऐसा सामान तो और जगहों पर भी है, इस बारे में तो कोई शक नहीं हैं परन्तु वहां पर डाक्टर्ज नही है। हमें इसमें ठोस नीति व ठोस कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, बर्थ रेट कम हुआ है लेकिन समाज का जो गरीब वर्ग है उसमें आज भी 4 –4 और 5 –5 बच्चे हैं। इतने अधिक बच्चे होने पर उल्टे गरीबी मल्टीप्लाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय इसको सारगर्भित बनाने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जो महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाते हैं, इसमें आपको सभी लोगों के सुझाव ले करके एक पापुलेशन नीति बनानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमारी दूसरी नीतिया बनी हुई हैं उसी प्रकार से पापुलेशन को कन्ट्रोल करने के लिए भी नीति बनायी जानी चाहिए। कृपया इस बारे में मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

डा० एम० एल० रंगा: अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए

हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां यह राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन का विषय है वहीं हरियाणा सरकार भी इस विषय मे पूरी तरह से जागरूक है। हरियाणा सरकार ने विशेष योजना–परियोजना के तहत परिवार नियोजन यानि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कदम उठाये हैं। इसमें सबसे पहले परिवार कल्याण विभाग आता है। इस परिवार कल्याण विभाग के तहत 6 –10 योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत पुरुषों और महिलाओं का बन्धीकरण निरोध का बांटना और गर्भनिरोधक गोलियां आदि देना है। हम मातृ–शिशु कल्याण के लिए भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है हम उसकी तरफ विशेष ध्यान देते हैं। प्रसव के दौरान और प्रसव काल के बाद उसके स्वास्थ्य की सही निगरानी रखी जाती है। प्राचीन काल में लोगों की ऐसी धारणा थी कि 8 –10 बच्चे हों। प्राचीन काल में बीमारी की वजह से अधिकतर बच्चे मर जाते थे और 2 –4 ही बचते थे। हम इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि समाज में जो आने वाला बच्चा हो वह स्वस्थ हो ताकि जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सके। इसी प्रकार से जो जच्चा है उसको बच्चा पैदा होने से पहले भी दवाई देते हैं, चाहे वह आयरन की गोलियां हों, चाहे स्वास्थ्य वर्द्धक की हों यानि हम पूरा ध्यान रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पंचायती राज चुनावों में प्रतिबन्ध लगाकर देश में हरियाणा राज्य पहला प्रान्त हैं जिसमें पर्चो के चुनाव में, सरपंचों के चुनावों में. जिला परिषदों के चुनावो में.

ब्लाक समितियों के चुनाव में, नगरपालिका के चुनावों में या नगर परिषद के चुनावों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर 2 बच्चों से ज्यादा पर प्रतिबन्ध लगा द्या है। (विघन) दूसरे जो हमारे हरियाणा सरकार के अन्य विभाग हैं उन सभी विभागों की मन्दा। है कि जनसंख्या नियन्त्रण में सहयोग दिया जाए। मैं बता देना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जो हैं वे बहुत ही काबिल हैं (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) आज' साक्षरता का रेट बढ़ा है। हमारी शिक्षा प्रणाली की वजह से शिक्षितों की संख्या 68.05 परसैंट गई है। जब हमारा नागरिक पढ़ा लिखा होगा वास्तव में तब हमारा जनसंख्या नियन्त्रण होगा और जनसंख्या नियन्त्रण के तहत हमारा बर्थ रेट प्रति हजार 23 पर आ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी शिक्षा का ही प्रभाव है। इसी प्रकार से हमारा श्रम विभाग है। श्रम विभाग वैसे तो नौकरियां देने का काम करता है। (विघन) कृपा कर के जी प्रश्न किया गया है उसका जवाब सुन लें उसके बाद आप दूसरी सप्लीमैंट्री पूछें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्मानित साथी के प्रश्न का उत्तर पूरा कर लू उसके बाद ये अपना अनपूरक प्रश्न पूछें। (विघन) इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां मृत्यु दर में कमीं आई है वहीं बर्थ रेट में भी कमी आई है। आर० सी० एस० के तहत जहां भारत सरकार ने स्कीमें चलाई हुई हैं, हरियाणा देश भर में पहला प्रान्त है जिसने सबसे ज्यादा फायदा आर० सी० एस० का उठाया हे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नही हमारा हरियाणा देश भर में पहला राज्य है जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। दस लाख रुपये का नकद इनाम

कुष्ट उन्यूलन करने पर मिला है वह भी हरियाणा स्टेट को ही मिला है। इसी प्रकार से चाहे प्लस पोलियो अभियान हो या ऐडज नियन्त्रण का प्रोग्राम हो अन्धता निवारण का प्रोग्राम हो हर काम की मन्शा, हर स्वास्थ्य प्रोग्राम की मन्शा यही है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले और जनसंख्या को नियन्त्रण मे रखा जाए। इस काम के लिए सभी विभाग काम कर रहे हैं चाहे वह कोई भी विभाग है। अगर हम दम्पति का रेट देखें तो आज दम्पति का ऐज रेट में इतना इजाफा हो गया कि 30 वर्ष तक हमारा युवा शादी नही करना चाहते जिससे दम्पति ऐज में वृद्धि हुई है। 52 परसैंट ऐसे युवा हैं जो 30 साल तक बच्चा पैदा नही करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय. यह सारी बात रिकार्ड की बात है क्योंकि सदन मे बात चल रही है मैं यह बताना चाहता हूं कि यह केवल हमारी ही नही भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, यह राष्ट्रीय चिन्तन की समस्या है इसके प्रति सभी जागरूक हो और अपना सहयोग दें। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के हमारे तीन ऐसे सम्मानित साथी हैं जो ब्रह्मचारी हैं और इस काम में बढ़ावा दे रहे हैं और जनसंख्या नियन्त्रण में पूरा सहयोग दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीयमुख्य मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं चाईना में एडॉप्टिड बर्थ कण्ट्रोल सिस्टम वर्ल्ड में बैस्ट सिस्टम मूव द्या है इसलिए मेरा यह कहना है कि

एक्सपर्टस की कोई टीम चाईना में भेजी जाए जो वह। पर पूरी स्टडी करके आए। उस टीम की रिपोर्ट रखी जाए और उसको लागू किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या वे चाईना में कोई स्टडी टीम भेजने बारे विचार करेंगे?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य का प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक है और वैसे भी इनकी राय ठीक है। कम बच्चे पैदा करने के लिए कुछ इन्सैंटिव भी जरूरी है न कि मौजूदा सिस्टम –को ही दृष्टिगत रखा जाए। इन्होंने बताया है कि चाईना में इस किस्म की कुछ व्यवस्था है. अगर वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था है तो हम उसकी जानकारी करेंगे और यदि ऐसा कोई मौका आया और कोई टीम चाईना भेजी गई तो राजेन्द्र सिंह बिसला जी को भी साथ भेजेंगे।

श्री बलवन्त सिंह मायना: डिप्टी स्पीकर सर, मैं समझता हूं कि जनसंख्या नियन्त्रण एक गम्भीर मसला है लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय से लिंग पहचान के लिए अन्ट्रासाउंड के बारे मे जानना चाहता हूं क्योंकि, यह बहुत चिंता का विषय है। आज प्राईवेट अन्ट्रासाउंड जो किये जाते हैं उससे क्या होता है कि समाज में आज लोग लडकियां पैदा नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण भ्रूण हत्याएं होती हैं और लडकियों की जन्म दर घट रही है। यह एक गम्भीर सामाजिक बुराई है। उपाध्यक्ष महोदय मैं

आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने 'के लिए क्या अन्ट्रासांउड के द्वारा भ्रूण लिंग पहचान पर कोई पाबन्दी लगाई गई है अगर पाबन्दी लगाई गईहै तो क्या इसके तहत किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

डॉ० एम० एल० रंगाः उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो भारत सरकार ने कई साल पहले अल्ट्रासाउंड मशीनें रजिस्टर्ड करने के आदेश दिए हुए हैं। लेकिन हरियाणा ही ऐसा पहला प्रान्त है जहां पर 3 केस फरीदाबाद मे और एक केस गुडगांव में रजिस्टर्ड किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आ हत्या करने वाले डाक्टरों के अगेन्सट केस रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाएगा बल्कि उनको सजा भी दिलवाई जायेगी हमारी कार्यवाही को देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि जैसी कार्यवाही हरियाणा सरकार ने आ हत्या करने वालों के अगेन्सट की है अगर वैसी ही कार्यवाही हर प्रान्त आ हत्या करने वालो के अगेन्सट करे तो देश में भ्रूण हत्या बद हो जाएगी। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

प्रो० राम भगतः अध्यक्ष महोदय. यह जो सवाल हमारे सामने आज सदन में आया है यह राष्ट्रीय हित का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो जनसंख्या के बारे में धारणा काम कर रही है वह यह है कि लड़की और लड़कियों में समानता नहीं मानी जाती है। उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरैंस किया जाता है। अगर

किसी के घर में लड़की होती है तो उसके मां बाप अपने बुढ़ापे की सुरक्षा को लेकर चिन्तित होते हैं कि हमारा बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। (शोर एव व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इनकी तो शादी ही नहीं हुई है तो इनको बच्चों के बारे मे क्या पता है इसलिए इनको यह सवाल पूछने का कोई हक नही है। (शोर एव व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, राम भगत की और रणबीर सिह की जोड़ी बना दो इनकी जोड़ी बहुत ही ठीक रहेगी। (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राम किशन फौजी. बैठ जाओ। कर्ण सिंह दलाल जी, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) दलाल साहब, आप से मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास राम भगत की शादी का कोई प्रपोजल है? (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय बहुत से मैम्बर्ज अपनी सीटो पर खडे होकर बोलने लग पड़े ।)

आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। शेर सिंह जी क्या आपके पास भी इनकी शादी का कोई प्रपोजल है। (शोर एव व्यवधान) आप सब बैठ जाएं। कर्ण सिंह जी, आप बैठ जाएं। दरियाव सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये जो भी बोल रहें हैं वह कुछ भी रिकार्ड नही किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः ....।

श्री दरियाव सिहं राजोराः .... । (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) रामभगत जी ने जो भी कहना है वे खुद बोल लेंगे। दरियाव सिंह जी. आप उनकी पैरवी मत करें।

प्रो० रामभगतः अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही स्वार्थी किस्म के लोग हैं। ये राष्ट्रीय हित में भी जिदा नही रह सकते। इनको शादी के सिवा कुछ ओर नजर नहीं आता। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इनमें थोडा सा राष्ट्रभक्ति और समाज के लिए बलिदान का जच्चा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि जब तक लड़कियों के प्रति हमारी आस्था और धारणाएं नही बदलेगी, लड़की को लड़के के बराबर पूरा महत्व नहीं दिया जाएगा और पेरैटस जब तक लड़की के प्रति यह नहीं सोचेंगे कि लड़की भी हमारे लिए उतनी ही निर्भरता का स्रोत हे जितना लड़का, तब तक पोपूलेशन पर कंट्रोल नही हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है '

डॉ० एम० एल० रंगाः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत खेद का विषय है कि हमारे सम्मानित सदस्य ने जो यह आधारभूत प्रश्न उठाया है और सम्मानित सदस्य जनसंख्या नियंत्रण के बारे मे

सरकार को जो सहयोग दे रहे हैं उसके बारे में हमारे विपक्ष के साथी उनका प्रश्न सुनने के लिए तैयार ही नही हैं। अध्यक्ष महोदय आज के समय में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात हरियाणा में बढता जा रहा है उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूगा कि जिन डाक्टर्ज ने अल्ट्रासाउड मशीन रखी हुई हैं हमने उनका रजिस्ट्रेशन किया है। इसी तरह से विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर भ्रूण हत्या को लेकर हमने सेमीनार्ज और चर्चा परिचर्चा का आयोजन किया है। इसके अलावा हमने इस बारे में कवि सम्मेलन भी करवाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के समय में लड़की का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लड़के का होना। सरकार इस विषय में पूरी तरह से जागरूक है।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Cases of Dowry Deaths etc. Registered in the State.

***912. Shri Balwant Singh Sadhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases of rapes, eve-teasing, dowry (admonition) and dowry deaths registered in State during the year 1995 to 2000; and

(b) whether there is any proposal under

consideration of the Government to open Women Police Station in the State ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) राज्य में वर्ष 1995 से 2000 तक बलात्कार के 2209, छेड़छाड़ के 2,930, दहेज प्रताड़ना के 4,369 तथा दहेज हत्या के 1,455 (कुल 10,963) केस दर्ज हुए।

(ख) हां, श्री मान जी। प्रत्येक रेंज मुख्यालय पर एक महिला पुलिस स्टेशन/सैल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Completion of Water Works Village Badla

***1023. Sh Ram Bhagat :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction of Water Supply Works in village Badla, Darh, Jani Kumaran, Kuba & Kagan Kheri is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): गांव ढाढ व कुम्मा में जलधर निर्माण कार्य जून 2002 तक पूरा होने की संभावना है, जबकि गांव बडाला ढाणी कुमारण तथा खेड़ी गगन में जलधर निर्माण कार्य मार्च, 2003 तक पूरा होने की संभावना है।

Udham Singh Polytechnic College, Tohana

***1036. Shri Nishan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of Udham Singh Polytechnic College, Tohana is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): श्री मान जी, उधम सिंह राजकीय बहुतकनीकी, टोहाना में खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस स्थिति में समयावधि नहीं दी जा सकती क्योंकि निर्माण कार्य तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम भूमि के स्थानान्तरण होने के उपरांत ही चालू किया जायेगा।

Upgradation of Schools of Malra and Duloth Ahir

***985. Rao Dan Singh :** Will the Minister of State for Education be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Govt. High School of Malra and Duloth Ahir Villages in District Mahendergarh into 10+2 system School ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Schools are likely to be upgraded?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह):

(क) नहीं श्री मान जी।

(ख) ऊपर 'क' के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

Ex-Gratia

***881. Sh. Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister he pleased to state —

(a) the total number of cases of ex-gratia pending with the Govt. at present ; and

(b) the number of cases, if any, out of the cases referred to in part (a) above has been finalized during the year 2001; together with the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) 1 मार्च 2002 तक अनुग्रह अनुदान नीति के अन्तर्गत लम्बित केसों की कुल सख्या 1706 है।

(ख) वर्ष 2001 के दौरान निपटाए गए केसों की संख्या 1053 है। ब्यौरा अनुबन्ध ''ए'' पर संलग्न है।

अनुबन्ध ''ए''

क्रमाक	विभाग का नाम	वर्ष 2001 मे नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या।
1	2	3
1.	आबकारी एवं कराधान	
2.	राजस्व	
3.	गृह विभाग	
4	शहरी सम्पदा	

5	पुनर्वास	
6	नगर तथा ग्राम आयोजना	
7	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	
8	लोक सम्पर्क	14
9	तकनीकी शिक्षा	
10	विधि तथा विधायी	1
11	खाद्य एवं पूर्ति	25
12	अभिलेखागार	
13.	रोजगार	
14.	जेल एव न्यायिक	3
15	पुरातत्व एवं संग्रहालय	
16.	निर्वाचन	
17.	अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार	
18.	पचायत	
19	चकबन्दी	

20.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	
21	दुग्धायुक्त एव डेरी विकास‘	
22.	श्रम आयुका	5
23.	कृषि	4
24	पशुपालन	1
25	प्रशासकीय सुधार	
26	उद्योग	7
27	डेरी विकास	
28	पर्यावरण	1
29	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	7
30	मन्न पालन	7
31	अनुसूचित जाति एव पिछडे वर्ग कल्याण	1
32	सामाजिक न्याय एव अधिकारिता	2
33	सस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण	
34.	औद्योगिक प्रशिक्षण एव व्यवसायिक	10

	शिक्षा सस्थान	
35	सत्कार संगठन	
36	उच्चतर शिक्षा	15
37	हरियाणा लोक सेवा आयोग	
38	स्वास्थ्य	75
39	मैडीकल कालेज रोहतक	17
40	परिवहन	30
41	खान एव भू–विज्ञान	
42	पूर्ति एवं निपटान	
43	सचिवालय स्थापना	16
44	वन	8
45	खजाना तथा लेखा	4
46.	लाटरी	1
47.	स्थानीय लेखा	3
48	माध्यमिक शिक्षा	138

49.	राजभवन	
50	अभियोजन	2
51	सिचाई	129
52	मुख्य बिजली निरीक्षक	
53	खेल	
54.	आयुर्वेदा	6
55.	पुलिस	147
56.	जन स्वास्थ्य	124
57	भू–अभिलेख	13
58	महिला एव बाल विकास	3
59.	सहकारी समितियां	15
60.	पर्यटन	
61.	नगर विमानन	
62.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	
63	राज्य सैनिक बोर्ड	3

64	उद्यान	
65.	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सडके)	99
66.	प्राथमिक शिक्षा	117

Jawahar Rozgar Yojana

***1051.Sh. Krishan Pal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether third stream (Phase) of Jawahar Lal Rozgar Yojana has been launching in the State since 1993-94 ; if so, the programme taken up so far under this phase together with the name of districts which have been selected for the purpose ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): नही. श्री मान् जी। जवाहर रोजगार योजना के तीसरे चरण के अन्तर्गत ''ग्रामीण क्षेत्रो में डकवीड फैड पिसीकल्चर से ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास'' नामक परियोजना वर्ष 1996–97 से 1999–2000 तक कार्यान्वित की गई थी। यह कार्यक्रम गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों के कुछ चयन किए गए स्थलों में कार्यान्वित किया गया था।

Opening of College at Umri

***894 Sh. Nafe Singh Jundla :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College at Umri, District Karnal ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह): जी नही, श्रीमान्।

Judicial Complex, Fatehabad

*** 1020. Ch. Lila Krishan :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of Judicial Complex at Fatehabad is likely to be started the foundation stone of which was laid by Chief Minister ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): न्यायिक संब्यूह, फतेहाबाद के भवन का निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 2002–2003 मे आरम्भ होने धनी सम्भावना है।

Dhanak/General Chaupals

***1032. Shri Ram Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Dhanak Chaupal in village Dahaulla and General Chaupal in village Ritoli in Rajound Constituency ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (ओम प्रकाश चौटाला): श्री मान जी, धानक चौपाल गांव दहौला मे पहले ही पूर्ण हो चुकी है। गांव रिटौली में सामान्य चौपाल निर्माणाधीन है।

Sanction of Mundhal and Dhani Hari Singh Minors etc :

***1026.Sh. Shashi Parmar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the New Mundhal Minor, Dhani Hari Singh Minor and New Bamla Minor have been sanctioned by the Government; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): नई मुंढाल माइनर और ढाणी हरी सिंह माइनर के निर्माण की योजनाएं क्रमशः 85.67 लाख रू० और 92.39 लाख रू० की लागत से पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

नई बामला माइनर के निर्माण की कोई योजना नही है।

Sarkar Apke Dwar-Programme

***968. Sh. Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of announcements made upto 31-1-2002 in the first and second phase of 'Sarkar Apke Dwar' programme together with the number of those announcements which have been fulfilled alongwith the number of those announcements on which the work is in progress and the total amount incurred thereon ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): ''सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय चरण में कुल 32766 घोषणायें की गई, जिनमें से 11435 घोषणाओं पर दिनांक 22–2–2002 तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 12376 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है। इन घोषणाओं पर लगभग 1211.46 करोड़ रुपये की लागत आई है।

सरकारी संकल्प

(1) पंजाब के क्षेत्र में एस०वाई० एल० नहर को पूरा करने संबंधी

Mr. Speaker **:** Now, the Chief Minister will move the Official Resolution.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का ध्यान एक अहम मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इस मुद्दे की अधिवेशन शुरु होने के बाद से ही निरंतर चर्चा रही है। अध्यक्ष महोदय. यह मामला न सिर्फ इस सदन के सम्मानित सदस्यों से जुडा पूरे बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के हितों से जुड़ा हुआ यह अहम मुद्दा है। मैं सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में आपकी अनुमति से एक रैजोल्यूशन सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय. मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ''हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य मूल याचना नं 6/1996 का फैसला करते हुए दिनांक 15 – 1–2002 को अपने निर्णय में हरियाणा राज्य के सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण सम्बन्धी दावे को माना है ताकि हरियाणा राज्य ''रावी व्यास ट्रिब्यूनल'' के 30– 1 – 1987 के पंचाट अनुसार तय किये गये अपने हिस्से का पानी प्राप्त कर सके। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के दावे को स्वीकारते हुए पंजाब राज्य को निर्देश दिये हैं कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सतलुज यमुना लिंक कैनाल के हिस्से का निर्माण एवं मरम्मत एक वर्ष के अंदर अंदर पूरा करे अन्यथा यह निर्माण

एवं मरम्मत का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण किया जाए। अध्यक्ष महोदय. इस निर्णय का क्रियात्मक पैरा इस प्रकार है—

"We, therefore, by way of a mandatory injunction, direct the defendant-State of Punjab to continue the digging of Sutlej Yamuna Link Canal, portion of which has not been completed as yet and make the canal functional within one year from today. We also direct the Government of India-defendant No. 2 to discharge its constitutional obligation in implementation of the aforesaid direction in relation to the digging of canal and if within a period of one year the SYL Canal is not completed by the defendant-State of Punjab, then the Union Government should get it done through its own agencies as expeditiously as possible so that the huge amount of money that has already been spent and that would yet to be spent, will not be wasted and the plaintiff-State of Haryana would be able to draw the full quantity of water that has already been allotted to it share."

पंजाब राज्य ने उपरोक्त निर्णय के विरद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिव्यू पैटीशन दायर की थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 5 —3 —2002 द्वारा खारिज कर दिया है इस प्रकार दिनांक 15 —1—2002 का मूल निर्णय अंतिम हो चुका है।

यह सदन इस बारे में एकमत है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 —1 —2002 के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों तथा तत्पश्चात् उनके निर्णय दिनांक 5 —3 —2002 द्वारा पुष्टि

किए गए समयबद्ध आदेशानुसार पंजाब राज्य सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण/मरम्मत को एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए कानूनी तौर पर कर्तव्यबद्ध है इसलिए यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालय के 15–1–2002 के निर्णय की अनुपालना करे तथा तदानुसार पजाब राज्य में पडने वाले सतलुज यमुना लिक नहर के हिस्से का निर्माण/मरम्मत एक वर्ष की निर्धारित अवधि मे पूर्ण करे। ''

मैं पूरे सदन से इस मामले में विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि यह हरियाणा के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए यूनैनिमसली हम इस रैजोल्यूशन को पास करें यह मेरा अनुरोध है।

Mr. Speaker : Motion moved —

''कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य मूल याचना नं 6/1996 का फैसला करते हुए दिनांक 15 –1 –2002 – के अपने निर्णय मे हरियाणा राज्य के सतलुज यमुना लिक नहर के निर्माण संबंधी दावे को माना है ताकि हरियाणा राज्य 'रावी व्यास ट्रिब्यूनल' के 30–1–1987 के पंचाट अनुसार तय किए गए अपने हिस्से का पानी प्राप्त कर सके। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के दावे को स्वीकारते हुए पंजाब राज्य को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सतलुज यमुना लिंक नहर के हिस्से का निर्माण एवं मरम्मत एक वर्ष के अंदर अंदर पूर्ण करे अन्यथा यह निर्माण एवं

मरम्मत का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण किया जाए। इस निर्णय का क्रियात्मक पैरा इस प्रकार है—

"We, therefore, by way of a mandatory injunction, direct the defendant-State of Punjab to continue the digging of Sutlej Yamuna Link Canal, portion of which has not been completed as yet and make the canal functional within one year from today. We also direct the Government of India-defendant No. 2 to discharge its constitutional obligation in implementation of the aforesaid direction in relation to the digging of canal and if within a period of one year the SYL Canal is not completed by the defendant-State of Punjab, then the Union Government should get it done through its own agencies as expeditiously as possible so that the huge amount of money that has already been spent and that would yet to be spent, will not be wasted and the plaintiff-State of Haryana would be able to draw the full quantity of water that has already been allotted to it share."

पंजाब राज्य ने उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिन्यू पैटीशन दायर की थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 5—3—2002 द्वारा खारिज कर दिया है इस प्रकार दिनांक 15—1—2002 का मूल निर्णय अंतिम हो चुका हे। यह सदन इस बारे में एकमत है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 —1 —2002 के अन्तर्गत दिए गए निर्देशो तथा तत्पश्चात् इसके निर्णय दिनांक 5 —3 —2002 द्वारा पुष्टि किए गए समयबद्ध आदेशानुसार पंजाब राज्य सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण/ मरम्मत को एक वर्ष की निर्धारित अवधि

में पूरा करने के लिए कानूनी तौर पर कर्त्तव्यबद्ध है इसलिए यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालय के 15 –1 –2002 के निर्णय की अनुपालना करे तथा तदानुसार पंजाब राज्य में पडने वाले सतलुज यमुना लिक नहर के हिस्से का निर्माणा /मरम्मत एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूर्ण करे। ''

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय. जो प्रस्ताव इस सदन मैं आया है और मुख्यमंत्री जी ने रखा है, यह बहुत अच्छी बात है हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। (मेजें थपथपाई गई) ऐसा ही प्रस्ताव आज से पहले जब इस प्रदेश में मेरी सरकार थी तब भी आया था। इस प्रस्ताव के बारे में मेरा एक सुझाव है। इसमें जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह 15 जनवरी को दिया था। उस फैसले को दो महीने हो गये हैं लेकिन अब तक इस कार्य पर कोई कार्यवाही शुरु नही हुई है। इसी प्रकार एक साल का हम इंतजार करते रहें कि यह काम एक साल में पूरा हो जायेगा लेकिन काम शुरु न हो तो काम कैसे पूरा होगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस प्रस्ताव में एक लाइन यह डालनी चाहिये कि तीन महीने तक भारत सरकार और हरियाणा सरकार इतजार करे। अगर इन तीन महीनों में पंजाब सरकार द्वारा यह कार्य शुरु नही होता है तो भारत सरकार को इस मामले को टेक अप करना चाहिये और इस नहर को बनाने का कार्य बी० आर० ओ० यानी बार्डर रोड ओरगेनाइजेशन के जरिये पूरा करवाया जाये। वरना मेरा संदेह है कि इस प्रकार तो यह

नहर जल्दी नहीं बन पायेगी जब तक कि भारत सरकार पूरी डायरेक्शज इस नहर को बनाने के लिए नहीं देगी इसलिए भारत सरकार को इस नहर को बनाने कें लिए पंजाब सरकार को डायरेक्शन देनी चाहिये। इसलिए यह लाइन इस प्रस्ताव में अवश्य डालनी चाहिये। बाकी सर्वसम्मति से हम इस बात के हक में हैं।

श्री कर्ण सिह दलालः स्पीकर सर, इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को और पूरे सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह जो रैजोल्यूशन हम सदन में लेकर आये हैं यह ठीक है कि दो महीने का अर्सा हो गया है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नही हो पाई है। हम यह मान सकते हैं कि बीच में चुनाव रहे नई सरकार ने विधिवत रूप से काम नही संभाला है इसीलिए यह रैजोल्यूशन लेकर आये हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि जो भाषा हमने इस प्रस्ताव में प्रयोग की है उसमे कोई एक साल की छूट हमने नहीं दी है। हमने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दृष्टिगत इस नहर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाये और हम चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निश्चित रूप से इंप्लीमैंट किया जायेगा अन्यथा इस मामले को लीगली एग्जामिन करके पूरे सदन को

काफीडैंस मे लेकर क्योंकि यह हमारे लिए बडा अहम मुद्दा है हम चाहते हैं कि यह नहर जल्दी बने क्योंकि यह हमारे लिए जीवन रेखा है। आज हमारे हिस्से का जो पानी हमें मिलेगा उससे चार लाख से अधिक एकड़ का हमारा रकबा सहराब होगा और 500 करोड़ रुपये के लगभग हमें रैवेन्यू मिलेगा। हम इस घाटे को अब लम्बे समय तक बर्दाशत करने के लिए तैयार नहीं हैं वैसे भी हमें उम्मीद है कि अब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई है और उनको कहकर चौधरी भजनलाल जी जल्दी इस काम को करवा लेंगे।

चौधरी भजन लालः आपके समय में पाच साल बादल साहब की सरकार भी रही है उस सरकार को भी हम आपकी सरकार मानते थे आपने तब डक्का तक नही तोड़ा।

श्री अध्यक्षः चौधरी भजनलाल जी आप बैठिये। वह अलग पार्टी थी और यह अलग पार्टी है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चौधरी भजनलाल जी, उसमें अड़चन यह थी कि केस सुप्रीम कोर्ट मे था और आपकी जानकारी में यह बात नहीं आ सकती, आप चौधरी बंसीलाल जी से पूछ लिया करें कि जो केस अदालत में विचाराधीन हो उस पर चर्चा नही हो सकतीं। आपको इस बात के लिए सरकार की दाद देनी चाहिये कि हमने प्रयास करके जल्द से जल्द बड़े अच्छे ढंग का फैसला हमारे पक्ष में करवाया है। अब हम सब मिलकर इस फैसले

को इम्पलीमेंट करवायें। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का बहुत आभारी हूं कि यह रैजोल्युशन सभी ने यूनानीमसली तरीके से पारित किया है। क्यों चौधरी बंसीलाल जी यूनानीमस ही है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय. कुछ महानुभावों को बोलने की इजाजत आप जरूर दे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय. हमारी बात आपको सुननी पडेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर चर्चा जरूर होनी चाहिये। श्री कृष्णपाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर) अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एस०वाई० एल० के बारे में जो प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से उस प्रस्ताव का समर्थन करता हू। (मेजें थपथपाई गई)

चौधरी वैसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई डिफैरेंस ऑफ ओपीनियन हो ही नहीं सकता। (मेजें थपथपाई गई)

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के सम्मुख जो प्रस्ताव पारित करने के लिए लाये हैं इसमें कोई दो .राय नहीं कि यह प्रदेश के हित में अहम मुद्दा है और मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूगा कि

इस प्रस्ताव को पारित अवश्य किया जाये। अध्यक्ष महोदय. लेकिन इससे पहले हमें इस बात पर हरियाणा जनता के हितों को मद्देनजर रखना होगा। (विघन)

श्री अध्यक्षः दलाल साहबः आप रैजोल्यूशन भर है। बोलें। आप इस रैजोल्यूशन का समर्थन करते हैं या नहीं, यह बताए। ज्यादा बहस की जरूरत नही है। इसलिए आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः ....

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। दलाल साहब, क्या आपने वाक आउट करना है' मैं नहीं चाहता कि आप वाक आउट करे। (शोर एव व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः ....

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल की कोई बात रिकार्ड न की जाए। दलाल साहब, आपको इतना भी पता नही है कि सदन के नेता खड़े हैं और आप बोले जा रहे हैं। आप को रूल्ज का ज्ञान नहीं है (शोर एवं व्यवधान) चौधरी भजनलाल जी ये अब आपके चेले हैं. इनको समझाएं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह हमारे इलाके का मुद्दा है इसलिए मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, यह आपके इलाके का मुद्दा नही बल्कि यह पूरे प्रदेश का मुद्दा है। आप बैठें, आप तो डिप्टी लीडर हैं. आपके लीडर बोलेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह खा (किलोई): अध्यक्ष महोदय. मुख्यमंत्री महोदय जी जो प्रस्ताव लाए हैं, इससे हम सहमत हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हू। जैसा मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि एस० वाई० एल० नहर हम सब के लिए जीवन रेखा है इसलिए इस मामले में इस हाउस में जो भी फैसला लिया जाएगा. हम उसका पूरा समर्थन करेंगें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुख्यमंत्री महोदय इस नहर को खुदवाने के लिए जाएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट): अध्यक्ष महोदय. यह बड़े हर्ष की बात है कि मुख्यमंत्री महोदय ने एस० वाई० एल० नहर के अहम मुद्दे पर एक रैजोल्युशन हाउस में प्रस्तुत किया है। मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं कि हम सब पार्टियों को प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर और एक जुट होकर इस रैजोल्यूशन का समर्थन करना चाहिए और इस लड़ाई को एक आवाज से लड़ना चाहिए। जैसा कि सभी पार्टियों ने इस रैजोल्युशन का

समर्थन किया, मैं भी सभी इंडीपैंडैंट मैम्बर्ज की तरफ से इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गलत सिस्टम हो रहा है। **श्री अध्यक्ष:** दलाल साहब आप कच्छ कर चुके हैं. अब आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष: बैठिये –बैठिये। Karan Singh Dalal Ji, I warn you. Dalal Sahab, take your seat. If you will not sit, then I will have to name you. (Interruptions)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर आप मेरी बात तो सुनें।

सदस्य का नाम लेना

Mr. Speaker : Shri Karan Singh Ji, I name you. Please leave the House.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपने दलाल साहब को नेम कर दिया यह गलत किया गया है। ये किसी को गाली नहीं दे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बावजूद भी कोइ न माने तो यह बहुत गलत बात है। यह

हाउस है कोई तमाशा घर नहीं है। दलाल साहब की तो हर बात में if and but आ करने की आदत हो गई है। ये शोक प्रस्ताव मे भी if and but कर रहे थे। दलाल साहब ने सदन के अनुशासन को बिगोड़ने की कोशिश की है। (शोर एवं व्यवधान) एक अच्छे माहौल में सदन –चल रहा है, सारे प्रदेश से जुड़े हुए एक अहम मुद्दे पर बहस चल रही थी उस पर भी मेरे साथी किंतु–परंतु किए जा रहे थे।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब. आपको नेम कर दिया गया है इसलिए आप हाउस से बाहर चले जायें अन्यथा वाच एण्ड वार्ड स्टाफ आपको बाहर निकालेगा। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से बाहर चले गये)

सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कृपा करके दो–दो मिनट का समय सभी को इस मुद्दे पर बोलने के लिए दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। कैप्टन साहब आप प्लीज बैठ जायें otherwise you have also to face the consequences. Please sit down. (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का इस बात के लिए आभार व्यका करूंगा कि इस अहम मुद्दे को यूनानीमस तौर पर पास किया। सम्मानित सदस्य जो सदन से चले गये, ने कहा था कि इसकी कमेटी मुकर्र की जाये लेकिन मैंने तो इससे आगे बढ़कर कह दिया कि तब भी इस बारे में और कोई निर्णय लिया जायेगा तो पूरे सदन को विश्वास में लेकर लिया जायेगा। हम सदन की अनुमति के बगैर इसमें कुछ नहीं करेंगे यह मुद्दा पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है और एस० वाई० एल० हमारे लिए जीवन रेखा है। अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मैं एक और अहम मुद्दा एक विशेष रैजोल्यूशन और प्रस्तुत करना चाहूंगा, सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से मुझे उम्मीद है कि इसे भी उसी तरह यूनानीमसली पास करेंगे, इस पर गहराई से बहस नहीं करेंगे। इस मुद्दे को लेकर हमने हमारी स्टेट के सभी वकील साहिबानों से भी चर्चाएं की थी उस वक्त भी हमने यही कहा था और वकीलों के डैलीगेशन से भी हम मिले थे उस समय भी हमने उनको यही कहा था कि अभी एस० वाई० एल० का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए इस मुद्दे पर अभी विचार नहीं किया जा सकता लेकिन अब एस० वाई० एल० के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष गे हो गया है। इसलिए अब मैं अपना हाईकोर्ट बाइफरकेट करने के लिए एक अहम प्रस्ताव लेकर आया हू और मुझे उम्मीद है कि सभी सम्मानित सदस्य इसे सर्वसम्मति से पास करेगे।

Mr. Speaker : Question is :—

कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, .हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य' मूल याचना नं० 6/1996 का फैसला करते हुये दिनांक 15—1—2002 को अपने निर्णय में हरियाणा राज्य के सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण सम्बन्धी दावे को मन्ना है ताकि हरियाणा राज्य रावी व्यास ट्रिब्यूनल' के 30—1—1987 के पंचाट अनुसार तय किये गये अपने हिस्से का पानी प्राप्त कर सके। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के दावे को स्वीकारते हुये पंजाब राज्य को निर्देश दिये है कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सतलुज यमुना लिंक नहर के हिस्से का निर्माण एवं मरम्मत एक वर्ष के अन्दर—अन्दर पूर्ण करे अन्यथा यह निर्माण एवं मरम्मत का कार्य केन्दीय सरकार द्वारा पूर्ण किया जाय। डस निर्णय का क्रियात्मक पैरा इस प्रकार हैं

"We, therefore, by way of a mandatory injunction, direct the defendant—State of Punjab to continue the digging of Sutlej Yamuna Link Canal, portion of which has not been completed as yet and make the canal functional within one year from today. We also direct the Government of India—defendant No 2 to discharge its constitutional obligation in implementation of the aforesaid direction in relation to the digging of canal and if within a period of one year the SYL Canal is not completed by the defendant—State of Punjab, then the Union Government should get it done through its own agencies as expeditiously as possible so that the huge amount of money that has already been spent and that would yet to be

spent, will not be wasted and the plaintiff—State of Haryana would be able to draw the full quantity of water that has already been allotted to it share.-

पंजाब राज्य ने उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय मैं एक रिन्यू पैटीशन दायर की थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाक 5–3–2002 द्वारा खारिज कर दिया है इस प्रकार दिनांक 15–1–2002 का मूल निर्णय अंतिम हो चुका है।

यह सदन इस बारे में एकमत है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 15–1–2002 के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों तथा तत्पश्चात् उनके निर्णय दिनांक 5–3–2002 द्वारा पुष्टि किये गये समयबद्ध आदेशानुसार पंजाब राज्य सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माणा मरम्मत को एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए कानूनी तौर पर कर्त्तव्यबद्ध है। इसलिए यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालय कै 15–1–2002 ये निर्णय को अनुपालना करे तथा तदानुसार पंजाब राज्य में पडने वाले सतलुज यमुना लिंक नहर के हिस्से का निर्माण/मरम्मत एक वर्ष की निर्धारित अवधि मे पूर्ण करे। ''

(The motion was carried unanimously.)

(2) हरियाणा राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Chief Minister will

move the resolution.

11.00 बजे

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): मैं प्रस्ताव करता हू –

कि भारतीय संविधान के निर्माता इस बारे एकदम सुनिश्चित एवं अटल थे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने संविधान के अध्याय पाच अनुच्छेद 214 मे यह प्रावधान किया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 214 के इस उद्देश्य एवं भावना की हमेशा ही बड़े सुसंगित ढंग से अनुपालना की जा रही है। यहां तक कि झारखण्ड, छत्तीसगढ एव उत्तरांचल जैसे नये राज्यों में भी उनके अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

2. हरियाणा राज्य की स्थापना एक नवम्बर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अन्तर्गत की गई है। संसद ने अपने विवेक से पंजाब एवं हरियाणा राज्य के बीच कुछ अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों के मद्देनजर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के भाग 4 में अनुच्छेद 29 का प्रावधान किया जिसके अन्तर्गत पंजाब हरियाणा तथा केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए एक सयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। दुर्भाग्यवश 35 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद आज भी इन तीनों राज्यो के लिए

संयुक्त उच्च न्यायालय चला आ रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य को उनकी स्थापना के समय से ही अपना अलग उच्च न्यायालय प्राप्त होने का सौभाग्य मिला है।

इस लम्बी अवधि में संयुक्त उच्च न्यायालय होने के कारण हरियाणा राज्य के हितों की बहुत उपेक्षा हुई है। यह एक तथ्य है कि हरियाणा राज्य को न्यायालय के बैंच पर पंजाब एवं हरियाणा के 60:40 के अनुसार कभी भी प्रतिनिधित्च नहीं मिला। वर्तमान मे हरियाणा के फ जजों के नियत कोटे के विरूद्ध केवल 6 जज हैं। इसी प्रकार वकील समुदाय में भी हरियाणा को उचित प्रतिनिधित्व नही मिल पाया है।

3. हरियाणा राज्य की जनता संयुक्त उच्च न्यायालय होने तथा उचित प्रतिनिधित्व न दिए जाने के कारण काफी क्षुब्द है।

4. यह सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 231 के अन्तर्गत संसद दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए विधि पूर्वक एक संयुक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। परन्तु यह प्रावधान केवल कानून बनाने के लिए है तथा अनुच्छेद 214 का अपवाद है। यही कारण था कि अनुच्छेद 214 में शब्द 'shall' का प्रयोग किया गया है जबकि अनुच्छेद 231 में 'may' प्रयुक्त किया गया खै। अनुच्छेद 214 तथा अनूच्छेद 231 के उद्देश्य, भावना तथा अभिप्राय. से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 231

(मुख्य प्रावधान का अपवाद होने के कारण) का अर्थ सीमित रूप मे लिया जाना चाहिए।

5 जहां केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ पर अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है यह अधिकार हरियाणा राज्य के उच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिए क्योंकि शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की पहचान हिन्दी भाषी क्षेत्र देह रूप मै की गई, थी। यह रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है

"126. The large percentage of students who at the examinations from Chandigarh and Kharar Tehsil in the years 1965 and 1966 opted to answer the question papers in Hindi medium broadly supports the inference that the language of the region is predominantly Hindi speaking. From the figures supplied to us, it appears that in 1966, from the Schools in Chandigarh town 1423 students appeared for the Higher Secondary Examination Part-I; out of these 1102 opted to answer the question papers in Hindi and 321 in Punjabi. Similarly Out of 963 students who appeared for the Higher Secondary Part-II Examination, 769 opted for the Hindi medium and 194 for Punjabi medium. In the Middle Standard Examination of the year 1965 from Chandigarh Centres out of 2120 students, 1579 took the examination in the Hindi medium and 541 in the Punjabi medium. From the schools in Kharar Teshil out of 1208 students, 724 offered Hindi as the medium and 484 Punjabi. Similarly, 14 schools sent up 2165 students for the Higher Secondary Part-I Examination, 1966 from Kharar and of these 1500 opted for Hindi and 665 for

Punjabi. Similarly, from the Kharar Tehsil at the 1966 Higher Secondary Part-II Examination out of 1307 students who appeared 937 opted for Hindi and 370 for Punjabi. In the Middle Standard Examination at the centres in Kharar in 1965 out of 4722 students, 3080 appeared in the medium of Hindi and 1642 in the Punjabi medium."

"128. We see no reason to separate the Kalka Town or Kalka Police Station from the Kharar Tehsil. The area of the town and the Police Station is an integral part of the Tehsil and there are no circumstances of importance which would justify any special treatment to that area."

"129 We have no separate language figures for the controlled area. But if the Chandigarh Capital Project be regarded as predominantly Hindi speaking, the controlled area must also be placed in Hindi Speaking State. The Kharar Tehsil has a Hindi speaking majority according to the 1961 census. It would be for the economic wellbeing of the people of that part of Tehsil Kharar, which is not covered by the controlled area and the Capital Project to be merged with the State with which the c7 controlled area and the Capital Project are merged."

"130 We, therefore, recommend that Kharar Tehsil, including the Chandigarh Capital Project be merged with the Hindi-Speaking State."

6 चूंकि अनेक आयोगों द्वारा हरियाणा राज्य के पक्ष में दी गई रिपोर्टो के बावजूद अन्तर्राज्यीय विवादों का निपटान नहीं हों पा रहा है, अतः यह समय की माग है कि पंजाब हरियाणा तथा

केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की बजाय वर्तमान उच्च न्यायालय का इसी प्रांगण में विभाजन किया जाए।

हरियाणा राज्य के कोटे से नियुक्त न्यायाधीशों के साथ–साथ वर्तमान भवन, सरकारी कर्मचारियों एव प्रशासनिक अधिकारियो को पंजाब एवं हरियाणा राज्य बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित करके हरियाणा को दिया जाना चाहिए।

7. अतः यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के भाग (4) यानि अधिनियम के अनुच्छेद 29 से 41 में समुचित करने के लिए एक उचित विधेयक लाए। यह सदन पूरी गम्भीरता के साथ संसद से अनुरोध करता है कि इस संशोधन विधेयक को ला कर एकमत से पास करे, जिसमें ये प्रावधान हो

(1) पंजाब, हरियाणा एवं केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए वर्तमान संयुक्त उच्च न्यायालय का द्विविभाजन।

(2) हरियाणा राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना. जिसका क्षेत्रीय अधिकार केन्द्र शासित चण्डीगढ पर भी हो।

(3) हरियाणा राज्य के लिए चण्डीगढ़ स्थित वर्तमान प्रांगण में स्थित भवन, प्रशासनिक अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों

में से 40 प्रतिशत तथा हरियाणा के कोटे से नियुक्त न्यायाधीशों को मिला कर एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ''

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सारे सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर चर्चा न करते हुए हरियाणा राज्य का अलग से उच्च न्यायालय होने के रैजोल्यूशन को सर्व–सम्मति से पास किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved —

''कि भारतीय संविधान के निर्माता इस बारे एक दम सुनिश्चित एवं अटल थे कि प्रत्येक राज्य के लिये एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिये। इसी वजह से उन्होंने संविधान के अध्याय पांच अनुच्छेद 214में यह प्रावधान किया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 214 के इस उद्देश्य एव भावना की हमेशा ही बड़े सुसंगित ढंग से अनुपालना की जा रही है.। यहां तक कि झारखण्ड. छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल जैसे नये राज्यों में भी उनके अलग उच्च न्यायालय स्थापित किये गये हैं।

2. हरियाणा राज्य की स्थापना एक नवम्बर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत की गई है। संसद ने अपने विवेक से पंजाब एवम् हरियाणा राज्य के बीच कुछ अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों के मद्देनजर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के भाग 4 में अनुच्छेद 29 का प्रावधान किया जिसके अन्तर्गत पंजाब, हरियाणा

तथा केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिये एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। दुर्भाग्यवश 35 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद आज भी इन तीनो राज्यों के लिये संयुक्त। उच्च न्यायालय चला आ रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य को उनकी स्थापना के समय से ही अपना अलग उच्च न्यायालय प्राप्त होने का सौभाग्य मिला है।

इस लम्बी अवधि में सयुंक्त उच्च न्यायालय होने के कारण हरियाणा राज्य के हितों की बहुत उपेक्षा हुई है। यह एक तथ्य है कि हरियाणा राज्य को न्यायालय के बैंच पर

पंजाब एवम् हरियाणा के 60:40 के अनुसार कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वर्तमान में हरियाणा के 16 जजों के नियत कोटे के विरुद्ध केवल छ जज हें। इसी प्रकार वकील समुदाय में भी हरियाणा को उचित प्रतिनिधित्व नही मिल पाया है।

3. हरियाणा राज्य की जनता संयुक्त उच्च न्यायालय होने तथा उचित प्रतिनिधित्व न दिये जाने के कारण काफी क्षुब्ध है।

4. यह सत्य है कि सविधान के अनुच्छेद 231 के अन्तर्गत संसद दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये विधि पूर्वक एक संयुक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। परन्तु यह प्रावधान केवल कानून बनाने के लिये है तथा अनुच्छेद 214 का अपवाद है। यही कारण था कि अनुच्छेद 214 में

शब्द 'shall' का प्रयोग किया गया है जबकि अनुच्छेद 231 में 'may' प्रयुक्त किया गया है। अनुच्छेद 214 तथा अनुच्छेद 231 के उद्देश्य भावना तथा अभिप्रायः से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 231 (मुख्य प्रावधान का अपवाद होने के कारण) का अर्थ सीमित रूप में लिया जाना चाहिए।

5. जहां केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगद पर अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है यह अधिकार हरियाणा राज्य के उच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिए क्योंकि शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की पहचान हिन्दी भाषी क्षेत्र के रूप में की गई थी। यह रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है –

"126. The large percentage of students who at the examinations from Chandigarh and Kharar tehsil in the years 1965 and 1966 opted to answer the question papers in the Hindi medium broadly supports the inference that the language of the region is predominantly Hindi speaking. From the figures supplied to us, it appears that in 1966, from the Schools in Chandigarh town 1423 students appeared for the Higher Secondary Examination Part-1: out of these 1102 opted to answer the question papers in Hindi and 321 in Punjabi. Similarly out of 963 students who appeared for the Higher Secondary Part-II Examination, 769 opted for the Hindi medium and 194 for Punjabi medium. In the Middle Standard Examination of the year 1965 from Chandigarh Centres out of 2120 students, 1579 took the examination in the Hindi medium and 541 in the Punjabi medium. From the schools in

Kharar Teshil out of 1208 students 724 offered Hindi as the medium and 484 as Punjabi. Similarly, 14 schools sent up 2165 students for the Higher Secondary Part-1 Examination, 1966 from Kharar and of these 1500 opted for Hindi and 665 for Punjabi. Similarly, from the Kharar Tehsil at the 1966 Higher Secondary Part-II Examination out of 1307 students who appeared 937 opted for Hindi and 370 for Punjabi. In the Middle Standard Examination at the centres in Kharar in 1965 out of 4722 students, 3080 appeared in the medium of Hindi and 1642 in the Punjabi medium."

"128 We see no reason to separate the Kalka Town or Kalka Police Station from the Kharar Tehsil. The area of the town and the Police Station is an integral part of the 'relish and there are no circumstances of importance which would justify any special treatment to that area."

"129 We have no separate language figures for the controlled area. But if the Chandigarh Capital Project be regarded as predominantly Hindi speaking, the controlled area must also be placed in Hindi speaking State. The Kharar Tehsil has a Hindi speaking majority according to the 1961 census. It would be for the economic wellbeing of the people of that part of Tehsil Kharar, which is not covered by the controlled area and the Capital Project to be merged with the State with which the controlled area and Capital Project are merged."

"130 We, therefore, recommend that Kharar Tehsil, including the Chandigarh Capital Project be merged with the Hindi-speaking State."

6 चूंकि अनेक आयोगों द्वारा हरियाणा राज्य के पक्ष में दी गई रिपोर्टों के बावजूद अन्तर्राज्यीय विवादों का निपटान नही हो पा रहा है, अतः यह समय की मांग है कि पंजाब, हरियाणा तथा केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए एक सयुका उच्च न्यायालय की बजाय वर्तमान उच्च न्यायालय का इसी प्रागण में विभाजन किया जाए। हरियाणा राज्य के कोटे से नियुक्त न्यायाधीशों के साथ–साथ वर्तमान भवन, सरकारी कर्मचारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पंजाब एवं हरियाणा राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित करके हरियाणा को दिया जाना चाहिए।

7 अतः यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के भाग (4) यानि अधिनियम के अनुच्छेद 29 से 41 में समुचित संशोधन करने के लिए एक उचित विधेयक लाए। यह सदन पूरी गम्भीरता के साथ संसद से अनुरोध करता है कि इस संशोधन विधेयक को ला कर एकमत से पास करे, जिसमें ये प्रावधान हों

(1) पंजाब, हरियाणा एवं केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए वर्तमान संयुका उच्च न्यायालय का द्विविभाजन।

(2) हरियाणा राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना, जिसका क्षेत्रीय अधिकार केन्द्र शासित चण्डीगढ़ पर भी हो।

(3) हरियाणा राज्य के लिए चण्डीगढ़ स्थित वर्तमान प्रांगण में स्थित भवन, प्रशासनिक अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों में से 40 प्रतिशत तथा हरियाणा के कोटे से नियुक्त न्यायाधीशों को मिला कर एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ''

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है इसको हूब–हूब मानन, हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में नहीं है इसलिए नही है कि प्रस्ताव में यह कहा गया है कि पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट अलग बनना चाहिए। हम इस राय के हैं कि बनना चाहिए लेकिन कहां बने यह तय करने की बात है और यह तब तक तय नहीं हो सकता जब तक खरड तहसील का फैसला नहीं होता। शाह कमीशन ने खरड तहसील और चण्डीगढ हरियाणा को दिया था। यह मामला काफी समय से लटका हुआ है इसलिए मेरा सुझाव हे कि इसको बजाय हूब–हूब पास करने के इसमे यह किया जाए कि चण्डीगढ और खरड तहसील हरियाणा को दी जाए तब हाईकोर्ट अलग से बने वरना अगर आप कहेंगे कि हरियाणा की हाईकोर्ट अलग बन जाए तो इससे हरियाणा की जनता को क्या लाभ है ' हरियाणा की जनता को इसका लाभ तब होगा जब अबोहर फाजिल्का और हिन्दी स्पीकिंग भा गांव मिले। दूसरी बात यह है कि हरियाणा का हाईकोर्ट हरियाणा के बीच में बनना चाहिए ताकि आम आदमी को उसका फायदा हो सके और लोगों को तकलीफ नहीं हो। मेरा यह सुझाव है। इस प्रस्ताव को वापस लेकर एक

कमेटी बना दें उस कमेटी में दोबारा से विचार करके इसको ठीक ढंग से असैम्बली में लाएं और पास करके सैन्टर को भेजें। यह मेरा सुझाव हे।

श्री राजेन्द्र सिह बिसला (बल्लभगढ): अध्यक्ष महोदय, आज के दिन को इस सदन का मैं बहुत महत्वपूर्ण दिन मानता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ऊची सूझबूझ और अनुभव के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं जो अभी प्रस्ताव पेश किया है कि हमारे प्रदेश की अलग हाईकोर्ट होनी चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय. बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की अध्यक्षता में कांस्टीच्यूएंट असैम्बली मे जब यह भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया चली हुई थी उस समय की प्रोसिडिंग हम पढ़कर देखते हैं, कई जगह यह साहस किया गया है और जैसाकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें शैल शब्द का प्रयोग किया है ताकि हर राज्य की अलग हाईकोर्ट हो। हरियाणा को 35 साल बने हुये हो गये हैं और हरियाणा के लिटीगैट्स को आज भी प्रैक्टिकली दिक्कतें आती हैं। हरियाणा के परिवारों के लड़के यूनीवर्सिटी टॉप करके यहां पर वकालत करते हें और 60 और 40 की रेशो है उसके हिसाब से 16 जजिज हरियाणा के हिस्से में आते हैं लेकिन केवल मात्र 6 जजिज ही आज वहां पर हैं। यह एक बहुत ही खेद का विषय है। मैं सभी सदस्यगण से आग्रह करूंगा कि जैसे पहला एस०वाई०एल० का प्रस्ताव सभी सदस्यों ने बडे प्रेम भाव से मिलकर एक मत से यूनानीमसली पास

किया है इस प्रस्ताव को भी हमें युनानीमसली पास कर देना चाहिये। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है हाई कोर्ट की बिल्डिंग है उसके कुछ कमरे अलग से हरियाणा हाईकोर्ट के लिए बांट दिये जायेंगे और कम प्रयास से बड़े सुचारु रूप से हरियाणा का अलग से हाईकोर्ट बन जायेगा। मैं सभी सदस्यगण से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को यूनानीमसली पास किया जाये और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हरियाणा का अलग से हाईकोर्ट बन जायेगा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस दिन सभी हरियाणाबासी नई दीवाली मनायेंगे।

श्री चन्द्र भाटिया (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय. अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सदस्यों के सामने यह बात रखी है और हमारे विपक्ष के साथी चौधरी भजन लाल जी ने भी इस प्रस्ताव के बारे अपने सुझाव रखे और श्री बिसला जी ने भी अपने सुझाव रखे। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि यह सही बात है जैसा कि बिसला जी कह रहे थे कि जहाॅ हरियाणा के हिस्से के 16 जजिज होने चाहियें वहां आज 16 जजिज हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमारा अलग से हाईकोर्ट बन जाये तो हरियाणा के लोगों को इसका लाभ होगा और हर व्यक्ति यह सोचेगा कि हरियाणा का भी अपना हाईकोर्ट है और यह सही बात है कि उस दिन हरियाणा के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह प्रस्ताव चखा है उसको सर्वसम्मति से पास किया जाये

और जैसा कि बिसला जी कह रहे थे कि उस दिन हरियाणा के लोग नई दीवाली मनायेंगे यह सही बात है इसलिए इस प्रस्ताव को माना जाना चाहिये।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट): अध्यक्ष महोदय, सरकार एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव इस सदन में लेकर आई है कि हरियाणा के लिए हमारा एक अलग से हाईकोर्ट होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को बनाते हुए सब मुद्दों को पूर्णतः ध्यान में रखा गया है। अभी विपक्ष के नेता माननीय चौधरी भजन लाल जी ने खरड तहसील का और शाह आयोग की बात की है। यह ठीक है कि वह मुद्दा अलग है। आज हम चाहते हैं कि आज हाईकोर्ट की बात हो रही है हमारा अलग से हाईकोर्ट होना चाहिये और यह चण्डीगढ़ में ही हो सकता है इसी हाईकोर्ट में हरियाणा का अलग से हाईकोर्ट बन सकता है। इसके लिए मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूगा कि इसके लिए दूसरी जगह की बजाये इसी कंपलैक्स में दोनों हाईकोर्ट चले, पंजाब का भी और हरियाणा का भी जब तक पंजाब के साथ जो डिस्प्यूट चला हुआ है वह सैटल नहीं हो जाता तब तक यह अच्छा रहेगा। हम सबको इस बात को समझना चाहिये और वाईस वोट से इस प्रस्ताव को पास करना चाहिये।

राव इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना): स्पीकर महोदय. आज सदन के सामने दो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा रखे गए हैं। जहां तक पहला प्रस्ताव था उसको सदन ने पास कर दिया

क्योंकि आज के दिन जब सुप्रीम कोर्ट का आलरेडी हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है तो मै समझता हू कि इस विषय को यहां लाने की आवश्यकता आज के दिन नहीं थी लेकिन शायद सरकार ने क्रैडिट लेने के लिए इसको हाउस में रखा है। अध्यक्ष महोदय, जहा तक दूसरे प्रस्ताव की बात है कि हमारा हाई कोर्ट अलग होना चाहिए तो उसके बारे में मुझे यह कहने मे बिलकुल भी संकोच नही है कि यह इस मौजूदा सरकार की सोच की उपज है कि हमारा हाईकोर्ट अलग नहीं है इसलिए हम को नुकसान हो रहा है। मेरे आज यहां सदन में चर्चा करने का मतलब यह है कि अगर हम यह कहते हैं कि हरियाणा का हाईकोर्ट अलग होना चाहिए क्योंकि हमें पूरी तरह से न्याय नहीं मिल रहा है, साथ–साथ हम यह भी क्यों न सोचे कि क्र में से 6 जज रहने की जो हमारी कमजोरी रही है उसके ऊपर तो हम पर्दा नहीं डाल रहे हैं। एक समय था जब करीब–करीब 14 या 13 जज थे। पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पंजाब और हरियाणा का हर चीज में 60 और 40 परसैंट का रेशो था लेकिन पिछले दिनों हमारी क्या कमजोरी रही कि हम पूरी तरह से 40 परसैंट की उपलब्धि को हासिल नही कर पा रहे। वह क्या कमजोरी है। अगर सरकार उस कमजोरी को बता दे और कह दे कि हमारी बेबसी है कि हम 40 परसैंट हिस्सा हासिल नही कर सकते तो सर्वसम्मति से हम इस रेजोल्युशन को पास कर देंगें और मेरी भी इस में राय मिल जाएगी. इसमें कोई शक नहीं है। साथ–साथ सरकार यह भी बताए कि हम अपना 40 परसैंट हिस्सा हासिल करने में सक्षम क्यों

नही है। और अगर हम यह 40 परसैंट हिस्सा हासिल करने मे सक्षम नहीं हैं तो बेशक आपको इसका क्रैडिट मिलना चाहिए क्योंकि आपको 40 परसैंट हिस्सा अपना नहीं मिल रहा है 1 इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा हाईकोर्ट अलग होना चाहिए और इस रैजोल्युशन को हम सर्वसम्मति से पास कर देंगें। लेकिन कम से कम सरकार की तरफ से यह तो बताया जाए कि हम किस वजह से 40 परसैंट अपना हिस्सा हासिल करने में यह कमजोरी महसूस कर रहे हैं। हम जुडिशियरी में भी 40 परसैंट हिस्सा हासिल नही कर पाए। (शोर एवं व्यवधान) जैसा चौधरी भजनलाल जी ने कहा था कि कही इस रैजोल्यूशन को पास करने के बाद हमारी खरड तहसील के हिन्दी स्पीकिंग एरियाज के प्रति हमारा केस कमजोर तो नही हो जाएगा, इस बात को हमको जरूर सोचना चाहिए।

चौधरी बंसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप मोशन मूव करें तो मूव कर जाते हैं. मुहं नीचे करके न बोलें क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान) हालांकि सभी सदस्यों ने इसको पढ लिया है लेकिन आप अपना माइक ऐसी जगह लगवाएं जहां से सबको ठीक तरह से सुनाई दे। (शोर एव व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध बिलकुल नहीं करता मैं इस प्रस्ताव के तो हक में हूं लेकिन इस विषय में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं पहली बात तो यह हे कि अगर हम चण्डीगढ़ के ऊपर हाईकोर्ट के लिए अपना

टैरीटोरियल जूरीसडिक्शन मांगते हैं तो भारत सरकार हमारे सैपरेट हाईकोर्ट के लिए मना नहीं कर सकती, उसे देना ही पड़ेगा। अगर असैम्बली रैजोल्यूशन पास कर देगी, सरकार डिमांड कर देगी तो भारत सरकार के पास इस बात के अलावा कोई चारा नहीं कि वह हमारे हाईकोर्ट को मंजूरी दे। मगर जब हम मांग करते हैं कि चडीगढ के ऊपर हमारी हाईकोर्ट की जूरीसडिक्शन हो तो खरडू के ऊपर क्यों न हो क्योंकि इस रैजोल्यूशन में जिसे मुख्यमत्री महोदय ने रखा है उसमें बाउडरी कमीशन की जो शाह कमीशन की रिपोर्ट के पैरा नम्बर 126, 128, 129 और 130 थे, इन पैराज को मुख्यमंत्री महोदय ने साईट किया है। दूसरा खरड तहसील के फ्लैट्स की फीगर्ज भी इसमें दिए हुए हैं। जब हम रैजोल्युशन को पास करें तो एक बात तो हमको यह करनी चाहिए कि जो नए कानून पास करें उसमें शाह कमीशन की रिपोर्ट इन टीटो भारत सरकार असैप्ट करे। कमीशन की रिपोर्ट के पैरा 130 में लिखा हैं।

130.- We, therefore, recommend that Kharar Tehsil including the Chandigarh Capital Project be merged with the Hindi-speaking State.

क्योंकि भारी तादाद में खरड में हिन्दी स्पीकिंग स्टूडैंटस हैं जो हिन्दी में इम्तिहान दे रहे हैं अगर हम खरड को अलग छोड़ देंगें तो खरड पर से हमारा क्लेम गया। एक तो खरड पर हमारा जो क्लेम है वह इसमें शामिल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि

भारत सरकार हमारी सैपरेट हाईकोर्ट की मांग तो मान ले और चण्डीगढ़ के ऊपर पंजाब हाईकोर्ट की जूरीसडिक्शन छोड़ दे तो हमारी सरकार के जो आर्डर सैक्रेटेरिएट में बैठकर, डायरैक्टोरेट में बैठकर पास होंगे वे फिर पंजाब हाईकोर्ट में चौलेंज होंगे, हरियाणा हाईकोर्ट में चौलेंज नहीं होगे। इसलिए इस पर विचार करके मुख्यमंत्री जी यह प्रस्ताव सोमवार को ले आयें या मंगलवार को ले आयें। इस बारे मे भारत सरकार को साउंड भी करके देख लें. कही ऐसा न हो कि क्योकि आज चण्डीगढ़ यूनियन टैरीटरी का एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब का गवर्नर है। उन्होंने चण्डीगढ़ का कन्ट्रोल पंजाब गवर्नर के पास दे रखा है तो इस चीज का पूरा प्रबंध करके अगर इसे सोमवार या मंगलवार को ले आयें तो बहुत अच्छा होगा। मगर मुझे इस रैजोल्यूशन में ऐतराज नहीं है अगर आज इसको पास करना है तो इसमें खरड जरूर शामिल होना चाहिए।

प्रो० रामभगत (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय. अभी मेरे एक सम्मानित और सीनियर साथी ने कहा था कि हरियाणा के हितों की बहुत अनदेखी हो रही है क्योंकि इस समय हरियाणा को पूरा रिप्रजैटेशन नही मिल रहा है इसी वजह से अलग से हाईकोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास करना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि वजह यही नहीं इससे एक और बहुत बड़ा फायदा हरियाणा की जनता को होगा वह यह है कि अलग से हाईकोर्ट बनने से लिटीगेशन के मामलो में और जस्टिस डिस्पैंसेशन के

मामलों मे तेजी आयेगी और लोगों को जल्दी न्याय मिलने लगेगा। किस सरकार में कौन सी कमी रही है, इस मामले में पूरी नुमाईंदगी नहीं हुई या इसको पहले क्यों नही लाया गया, यह अहम मुद्दा नही है, अहम मुद्दा यह है कि यदि हमारा हाईकोर्ट अलग बनेगा तो न्याय जल्दी मिलेगा। इसके साथ–साथ मैं एक प्रार्थना करना चाहूगा कि यह प्रस्ताव टाईम बाउंड होना चाहिए क्योंकि इसमें. टाईम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि यह दो साल मे या पांच साल मे कब होगा इसलिए अगर इसमे टाईम लिमिट रख दी जाये तो यह ज्यादा ठोस प्रस्ताव होगा। मैं इसका समर्थन करता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसे it is सर्वसम्मति से पास कर दिया जाये। (विघन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई): अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री महोदय जो प्रस्ताव लाये हैं उस पर थोड़ी चर्चा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पूरे प्रदेश के वकील और लोग चाहते हैं कि हरियाणा हाईकोर्ट अलग से हो क्योंकि अब उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं स्वयं वकील रहा हू वकीलों में बैठता हूं और उनसे इस बारे बात भी होती है। मुख्यमंत्री जी यह जो प्रस्ताव लाये हैं उसमें हमें पूरी प्रिकोशन लेनी चाहिए और कोई हमारे प्रदेश का अहित न हो इस ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि चौधरी बंसी लाल जी ने कहा है कि यह जो प्रस्ताव लाया गया है इसमें शाह कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और चण्डीगढ़ तथा खरड हरियाणा को मिलना

चाहिए। इसलिए हम जो अलग से हाईकोर्ट की बात केर रहे हैं उसमें यह शामिल होना चाहिए कि चण्डीगढ़ की जुरीसडिक्शन हरियाणा के हाईकोर्ट को मिलनी चाहिए बजाय पंजाब के।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो यह रैजोल्यूशन लाये हैं मैं इसका समर्थन करता हूं। कारण यह है कि छतीसगढ़, उत्तराचल और झारखंड में अलग हाईकोर्ट बन चुके हैं। हमारे यहां हाईकोर्ट में बहुत ज्यादा लिटीगेशन पैंडिंग पड़े है जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हालत यह है कि इस समय हाईकोर्ट में हमारे हिस्से की क्र में से केवल छ पोस्टें ही जजों की भरी हुई हैं जिसके कारण हमारे जुडिशियल आफिसरो का मोरल डाउन है। वर्तमान में हाईकोर्ट में काम बहुत धीरे हो रहा है और बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी भी जगह हमारा हाईकोर्ट बनाया जाये लेकिन हरियाणा का हाईकोर्ट अलग जरूर होना चाहिए यह हमारे हित में होगा। यदि ऐसा होगा तो जो हमारे न्यायधीश हैं, एडवोकेटस हैं, जो हमारे सैशन जजिज हैं उनको हाईकोर्ट में आने का मौका मिलेगा, हरियाणा के न्यायधीश होंगे तो सभी लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय हमारा अलग से हाईकोर्ट बहुत पहले बनना चाहिए था। मैं दोबारा से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन का आभार व्यका करना चाहता हूं कि इस पर तो सभी सहमत हैं

कि हमारा हाईकोर्ट अलग हो लेकिन कुछ शंकाएं विपक्ष के नेता ने जाहिर की है और चौधरी बंसी लाल जी ने भी शंका जाहिर की है। शाह आयोग की जो रिपोर्ट आयी थी उनसे भी आप अच्छी तरह अवगत हैं। आप दोनों चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। आज खरड पंजाब का पार्ट हैं लेकिन चण्डीगढ़ यू०टी० का है। हमने जो रैजोलयूशन रखा है इसमें बकायदा इस बात का ध्यान रखा है कि हमारा क्लेम चण्डीगढ़ पर बना रहे। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि चण्डीगढ़ भी हमारी उस सैपरेट हाईकोर्ट के तहत आये ताकि कल को यह विवाद न आ जाये कि चण्डीगढ़ में बसने वाले लोग जो हैं वे किस हाईकोर्ट में आएं। जहां तक अलग हाईकोर्ट बनाने का प्रश्न है तो इस बारे में मैं बताना चाहूगा कि सू०टी० के अन्दर भी हमारा 40:60 का रेशो है। हमें आज यह हिस्सा भी पूरा नही मिल पा रहा। जजिज का भी आप मानते हैं कि पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। हमारा जो सैक्रेटेरिएट है वह भी बाईफरकेट क्यू। है। इसलिए हम यह रैजोल्युशन लेकर के आ रहे हैं। यही रेशो विधान सभा में भी है। उसी हिसाब से चण्डीगढ़ की जो सड़के हैं वे भी 40–80 की रेशो से काटी हुई हैं। इसलिए में यह कह रहा हूं कि जब तक अलग व्यवस्था या दूसरी व्यवस्था न हो जायेगी हमारा चण्डीगढ से क्लेम खत्म नहीं होगा। ऐसे बहुत से इशु हैं। इस बारे में कांग्रेस के शमशेर सिंह के बहुत से व्यान आते हैं कि चण्डीगढ़ कहीं पर भी दे दी जाये इससे हमे कोई सरोकार नही है। (विष्य)

चौधरी भजन लालः हम इसके हक में नहीं हें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चौधरी भजन लाल जी, इस बारे में न जाने कितनी मरतबा उनके व्यान आये हैं। (विघ्न) आप लोग अपने तौर पर तय कर लिया करो। (विघ्न) हां, कप्तान साहब की बात मान सकता हूं क्योंकि यहां इस सदन में जब करण सिंह दलाल खडा होता था तो राम रतन भी साथ–साथ खडा होता था। कैप्टन साहब को स्पीकर साहब से कोई आपत्ति नहीं है और न ही हुडा साहब से कोई आपत्ति है। (विघन) उनको राव इन्द्रजीत सिंह जी से आपत्ति है। अगर राव इन्द्रजीत जी खड़े नहीं होते तो यह बात नहीं होती। (विघन)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। (विघन)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठिये। (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चौधरी भजन लाल जी, राव इन्द्रजीत जी खड़े नहीं होते तो वे कभी भी तैश में न आते। (विघन) मैं सारे हालात से परिचित हूं। (विघन)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठिये। आप बीच में इन्ट्रैड न करें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः मैंने जैसे अभी बताया है कि इस सदन में परम्परा रही है राम रतन और कर्ण सिह दलाल की

आदत स्था करती थी एक के खड़े होते ही दूसरा खड़ा हो जाता था। यह बात होती है कि आपस मे कई जगह कई लोगों की बनती नहीं है (विघन) मेरे कहने का भाव यह है कि चण्डीगढ़ हमारा है और हम उस पर अपना क्लेम कतई नहीं छोड रहे हैं और हम चण्डीगढ़ के क्लेम को और ज्यादा मजबूत कर के कहते हैं कि हमारा कोई हाईकोर्ट अलग से बाईफरकेट हो और चण्डीगढ़ को उसमें शामिल कर लिया जाए। जहां तक जजिज का प्रश्न उठा कि शायद राजेन्द्र सिंह जो ने कहा या राव इन्द्रजीत सिंह जी ने कहा था कि इस तरह से नाम आये। इस बारे में हमने इतना सख्त लिख कर भेजा है वह मैं अलग से इनको पढ़वा दूंगा। हमने इतना सख्त लिख कर भेजा है यानी हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, इसी वजह से सारा मामला लटका हुआ है। यह व्यवस्था कुछ इस किस्म की हुई है कि यहां इस पर डिसकशन नहीं' करें। यह सुप्रीम कोर्ट तय करती है। पहले यह होता था कि मुख्यमंत्री पंजाब और हरियाणा के आपस में तय करके नाम जाया करते थे लेकिन अब उस सब को बदला जा रहा है इसी लिए हमारे जजिज की संख्या घटती जा रही है। इसी लिए उनकी तरफ से तो नाम आए थे मैंने उनका सख्त विरोध किया कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए मैं केन्द्रीय लॉ–मिनिस्टर से भी मिला था और उनसे कहा था कि हम अपना हाईकोर्ट सैपरेट बनाना चाहते हैं और वे इस बात के लिए सहमत हो गए कि आप इस प्रकार का रैजोल्युशन दीजिए हम आपका अलग हाईकोर्ट बना देंगे। जब तक नयी व्यवस्था नहीं होती यह

ऐसे ही रहेगा। इसमें कई मुद्दे जुड़े हुये होते हैं, आज अगर हम कही और हाईकोर्ट बना दें तो दिक्कत होगी। मैंने वकीलों से भी यही बात कही थी। आज अगर हम अलग हाईकोर्ट की बात मान कर चलते हैं तो कल को यह दिक्कत आएगी कि हाईकोर्ट कहां बनाएं। जैसे चौधरी बंसी लाल जी ने भी कहा है कि हाईकोर्ट कहां बनाया जाए यह भी एक विवाद खड़ा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पता नही यह किम्बदंती है या सही है लेकिन यह कहते हैं कि जाट सलाह करके दिल्ली पर हमलावर हो गए दिल्ली का तख्त लेने के लिए और जो उस वक्त बादशाह था उसको कहा गया कि हमलावर फौजें बढती हुई आ गई हैं. यहां तक पहुंच गई हैं, अमुक जगह तक पहुंच गई हैं लेकिन वह बादशाह अपनी शतरंज में मस्त था और कहने लगा कि पहुंचने दो। उसको फिर बताया कि फौजें गेट तक आ गई हैं तब वह शतरंज छोड़ कर उठा और थाली में ताज रख कर उनके सामने ले जा कर रख दिया और कहा कि यह ठीक है कि आप विजेता हो, मैं हारा द्या हूं दिल्ली आपकी हुई, सरकार आप की है आज यह तय कर लें कि आप में से बादशाह कौन होगा और मैं यह ताज किस के सिर पर रखूं। वे वहीं पर ही लड़ाई करने लगे और वही पर आपस में लड़ते कटते रहे और सभी मर गए तथा वह ताज ज्यों का त्यों रह गया। मैंने वकीलों से भी यही कहा था कि कल को यह विवाद न आ जाए कि हाईकोर्ट करनाल या रोहतक में बनें या जीन्द अथवा कुरुक्षेत्र मे बने। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि हाईकोर्ट हमारा अलग बने और उसी हाईकोर्ट में जैसे सैक्रेटेरियेट है, विधान सभा

है, उसी प्रकार से यह बाईकरकेट हो जाए उसमें कोई आपत्ति नही है। हम आपकी भावना से सहमत हैं हम नही चाहते कि इस मामले को ले कर कोई विवाद चले इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि खरड वाला प्ले ईशू है वह एक सैपरेट ईशू है उसके साथ अबोहर फाजिलका के 107 गांव भी जुड़े हुए हैं। स्पीकर सर, कई मुद्दे हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैँ लेकिन वे हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और अनाधिकृत चेष्टा करने के हम पक्षधर नही हैं। इसलिए मैं सदन– में सभी सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि यह जो बडी आसानी से होने वाली हमारी बस्त है इसके हमें बल्य लाभ मिलेंगे। निश्चित रूप से यूनियन टैरिटरी आपके साथ आएगी और फिर आपका क्लेम और भी मजबूत हो जाएगा इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मप्ति से पास किया जाए। (विज)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जब अलग –अलग बनेंगे तो चण्डीगढ़ कौन से हाईकोर्ट के नीचे रहेगा। (विघन) अगर चण्डीगढ़ पंजाब के हाईकोर्ट में चला गया तो फिर क्या होगा, यह बात क्लीयर करें।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः हमने बाकायदा दलील के साथ लिखा है कि यह हिन्दी भाषी है, इसमें शंका की क्या बात है? (विघ्न) अगर वे नहीं मानेंगे तो हम इसके लिए भी अलग से लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए अगर हमें केन्द्र से भी लड़ना पड़ा तो

भी हम इस बात के लिए लड़ेंगे। इस मामले में हम विपक्ष का सहयोग और समर्थन चाहते हैं। (विघन)

चौधरी भजन लालः बाद में कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं इसलिए इस बारे में खुले मन से सारी बात करनी चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी ने भी कहा है कि दो दिन आप रूक जाए, सैंटर से पहले आपको बात करनी चाहिए फिर प्रस्ताव लाना चाहिए। (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चौधरी भजन लाल जी हम मुश्किलात में से गुजरे हुए हैं और मुश्किलों को हल करना जानते हैं इस लिए इल बारे में चिन्ता करने वाली कोई बात नही है। (विघन)

चौधरी भजन लालः बाद में इसमें कई तरह की मुश्किलें आएगी। (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः कोई मुश्किल नहीं आएगी। (विघन)

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप बैठें। (विण)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा न करें, मेहरबानी करके इसको यूनैनीमस मन्जूर किया जाए। (विघन)

चौधरी बंसी लालः स्पीकर सर, मैं एक बात फिर से कहना चाहता हू मुख्य मंत्री जी ने जो पैरा 130 अभी प्रोडयूस किया है बाउंडरी कमीशन का उसमें लिखा हैः –

"130. We, therefore, recommend that Kharar Tehsil, including the Chandigarh Capital Project be merged with the Hindi-speaking State."

Mr. Speaker Sir, it requires serious thought.

श्री ओम प्रकाश चौटालाः बंसी लाल जी. शाह कमीशन की रिपोर्ट में खासा विवाद है, आप इस बात को जानते हैं फिर भी आप बार–बार इसको दोहराते हैं। जो बात आसानी से होने वाली है उसको आप करें। आपका विवाद तो सुप्रीमकोर्ट में भी था वह हमारे पक्ष में हुआ कि नहीं हुआ। आपकी इस ईशू पर भी अलग–अलग भाषाएं थी और इसी सदन में थी लेकिन वह फैसला हमारे पक्ष में हुआ और यह भी हमारे पक्ष में ही फैसला होगा तथा निश्चित रूप से चण्डीगढ़ हमारे हाईकोर्ट में आएगा। (विघन) आपको पूरा अधिकार है। अगर इस प्रस्ताव में कोई कमी है तो आप बता दें, हम उस बात को मानेगे, (विघन) आप भी तो कुछ मानें। (विघन)

Ch. Bansi Lal : I Want to say that it requires serious thought on the part of C.M.

श्री अध्यक्षः इसमें सारे प्वायंटस लिखे हुए हैं। चौधरी बंसी लाल. जी इसमें तीन प्वायंट्स है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा कहना यह है कि सारे पार्टी लीडर्ज की एक बैठक बुला ली जाए और मामला डिसकस कर लें. जो सही बात है वह कर लें, इस पर दोबारा से बात कर लें क्योकि इसमें सारे हरियाणा के हितों का सवाल है। (विघन) अगर चण्डीगढ़ पंजाब हाईकोर्ट मे चला जाएगा तो हरियाणा के हितों का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा और हमारा क्लेम कमजोर हो जाएगा।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः कितने खुले दिल से इस पर चर्चा हुई है इससे खुली मीटिंग और क्या होगी। (विघन) आप मुखाल्फत करना चाहते हैं तो मुखाल्फत कीजिए और इस रैजोलयूशन के खिलाफ वोट दें लेकिन मैं तो आपसे अनुरोध ही कर रहा हूं कि आप इसकी मुखाल्फत न करें। आपका मन मुखाल्फत का है तो मुखाल्फत करें, मैं आपको कहां रोकता हूं। (विघन) जिसने विरोध प्रकट करना है वह तो करेगा ही। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूगा कि इस मामले मे सर्वसम्मति से रैजोल्यूशन को पास करना चाहिए, इसका विरोध नही करना चाहिए। जो विरोध करेगा उसके लिए अच्छा नहीं है।

उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलोत) (गुड़गांव): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अहम सवाल है जिस तरह से हमने पहले प्रस्ताव को पारित किया है उसी तरह से इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा गया है कि, justice delayed, Justice denied." इस ब्रास को

मद्देनजर रखते हुए हम सबको हाईकोर्ट के ईशू को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। (विघन) अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ साथियों के दिमाग में अगर शाह कमीशन का और टैरेटरी का कोई और मुद्दा है तो उसके लिए एक अलग से मीटिंग कर लें और उस प्रस्ताव को किसी और दिन यहों पर ले आएं। मैं एक बार फिर से सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि यह जो प्रस्ताव लाया गया है इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन यह जो खरड वाली बात स्टडी गई है मैं उसका विरोध करता हूं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं भी बंसी लाल जी द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं।

Mr. Speaker : Question is —

''कि भारतीय संविधान के निर्माता इस बारे एकदम सुनिश्चित एवं अटल थे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने संविधान के अध्याय पांच अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 214 के इस उद्देश्य एवं भावना की हमेशा ही बड़े सुसंगित ढंग से अनुपालना की जा रही है। यहां तक कि झारखण्ड, छतीसगढ एवं उत्तरांचल

जैसे नये राज्यों में भी उनके अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

2 हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम. 1966 के अन्तर्गत की गई है। संसद ने अपने विवेक से पंजाब एवं हरियाणा राज्य के बीच कुछ अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों के मद्देनजर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के भाग 4 में अनुच्छेद 29 का प्रावधान किया जिसके अन्तर्गत पंजाब हरियाणा तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्र चण्डीगढ के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। दुर्भाग्यवश 35 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के बावजूद आज भी इन तीनों राज्यो के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय चला आ रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य को उनकी स्थापना के समय से ही अपना अलग उच्च न्यायालय प्राप्त होने का सौभाग्य मिला है।

इस लम्बी अवधि में संयुक्त। उच्च न्यायालय होने के कारण हरियाणा दा? के हितों की बहुत उपेक्षा हुई है। यह एक तथ्य है कि हरियाणा राज्य फा न्यायालय के बैंच पर पंजाब एव हरियाणा के 60:40 के अनुसार कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वर्तमान में हरियाणा के 16 जजो के नियत कोटे के विरुद्ध केवल 6 जज हैं। इसी प्रकार वकील समुदाय मे भी हरियाणा को उचित प्रतिनिधित्व नही मिल पाया है।

3. हरियाणा राज्य की जनता संयुक्त उच्च न्यायालय होने तथा उचित प्रतिनिधित्व न दिए जाने के कारण काफी धुन्ध है।

4. यह सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 231 के अन्तर्गत संसद दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए विधि पूर्वक एक सयुक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। परन्तु यह प्रावधान केवल कानून बनाने के लिए है तथा अनुच्छेद 214 का अपवाद है। यही कारण था कि अनुच्छेद 214 में शब्द 'shall' का प्रयोग किया गया है जबकि अनुच्छेद 23, में है 'may' प्रयुक्त किया गया है। अनुच्छेद क्ष तथा अनुच्छेद 231 के उद्देश्य. भावना तथा अभिप्रायः से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 231 (मुख्य प्रावधान का अपवाद होने के कारण)का अर्थ सीमित रूप में लिया जाना चाहिए।

5. जहा केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ पर अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है यह अधिकार हरियाणा राज्य के उच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिए क्योंकि शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की पहचान हिन्दी भाषी क्षेत्र के रूप में की गई थी। यह रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्वरण से स्पष्ट हैः –

"126. The large percentage of students who at the examinations from Chandigarh and Kharar Tehsil in the years 1965 and 1966 opted to answer the question papers in the

Hindi medium broadly supports the inference that the language of the region is predominantly Hindi Speaking. From the figures supplied to us, it appears that in 1966, from the Schools in Chandigarh town 1423 students appeared for the Higher Secondary Examination Part-I: out of these 1102 opted to answer the question papers in Hindi and 321 in Punjabi. Similarly out of 963 students who appeared for the Higher Secondary Part-II Examination, 769 opted for the Hindi medium and 194 for Punjabi medium. In the Middle Standard Examination of the year 1965 from Chandigarh Centresout of 2120 students,1579 took the examination -in- the Hindi medium and 541 in the Punjabi medium. From the schools in Kharar Tehsil out of 1208 students 724 offered Hindi as the medium and 484 as Punjabi. Similarly, 14 schools sent up 2165 students for the Higher Secondary Part-1 Examination, 1966 from Kharar and of these 1500 opted for Hindi and 665 for Punjabi. Similarly, 14 Schools sent up 2165 Students for the Higher Secondary Part-II Examination out of 1307 students who appeared 937 opted for Hindi and 370 for Punjabi. In the Middle Standard Examination at the centres in Kharar in 1965 out of 4722 students, 3080 appeared in the medium of Hindi and 1642 in the Punjabi medium."

"128 We see no reason to separate the Kalka Town or Kalka Police Station from the Kharar Tehsil. The area of the town and the Police--Station is an integral part of the Tehsil and there are no circumstances of importance which would justify any special treatment to that area."

"129 We have no separate language figures for the controlled area. But if the Chandigarh Capital Project be

regarded as predominantly Hindi speaking, the controlled area must also be placed in Hindi speaking. State. The Kharar Tehsil has a Hindi speaking majority according to the 1961 census. It would be for the economic wellbeing of the people of that part of Tehsil Kharar, which is not covered by the controlled area and the Capital Project to be merged with the State with which the controlled area and the Capital Project are merged."

"130. We, therefore, recommend that Kharar Tehsil, including the Chandigarh Capital Project be merged with the Hindi-speaking State."

6. चूकि अनेक आयोगों द्वारा हरियाणा राज्य के पक्ष मे दी गई रिपोर्टों के बावजूद अन्तर्राज्यीय विवादों का निपटान नहीं हो पा रहा है, अतः यह समय की मांग है कि पंजाब. हरियाणा तथा केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की बजाय वर्तमान उच्च न्यायालय का इसी प्रांगण में विभाजन किया जाए। हरियाणा राज्य के कोटे से नियुक्त न्यायाधीशों के साथ –साथ वर्तमान भवन, सरकारी कर्मचारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पंजाब एवं हरियाणा राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित करके हरियाणा को दिया जाना चाहिए।

7 अतः यह सदन यह प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के भाग (4) यानि अधिनियम के अनुच्छेद 29 से 41 में समुचित संशोधन करने के

लिए एक उचित विधेयक लाए। यह सदन पूरी गम्भीरता के साथ संसद से अनुरोध करता है कि इस संशोधन विधेयक को ला कर एकमत से पास करे जिसमें ये प्रावधान हो

(1) पंजाब, हरियाणा एवं केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए वर्तमान संयुक्ता उच्च न्यायालय का द्विविभाजन।

(2) हरियाणा राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना, जिसका क्षेत्रीय अधिकार केन्द्र शासित चण्डीगढ पर भी हो।

(3) हरियाणा राज्य के लिए चण्डीगढ़ स्थित वर्तमान प्रांगण में स्थित भवन, प्रशासनिक अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों में से 40 प्रतिशत तथा हरियाणा के कोटे से नियुक्त न्यायाधीशों को मिला कर एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए।''

(The motion was carried)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

फरीदाबाद नगर निगम के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सुविधाओं की भारी कमी सम्बन्धो –

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Rajinder Singh Bisla regarding acute shortage of public conveniences in the area of Municipal Corporation Faridabad. I admit it. Shri Rajinder Singh Bisla may read his notice.

Shri Rajinder Singh Bisla : Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that the acute shortage of Public conveniences in the area of Municipal Corporation Faridabad due to ever increasing population. There are thousands of people who ease them out in the open areas near the railway lities and the other Government vacant land, which creates an unhealthy atmosphere in the whole of the area causing a grave threat of epidemic and other inefficacious diseases. Therefore, I want that the Government should take immediate remedial steps in this regard and inform the same to this august House.

वक्तव्य –

नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) अध्यक्ष महोदय ' मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य की सद्‌भावनाओं को समझते हुए आपके और सदन के ध्यानात बताना चाहूगा कि राज्य सरकार और नगर निगम फरीदाबाद ने 300 जन सुविधाओं सहित 50 लेवोटरी ब्लाक बनाए हैं। यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत निगम ने 21 सुलभ शौचालय बनाए हैं। ये सैक्टर 4 -R, Sihi Road, Ballabhgarh, Subhash Nagar DLF, Dayal Nagar, Gandhi Colony NH-5, Supervisory Barracks NH-5, A.C. Nagar NIT, Village Mujesar, Sector 24 part near Community Centre, Ballabhgarh Bus Stand, NIT Bus Stand, Gujrati Colony NH-3, S.G.M. Nagar Bodh Vihar, Baselwa Colony Old Faridabad, Santosh Nagar Ashoka Encl., Rajiv Nagar DLF Industrial Area, Mangla Road NIT, Sant Nagar Railway Road NIT, Sector-8

Jhuggies, A.C. Nagar back of Escorts, Dabua Subzi Mandi, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर 420, सीट्स और बाथरूम का प्रावधान किया गया है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, 25 सुलभ शौचालय निर्माणाधीन हैं जिसके तहत 360 सीट्स का भी प्रावधान है जो कि 31 – 3 – 2002 तक आरम्भ होने संभावित हैं। जिसमें सुभाष नगर, सैक्टर 3). विलेज इस्मादपुर नीयर ट्यूबवेल, विलेज फतेहपुर चंदेला, सैक्टर 16 मार्किट ऑन फ ए रोड, विलेज अजरोधा नीयर वाटर वर्क्स, सैक्टर छ मार्किट गीयर कम्यूनिटी सैंटर, वी०के० चौक एन०आई०टी० नेहरू ग्राउंड एन० आई०टी०, बीस खोका एन०आई०टी०, विलेज ऊंचा कोहलीवाला बल्लभगढ़ सब्जी मंडी. अनाज मंडी बल्लभगढ बापू नगर बल्लभगढ गांव रनेहरा खेड़ा, सैक्टर 11 ऑफिस काम्पलैक्स, सजय कालोनी सजय कालोनी –11, स्लाटर हाउस, हदृय राम कालोनी. आटोपीन मजेसर, आयशर चौक, प्रैस कालोनी, एन०आई०टी० बस स्टैंड और बल्लभगढ़ होस्पीटल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा हमने फरीदाबाद में 675 कर्मचारियों के द्वारा पुराना फरीदाबाद बल्लभगढ हाई–वे के बाईं तरफ एक प्राईवेट व्यवस्था की है जिससे वहां के लोगों को भी अब इस बारे में खासी तसल्ली है और वह। सफाई व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। एन० आई०टी० क्षेत्र में 1519 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यानार्थ यह भी बताना चाहूगा कि हमारी योजना 70 सुलभ शौचालय और बनाने की है जिसमें 1400

शीटस का प्रावधान हम चरणबद्ध तरीके से करने जा रहे हैं। इसके अलावा सोलिड वेस्ट के लिए भी हमने एक योजना फरीदाबाद के लिए दस करोड रुपये की बनाकर एन०सी० आर० में भेजी हुई है जो निकट भविष्य में संभावित है। इसके लिए 5 –3 – 2002 को एक बैठक भी हो चुकी है और उम्मीद यह है कि अप्रैल, 2002 में हमारी यह प्रपोजल सिरे चढ़ जाएगी तत्पश्चात् सफाई का और ज्यादा सुचारू रूप से काम हो सकेगा। मैं सम्मानित सदन को यह बताना चाहूगा कि फरीदाबाद में किसी प्रकार की सफाई की कोई अव्यवस्था नही है। हमारा डिपार्टमैंट पूरी तरह इस बारे में काम कर रहा है और आगे भी वह इस तरह ही काम करता रहेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस मोशन पर प्रश्न पूछने की इजाजत दी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो अभी सदन के पटल पर इंफोंमेशन उन्होंने रखी है. इसको मैं भी मानता हूं क्योकि में उसी क्षेत्र की नुमाइंदगी हाउस में करता हूं। इस समय वह। पर जो सुलभ शौचालय वगैरह का इंफ्रास्टक्चर हैं केवल मात्र उन्हीं के बारे में मंत्री जी ने बताया है। यह सारी बातें पूर्ण रूप से हमारी नालेज में है। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन ऑवर में इस बारे में अपनी सबमिशन में सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि उत्तरी भारत की फरीदाबाद बहुत बडी औद्योगिक नगरी है। वहां पर हम एक साईड में राष्ट्रीय राजधानी को टच करते हैं। वहां पर नगर निगम के एरिया में बहुत तेज

गति से फ्लोटिंग पोपुलेशन बढ रही है और हिन्दुस्तान के हर कोने से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले इन सर्च ऑफ जॉब वहां आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार किलोमीटर की दूरी से आकर जब कोई गरीब आदमी अपने बीबी बच्चों के साथ फरीदाबाद–बल्लभगढ एन०आई०टी० रेलवे स्टेशन पर आकर उतरता है तो सोचता है कि यह औद्योगिक नगरी है तुझे यहां नौकरी मिल जाएगी और 5 – 7 दिन धक्के खाने के बाद उसे नौकरी नहीं मिलती है न उसके पास पैसा है कि वह बस से या रेल से वापस जा सके और फिर वह कही न कहीं रेलवे लाइन के साथ किसी पुल के नीचे झुग्गी झोपड़ी बनाएगा। इस प्रकार से हजारों में नहीं लाखों के अंदर ऐसी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य भोजन भी खायेगा, टॉयलेट भी जाएगा।

श्री उपाध्यक्षः बिसला जी, आप क्वेश्चन पूछें। यह समस्या बिलकुल जायज है यह हमारे यहां भी हो रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय, यह डे टू डे लाइफ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं मंत्री महोदय से आग्रह करुंगा कि ऐग्जिसटिंग जो इन्कास्ट्रक्चर है वह आज है इसमें कोई संदेह नहीं है You have made a lot of improvement, I do not deny that ऐग्च्छिटिंग स्ट्रस्वर पर्याप्त नहीं है कई बार हम जाते हैं और देखते हैं कि कई कई किलोमीटर तक लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, फर्दर आप सुलभ शौचालय बनाएंगे लेकिन वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है। वहां जाने से पहले ही बहुत बदबू आती

है वहा कोई भी महामारी फैल सकती है और महामारी एक कोने में फैलती है तो प्रभावित दूर दूर के लोग होते हैं इसलिए में आपका ध्यान आकर्षित करूगा कि देश से ही नहीं बाबर सै भी फरीदाबाद में लोग आ रहे हैं और पौपुलेशन इण्डिली बढ रही है। उपाध्यक्ष महोदय आप जिस हल्के की नुमाइंदगीं करते हैं वहां भी यह प्रोब्लम है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूगा कि जब यह सदन समाप्त हो जाए तो आप अपने कमिश्नर व उच्चाधिकारियों जौ लेकर आ जाएं। हम बाकायदा कैम्प आर्गेनाइज करके आपको अवगत कराएंगे। इससे सली को तकलीफ है इसलिए इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए नहीं तो वहां धीरे धीरे प्रौब्लम जो है it will go on its end क्या आप आश्वासन देंगे कि निश्चित रूप से वहां काम करेंगें।

श्री उपाध्यक्षः मंत्री जी, जो माननीय सदस्य ने कहा हे यह कवल फरीदाबाद की समस्या नही है बल्कि उसके साथ–साथ गुड़गांव और बहादुरगढ़ इन पर मै। दिल्ली का भार बढ रहा है। और जब से दिल्ली से रिक्ता, ऑटो व रेहड़े निकले हैं. भार और भी ‘बढ़ गया है इसलिए माननीय सदस्य का जो कालिंग अटैंशन नोटिस है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

श्री सुमाष गोयलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहा। कि आपके रूबरू जो अर्बन डिवैलपमैंट पॉलिसी बनाई है, जो हाउसटैक्स पॉलिसी बनाई है उसके तहत म्यूनिसिपल कमेटीज गौ स्ट्रैंथन करने के लिए यह

पॉलिसी बनाई है ताकि हम धन अर्जित करके जन सुविधाएं दे सकें। सिर्फ धन अर्जित करना हमारा लक्ष्य नही है मैंने जैसा अभी मंच के ध्यानार्थ आपको बताया था 21 सुलभ शौचालय और 420 सीटें हमारी फमानिंग में हैं, 26 सुलभ शौचालय के द्वारा 360 सीटें 3।– 3 –2002 तक चालू होंगी इसके अलावा 70 सुलभ शौचालय के द्वारा भ्रस्ट सीटों की और हमने प्रपोजल भेज दी है जो प्रपोजल हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल, 2002 के अंत तक हम पूरी करवा लेंगे और जहां तक सम्मानित सदस्य ने कहा है इन्होंने कभी भी मुझको बुलाया हो और मैं न गया हू तो बताएं। मुझे कोई भी सदस्य कॉल करेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। हरियाणा प्रदेश में जहां भी हम सुविधायें प्रदान कर सकते हैं. जरूर करेंगे।

12.00 बजे

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम हरियाणा प्रदेश को सुन्दरतम बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। जहां तक बीमारी का सवाल है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री रंगा साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बतला दिया है कि हम किस प्रकार से हैल्थ के बारे में जागरूक हैं और उस जागरूकता का ही नतीजा है कि पड़ौसी राज्यो में प्लेग फैलने के बावजूद हरियाणा प्रदेश के किसी क्षेत्र में भी इस बीमारी का कोई केस नहीं द्या। आप इस बात के लिए निश्चित रहे, आश्वस्त रहें हरियाणा सरकार हर प्रकार से जागरूक है और हम आपको आश्वस्त करेगे कि जब कभी भी

माननीय सदस्य बिसला जी हमे बुलायेंगे तो हम इनके साथ जाकर फरीदाबाद का निरीक्षण करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः उपाध्यक्ष महोदय. वहां पर विदेशी नागरिक भी बसे हुये हैं। श्री सुभाष गोयल उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिसला जी ने शौचालय के बारे मे बात की और आउटलैट के बारे में बात की। उसके बारे में मैं इनको यह कहना चाहूगा कि ये भी वहा की जनता द्वारा चुने हुये नुमायंदे हैं ये भी उस बारे में कोशिश करें मैं इनको सहयोग देने के लिए तैयार हूं।

श्री उदय भानः उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय साथी बिसला जी ने कालिंग आटैंशन मौशन दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार की बड़ी भारी समस्या है और जो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह ठीक है कि वहां पर सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है और शौचालय भी बनाये जा रहे हैं और कुछ बनाये भी जा चुके हैं। लेकिन अवैध रूप से झुग्गी झोंपडिया बनाकर बाहर के देशों से या राज्यों से आकर 20 –25, हजार की आबादी की कालोनियां बसी हुई हैं उनके लिए न तो सुंलम शौचालय बने हुये हैं और न कोई दूसरी व्यवस्था की गई हैं और वे लोग खुले में शौच करते हैं इसके लिए मंत्री जी को कुछ अवश्य प्रबन्ध करना चाहिये। मैं डी०एल०एफ० के सैक्टर 10 में रहता हूं वहां पर आप जाकर देखिये बहुत ही बुरा हाल है।

श्री सुमाष गोयलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह ठीक है कि बाहर के देशों से या दूसरे राज्यों से आकर वहां पर माईग्रेटिड लोगों के कारण जनसख्या बढ़ रही है। जो लोग वहां पर बसे हुये हैं उनके लिए हम 70 सुलभ शौचालय और 1400 टायलैट्स बनाने का प्रावधान कर रहे हैं और इसके अलावा और कही पर अगर इस प्रकार की आवश्यकता है तो माननीय सदस्य हमें सुझाव दे दें हम उस पर गौर करके आगे व्यवस्था करायेंगे। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नगर निगम का 35 प्रतिशत अमाउंट सफाई व्यवस्था पर खर्च होता है जोकि बहुत बड़ी अमाउंट है।

श्री उदयभानः उपाध्यक्ष महोदय. जो वहां पर अवैध रूप से झुग्गी झौपडिया बनाकर लोग बस रहे हैं उनके बारे में कोई व्यवस्था नही है।

श्री उपाध्यक्षः मंत्री जी जो बिसला जी ने प्रस्ताव दिया है उस पर आप गौर करें और उसके ऊपर उचित ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करें। हमें उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान आप जरूर करेंगे।

श्री सुभाष गोयलः उपाध्यक्ष महोदय, आप और बिसला जी तो गुड़गांव और फरीदाबाद की बात कर रहे हैं हमने तो सारे हरियाणा प्रदेश को देखना है।

समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना

(1) लोक लेखा समिति की हा वीं रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Shri Bhagi Ram, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Fifty First Report of the Committee on Public Accounts for the year 2001-2002 on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the years 1997-98.

श्री भागीराम (चेयरपर्सन लोक लेखा समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1997–98 और 1998–99 के हरियाणा सरकार विनियोग लेखों/वित्त लेखों पर वर्ष 2001–2002 के लिए लोक लेखा समिति की 51वी रिपोर्ट सदन में सादर प्रस्तुत करता हूं।

(2) अधीनस्थ विधान समिति की 32 वीं रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now Vaid Kapoor Chand, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation, will present the Thirty Second Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2001-2002.

श्री कपूर चन्द शर्मा (चेयरपर्सन अधीनस्थ विधान समिति): उपाध्यक्ष महोदय. मैं वर्ष 2001–2002 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 32 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं –

वर्ष 2002–2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now

general discussion on the Budget for the year 2002-2003 will take place.

वित मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, आप पार्टी वाईज बजट पर बोलने के लिए जो टाईम एलोकेट किया गया है वह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज जो बजट के ऊपर चर्चा होगी उसके लिए जो टाईम की एलोकेशन की गई है वह इस प्रकार है इंडियन नैशनल लोकदल जनरल बजट पर 282 मिनट्स और डिमांडस फोर ग्रांटस पर 6० मिनट्स, भारतीय जनता पार्टी जनरल बजट पर 36 मिनट्स और डिमांडस फोर ग्राटस पर छ मिनट्स, इंडीपैंडैंट्स जनरल बजट पर 66 मिनट्स और डिमाडस फोर ग्राट्स पर 15 मिनट्स इंडियन नैशनल कांग्रेस जनरल बजट पर 120 मिनट्स और डिमांडस फोर ग्रांट्स पर 30 मिनट्स, हरियाणा विकास पाटी जनरल बजट पर 12 मिनट्स और डिमांडस फोर ग्रांट्स पर 3 मिनट्स, बी०एस०पी०. एन०साइ०पी० और आर०पी०आई० जनरल बजट पर 18 मिनट्स और डिमांडस फोर ग्रांट्स पर 5 मिनट्स।

श्री जगजीत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आपने बी०एस०पी० एन०सी०पी० और आर०पी०आई० तीनों पार्टियों का इकट्ठा टाईम बता दिया आप तीनों पार्टियों का अलग –अलग टाईम बता देते तो ठीक रहता।

श्री उपाध्यक्षः सांगवान साहब, आप समझदार हैं, आप आपस में डिवाइड कर लें और अगर आपको डिवाइड करने में कष्ट होता है तो मैं तकसीम कर देता हूं। अब मैं मांगे राम गुप्ता जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे बजट पर बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कल अपनी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। बडे फख्र के साथ मंत्री महोदय जी इस बजट को पढ़ रहे थे। मैं समझता था कि पता नहीं ये हरियाणा के लोगों के लिए क्या रूप रेखा बना कर लाएगें। उपाध्यक्ष महोदय, जब वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण शुरु किया था तो वे एक बात पर बड़ा जोर दे रहे थे कि यमुनानगर विधानसभा के उप चुनावों के परिणामों से स्पष्ट है कि हरियाणा के लोग इस सरकार की नीति में बहुत विश्वास रखते हैं 1 उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि यमुनानगर विधान सभा के उप चुनाव में इनकी पार्टी के उम्मीदवार को शायद 35 हजार वोट मिले हैं। (शोर एवं व्यवधान) यमुनानगर में कुल एक लाख क्य हजार वोट थे यानि 80 परसैंट लोग उस हल्के में अब भी इस सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): मांगेराम जी, आपकी पार्टी के उम्मीदवार को वहां कितने वोट मिले हैं यह भी यहां बता दें।

श्री उपाध्यक्षः वहां भी आकड़ों का खेल था और यहा बजट भी आकड़ों का खेल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय. बजट के आकड़े तो ये पास कराएंगे और पास हो जाएंगे लेकिन हमें जो बोलने का मौका दिया गया है उसमें तो हमें इस बजट का खुलासा करने दें। (शोर एव व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मांगेराम जी, आपको बोलने की पूरी छूट है, आप खुलकर बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में हमारी पार्टी के उम्मीदवार के प्रति इन्होंने चिन्ता जाहिर की है। लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि –ये हमारी पार्टी के उम्मीदवार के कारण ही यमुनानगर का चुनाव जीत पाये हैं। वहां के लोगों में एक प्रश्न आम था कि डाक्टर जय प्रकाश जी की मृत्यु किस दिन हुई उनकी मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने चौटाला साहब को डिनर पर बुलाया था। मृत्यु तो किसी की भी कभी भी हो सकती है, यह किसी के हाथ की बात नहीं है। लेकिन डाक्टर साहब की मृत्यु से महीने–दो महीने पहले मुख्यमंत्री जी उनके घर पर डिनर करने के लिए गये थे और वहा के लोगों में यह चर्चा हुई कि इनकी आपस में कोई विशेष बात है जिसके कारण डाक्टर साहब ने मुख्यमंत्री जी को डिनर पर बुलाया है। उपाध्यक्ष महोदय, वे कांग्रेस के विरोधी थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी श्रीमती को इसलिए टिकट दे दी कि लोगों में उनके प्रति कुछ हमदर्दी होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि टिकट देना तो हाई कमान का काम था लेकिन लोगों के अदर आम प्रश्न था कि

यह गलत हुआ है क्योंकि लोगों में चर्चा थी कि डाक्टर से मुख्यमंत्री जी को मिलाने में सबसे बड़ा हाथ उनकी श्रीमती जी का था (विघन) इसलिए लोगों ने यह महसूस किया कि मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हैं. उनका बेटा इन्चार्ज बनकर बैठा है और मौके पर जाकर यमुनानगर की गलियां पकी बनाई जा रही हैं, नालियां पक्की बनाई जा रही हैं. सीवरेज बनाये जा रहे हैं फिर उनसे पंगा क्यों लिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी आप बजट पर बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का तीसरा नम्बर आया उसके बारे में बता रहा हूं। बजट पर बोलने के लिए मैं भूमिका बना रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों के अंदर भय था उन्होंने सोचा कि एक सीट कांग्रेस के जीतने से कांग्रेस की सरकार बनेगी नही और चौटाला साहब की सरकार जायेगी नहीं और कांग्रेस के कैंडीडेट के बारे में भी लोगों को शंका थी कि वह भी चौटाला साहब के साथ है। इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों न चौटाला साहब से मिला जाये और सड़कें, बिजली आदि का समाधान करवाया जाये और उनके कैंडीडेट को वोट दिए जाये। यही कारण है कि कांग्रेस का विनिंग कैंडीडेट होते हुए भी इनकी पार्टी का कैंडीडेट जीता और उसको 37 हजार वोट मिले। उपाध्यक्ष महोदय, यमुनानगर मे 1.64 लाख वोटर हैं उनमें से इनको सिर्फ 37 हजार वोट ही मिले यानि इतना भय का वातावरण होते हुए भी 80 प्रतिशत जनता इनके खिलाफ थी और इन्होंने

मौके पर जाकर भी वहां काफी कार्य करवाये। उपाध्यक्ष महोदय. इन्होंने हमारे कांग्रेस के सीनियर साथी स्वर्गीय भगवत दयाल शर्मा जी के सपुत्र को बहका लिया और अपने पक्ष में कर लिया। उसको ये राज्यसभा का सदस्य बनाने जा रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः आपने उसको 'टिकट नही दी इसलिए वह हमारे साथ आ गया।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, टिकट तो एक ही थी वह दो को कैसे देते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी को यह कहना चाह रहा हूं कि यमुनानगर सीट जीतने पर इनको इतना खुश नहीं होना चाहिए कि हरियाणा की जनता ने या यमुनानगर की जनता ने इनका समर्थन किया है क्योंकि वहां के लोगों ने इनको समर्थन नहीं दिया है, वहां की 80 प्रतिशत जनता इनके खिलाफ है। उस तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए। (विघ्न) लोग इनकी नीति में विश्वास नहीं करते। (विघ्न) मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। (विघन) मैं तो 50 परसेन्ट लेकर आया हूं। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये। (विघन) गुप्ता जी आप अपनी बात कहें (विघन) गुप्ता जी आप चेयर की तरफ होकर अपनी बात कहै। (विघन) अरोड़ा जी आप बीच में डिस्टर्ब न करें। (विघ्न) आप केवल चेयर को एड्रैस करें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री मलिक चन्द गम्भीर एम०एल०ए० द्वारा

श्री मलिक चन्द गम्भीरः आन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर,। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आदरणीय मैम्बर साहेबान ने बड़े सुन्दर ढंग से अपनी बात पेश करने की कोशिश की है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुझे वहां पर साढ़े सैंतीस हजार वोट मिली हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पिछली बार जब डाक्टर जे०पी० शर्मा जी बने थे तब उनको 22 हजार वोट मिली थी। अब भी इनको वहां पर 22 हजार वोट ही मिली हैं। मुझे इनकी प्लस बी०जे०पी० की भी मिलाकर इनसे ज्यादा वोटे मिली हैं। (विघन) ये अपनी बात भूल रहे हैं। (विघन) ये जो डिवैल्पमैंट की बात कर रहे हैं, इस बारे में मेरा कहना है कि सारे हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डिवैल्पमैंट के कार्य किये हैं। यमुनानगर में भी पिछले अढ़ाई साल से डिवैल्पमैंट कार्य हुए हैं। इन्ही विकास कार्यो का नतीजा है कि हमें हमारी वहां की वोटे मिली हैं।

वर्ष 2002 – 2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। हरी पगड़ी को भी बधाई देता हूं। ये इस पगडी को रात को भी उतार कर नही सोते। रात को भी सिर पर रख कर सोते हैं और दिन में भी सिर पर रखते हैं, इसी लिए मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद दे रहा हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, बजट में एक बात आपने देखी होगी कि सम्पत सिंह जी ने अभी

तक 3 बजट पेश किए हैं। पहला बजट जो पेश किया गया था उसकी प्र मार्च की तारीख थी। दूसरा जो बजट पेश किया उसकी छ मार्च की तारीख थी। (विघ्न) क्योंकि छ का आकड़ा अशुभ होता है यानि 13 को अपशकुन मानते हैं। इस छ तारीख के बारे में बताना चाहूंगा कि ये 13 तारीख से बचते चले आ रहे थे लेकिन अबकी बार मुख्यमंत्री जी ने इनको बड़ो होशियारी के साथ 13 तारीख में फंसा दिया। आपने यह मौजूदा बजट 13 मार्च को पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय. आपने भी पार्लियामैंट मे एम०पीज० को सुना होगा। (विघन) वहां पर कहा गया कि ज्योतिषियों को बुलावाओ। उनका कहना था कि 13 का आकडा खतरनाक साबित हो रहा है। 13वी पार्लियामैंट में 13 सांसद तो अब तक जा चुके हैं। (विघ्न) औरों की लाईन लग रही है इसलिए इसका कुछ न कुछ इलाज कर लो। आपके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी वही काम कर दिया कि आपको इस 13 तारीख में फंसा दिया। मेरा कहना है कि आप भी ज्योतिषियों को बुला कर कोई पूछा करवा लो। कुछ अच्छा करवा लो, नहीं तो सम्पत सिंह जी तेरा इलाज हो गया, यह बात पक्की है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आपने डाक्टर जय प्रकाश जी की भी डेट दिखवा ली होगी। (विघन) वहां तो 13 तारीख का समीकरण न हुआ होगा। (विघन)

श्री मांगे राम गुप्ताः वित्त मंत्री जी, आपने बजट मे घाटे की बात कही है। आप जरा अपना यह बजट भी देख लें और

पहला बजट भी अपना देख लें। मेरे पास आपके पिछले बजट की भी कापी है। (विघन)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): हमने तो देखा स्था है। आप कोई सुझाव दो। (विघ्न) **श्री मांगे राम गुप्ता:** उपाध्यक्ष महोदय. मैं कोई छोटे कद का आदमी थोड़े ही हूं। मैं तो आप सब को दिखाई दे रहा हूं। (विघन)

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी, आप चेयर को सम्बोधन करें। आप इधर–उधर न देखें। (विघन) **श्री मांगे राम गुप्ता:** उपाध्यक्ष महोदय. मुझे तो किताब भी देखनी पडती है।

श्री उपाध्यक्ष: आप किताब भी देखो और चेयर को भी देखो।

श्री मांगे राम गुप्ता: आपकी तरफ देखूंगा तो फिर किताब क्या देखूंगा। (विघन) सम्पत सिह जी, इसमे आपका जो पिछला बजट है उसमे आपने कहा था कि आपका वह बजट 295. 36 करोड रुपये के घाटे के साथ आरम्भ होगा ओर 487.06 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होगा। इस प्रकार वर्ष के दौरान लेन –देन में कुल 191.70 करोड रुपये का घाटा होगा। फिर 2002 –2003 का जो बजट है वह 487.6 करोड रुपये के घाटे के साथ आरम्भ हो रहा है और 689.26 करोड रुपये के घाट के साथ समाप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार आगामी वर्ष कै दौरान 202 .20 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। (विघन) प्रोफेसर साहब,

आपकी बजट स्पीच के आकडे 202. 20 करोड़ रुपये के घाटे का बजट अनुमान पेश कर रहे हैं। 202 करोड रुपये का घाटा है फिर भी आपने बड़ी फ्राखदिली से बजट पेश किया है और कहा है कि इस में कोई कर नही लगाया है।

प्रो० सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, गुप्ता जी की जानकारी के लिए मैं इनको बताना चाहूगा कि अखबारों मे जो हैडलाईन आई है उसमे कहीं करमुक्त नही कहा गया है। 20 परसैंट ओन लाईन लॉटरी पर टैक्स हमने लगाया है, करमुक्त की बात अखबार मैं कहीं भी नहीं आई है। गुप्ता जी, आप अपने आपको दुरुस्त कर ले और आप तो वैसे भी सीनियर मैम्बर हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए मैंने कोई बजट पेश नही किया है जो वास्तविकता थी वही मैंने पेश की है।

श्री मांगे राम गुप्ताः वित्त मंत्री जी, आप यह तो बताएं क्यों कि बजट मे आपने यह बात क्लीयर नही की कि आपने कितने कर लगाए और उससे स्टेट को कितना लाभ होगा। इसका कोई आकड़ा आपने नहीं दिया है आप शायद यह भूल ही गए हैं। पिछली बार अन्पका घाटा 54 करोड़ रुपये प्रस्तावित था परन्तु आपने उसको 191 करोड रुपये तक पहुंचा दिया। अब जो आए 202 करोड़ रुपय का घाटा प्रस्तावित कर रह हैं और जिस तरह से बजट पेश कर रहै हैं ओर जिस तरह से आपकी सरकार चल रही है, आपकी प्लान्ज बन रही हैं उसमे लोगों पर टैक्स लगाने मे आपने कौन सी कसर रखी है। बजट मे तो आपने चाहे कोई टैक्स

नहीं लगाया लेकिन वैसे टैक्सों की झड़ी लगा दी है। आप तो कहते थे एस०टी० फार्म 30 लगने के बाद हरियाणा के फाईनैंस में कोई दिक्कत ही नही रहेगी। 35 परसैंट आपने रैवेन्यू में इन्क्रीज किया और उसके बाद 202 करोड रुपये का घाटा आप बजट में दिखा रहे हैं जबकि 202 करोड़ के घाटे में ग्रीस लौस तो 889.26 करोड़ रुपये का हो गया क्योंकि यह 202 करोड़ रुपये का घाटा 400 करोड़ रुपये तक अवश्य पहुंच जाएगा। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जो सरकार जनता के ऊपर समय समय पर टैक्स लगाती रही हाउस टैक्स हो, ट्रेड टैक्स हो, अर्बन डिवैल्पमैंट टैक्स हो, हलवाई टैक्स हो, यानि तरह तरह के टैक्स लगा लिए और जब फिर भी काम नहीं चला तो दूसरी तरफ से कर्जा ले लिया। टैक्स क्या करेंगे इन्होंने तो हरियाणा को मार ही दिया है। कहां तो 30 साल में सारी स्टेट पर 8 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था आज चार साल में 20 हजार करोड़ रुपये से पार कर गया है। मेरे ख्याल से यह कर्जा 20 हजार करोड़ रुपये से ऊपर ही है। फिर टैक्स लगाने की क्या जरूरत हे कर्जा ही लीजिए। क्या इस कर्जे को सरकार भुगतेगी इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, क्या मुख्य मंत्री भुगतेगे (विघन) मुझे भी दिक्कत है क्योंकि मैं भी हरियाणा का नागरिक हूं इसलिए मैं भी भुगतूंगा (विघन) असर तो आप पर भी पड़ेगा। यह कर्जा हरियाणा की जनता के ऊपर एक बहुत भारी बोझ है।

नगर एवं ग्राम आयोजन। मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वायट ऑफ आर्डर है। श्री मांगे राम जी स्वयं पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और आज तो ये खुलासा कर रहे हैं लेकिन अगर ये अपने टाईम में झांक कर देखें तो पता लग जाएगा। आज से तकरीबन सात–आठ साल पहले मैंने मांगे राम जी से यह आग्रह किया था कि कर्जे लेने का जो हैण्ड आ रहा है उससे आगे चल कर बड़ी भारी दिक्कत पैदा होगी लेकिन तब तो ये विकास की बात करते थे और वर्तमान सरकार जब सड्कों के लिए, नहरों के लिए या दूसरे और कार्य करने की बात कर रही है तो ये नागरिकता को ले कर चलते है। यह सारे प्रदेश की जिम्मेदारी है और मांगे राम जी से में एक बात पूछना चाहता हू कि जब ये स्वयं वित्तमन्त्री थे और इन्होंने दुनिया भर के कर्जे लिये थे उस समय यह नागरिकता कहा चली गई थी (विघन) मैं तो प्यांयट ऑफ आर्डर पर बाल रहा हूं। मांगे राम जी वित्तमन्त्री थे और आप खुद भी मंत्री थे उस समय विदेशों से सलाहकर मंगवाए गए थे। हमारे इन्जीनियर्ज बेकार दो और हमारी सड़कें बेकार थी। करोडों रुपया इस पर खर्च किया गया था। विदेशों से जो आदमी आए थे उनको हरियाणा की भौगोलिक जानकारी नही थी उनके लिए पेमैंट हमारे खजाने से हुई है।

Shri Bhupinder Singh Hooda : Deputy Speaker Sir, Is it a point of order,

श्री धीरपाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने कर्ज वाली जो बात कही है मैंने उसी पर चिन्ता जाहिर की हे।

श्री उपाध्यक्षः धीरपाल सिंह जी और भूपेन्द्र सिंह जी आप अपनी सीटो पर बैठें। मागें राम जी आप कन्टीन्यू करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह कोई समाधान नहीं है मेरे सवाल का कि इन्होने अपने समय में यह किया था और वह किया था। हमने जो किया था वह भुगत लिया है। हमने जो गलती की थी उसकी सजा जनता ने हमें दे दी है लेकिन आप अपनी सोचो। आपका यह क्या जवाब है कि हमने अपने समय में यह कर दिया वह कर दिया। पीछे क्या हुआ उसको छोड़ो। यह क्या आपका जवाब है। (शोर एवं व्यवधान) सरकार कीं प्रेजैन्ट पोजिशन क्या है, हम तौ उसके बारे में जानना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब चौटाला साहब की लोकदल की सरकार बनी तो उस वक्त इन्होंने वित्त विभाग सम्पत सिंह जी को दे दिया। मैंने पहले भी इस बारे में कहा था कि इनकी सरकार में मुझे इनके अलावा कोई पढा लिखा दिखता ही नहीं है। (शोर एव व्ययधान)

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, आपको ज्यादा चिन्ता हैं तो आप इस तरफ आ जाए।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय आप मेरे लिए भी इस तरह की बात कर सकते हैं मैंने जिन्दगी में कभी इधर उधर

नहीं किया है। मैं जहां हूं वहीं रहा हूं। इधर उधर जाने की मेरी आदत नही है। मैंने कभी बदली–सदली नहीं करी है। (शोर एव त्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा का विकास कहां जा रहा है। किसी स्टेट का विकास या हरियाणा का विकास वर्ल्ड बैंक से और दूसरी सस्थाओं से कर्जे लेकर नहीं होता है। कर्जे लेकर विकास करने में सरकार की बहुत बडी कामयाबी नही हुआ करती है। सरकार की अपनी प्लान होती है और उसी के हिसाब से स्टेट के विकास होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2000 –2001 का प्लान बनाया था और सम्पत सिंह जी आप ही उस वक्त वित्त मंत्री थे और आप धन आते ही कहने लगे कि बहुत बडा प्लान है हम इसको एडवांस कर देंगे, हरियाणा का विकास कर देंगे और अपने रिसोर्सिन्ज बढा लेंगे, हम यह कर देगे और वह कर देगे। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार से पहले जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी तो उन्होंने उस वक्त 1800 या 1900 करोड रुपए का प्लान बनाया था। इनकी सरकार ने आने के बाद उस प्लान को 2530 करोड रुपए का कर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने खूब मेहनत की लेकिन यो एक साल में जो रिसोर्सिज जोड़ पाए थे वे केवल 1815 करोड़ रुपए के हा जोड़ पाए थे। यह सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। इनकी 2530 करोड़ रुपए की प्लान बनी थी और रिसोर्सिज केवल 1815 करोड रुपए को ही जुटा पाए थे। ये बहुत कहते थे कि हम टैकस लगाएंगे छापे मारेगे, पेनल्टी लगाएंगे और एस० टी० –30 लगाएंगे और फिर दोबारा इन्होंने 2150 करोड रुपए की प्लान बना ली।

उपाध्यक्ष महोदय, 2150 करोड रुपए मे से ये केवल 1838 करोड 68 लाख रुपए के ही साधन जुटा सके थे। इन्होने खुद जो साधन जुटाए थे, वे सिर्फ 1681 करोड़ 70 लाख के थे और 570 करोड़ 30 लाख रुपए देन साधन केन्द्र द्वारा जुटाए गए थे। केन्द्र के साधनो को मिलाकर ही ये केवल 1638 करोड़ 68 लाख रुपए के ही साधन जुटा सके थे। उपाध्यक्ष महोदय इस साल जो इन्होंने प्लान बनाया है वह 1922 करोड 50 लाख रुपए का बनाया है। इस बार, यै सम्भल गए हैं। इन्होंने टैक्स लगा कर, छापे मार कर, पैनल्टी लगा कर और एस० टी० –30 लगा कर देख लिया कि दम्भग होता है। अब इन्होंने 4.5 प्रतिशत इन्क्रिज अपने प्लान में की है और 1922.50 करोड रुपये की इन्होंने योजना बनायी है और उसमें भी अब 456.6 करोड़ रुपये इसमे केन्द्रीय सहायता का अनुमान है। 1400 करोड़ रुपये इनका फिर घाटा हो गया 1581 करोड़ रुपये का अनुमान था जबकि 1466 करोड़ रुपये ये कह रहे हैं तो यह तो हम बाद में देखेंगे कि किस किस योजन। को ये पूरा करवा पाएगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा कग कि स्टेट की दो हजार करोड़ रुपये की प्लान हो और उसमें भी यदि वह कर्जे दुस या बारह करोड़ रुपये के ले ले और उसके बाद यदि दै। सौ करोड रुपये की करंट घाटा निकालकर स्टेट को सौ करोड रुपये के डैफिसिट मे भेज भै तो मैं कहूगा कि यह बहुत बडी सरकार की नाकामयाबी है। सम्पत सिंह जी, इस बारे में आप मेरी बात का बुरा न माने। आपने बजट बनाने मे मेहनत नही की हैं। अगर आपके पास पिछले साल की बजट की कॉपी हो तो आप देखे।

आप पाएगे कि 2001 –2002 की बजट स्पीच में भी 36 पेज हैं और 2002 –2003 की बजट स्पीच में भी 38 पेज ही हैं। मैंने इनमें आकडें देखे हैं डिपार्टमेंटस देखे हैं उपाध्यक्ष महोदय, हू ब हू बिलकुल वही बात इस बार की इनकी बजट स्पीच में है जैसे पिछली बार की बजट स्पीच मै थी। इन्होंने उसकी कापी कर रखी है। कुछ आकडे जरूर इन्होंने चेज किए हैं वरना जो महकमे ने इनको पिछले साल की बजट की कॉपी करके दे दी उस पर ही इन्होंने दस्तख्त कर दिए हैं। (विघन) इनको मेहनत करनी चाहिए थी क्योंकि यह स्टेट का सवाल है। अन्जान आदमी से काम नहीं चलता अगर ये अनजान आदमी होते तो वित्त का महकमा इस सरकार ने इनके पारस थोड़े ही रहने देना था। इसलिए में कडु रहा हूं कि ये मुख्यमत्री की ओट चढ़ गए हैं। ये छ तारीख का ऑकड़ा संभाल कर रखें। इसी नाकामयाबी का इशारा चौटाला साहब का इनकी तरफ है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि पिछला इनका जो बजट था उसमे इन्होने कहा था कि इनकी सरकार किसान हितैषी है। अच्छी बात है किसान के हित में बातें होनी चाहिएं। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने किसान के हित की बातें करते हुए बिजली पानी को मुफ्त देने की बात कही थी और यह इन्होंने एक बड़ा नारा भी दिया था और इसलिए ही पिछले साल के बजट में इन्होंने टोटल प्लान का 54.6 प्रतिशत बिरउनली, सिंचाई, सड़क और परिवहन पर खर्च करने की बात कही थी। उपाध्यक्ष महोदय, 54.6 प्रतिशत में से सिंचाई पर इन्होंने 367.10 करोड रुपये और बिजली पर 485 करोड़ रुपये खर्च करने

की बात कही। जबकि किसान हितैषी सरकार ने इस बार बजट में बिजली सिंचाई, सडक एवं परिवहन क्षेत्रों के लिए 54.6 प्रतिशत के बजाए 420 प्रतिशत कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बार टोटल बजट के प्लान का 42.13 प्रतिशत बिजली सिंचाई और सड़क परिवहन पर खर्च करने छ। बात इन्होंने कही है। कहां पिछले साल 54.6 प्रतिशत खर्च करने की बात इन्होने की यानी पहले इन्होंने किसान को इतना ऊंचा उठाने की बात कहीं और कहां अब ये उसको एकदम से इतना नीचा लाने की बात कर रहे हैं। आज रामपाल माजरा जी बिजली के मामले में बड़ा ढिंढोरा पीटते हुए कह रहे दो कि बिजली के महकमे ने बडी तरक्की की है हमने यह कर दिया हमने वह कर दिया। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको बताया कि 485 करोड़ रुपये पिछले साल के प्लान में बिजली पर खर्च करने की बात इन्होंने की थी और अब रामपाल माजरा जी नोट करेगे कि 166.56 करोड़ इस मद के लिए रखे गए हैं। 485 करोड़ की बजाय 166.56 करोड रुपया बिजली के ऊपर खर्च करने का प्रावधान किया गण? है। यह तो इनका विकास है ये हमदर्दी है लोगों के प्रति। ये बिजली का उद्धार करना चाहते हैं और सिंचाई में 367.10 करोड की बजाय 300 करोड़ रुपया रखा गया है। एस० वाई० एल० के बारे मे प्रस्ताव मिला है यह मुझे बहुत खुशी है। 1995 में जब पंजाब में उग्रवाद था तो वहां जाने की हरियाणा के मंत्री और एम० एल० एज० की हिम्मत नही थी, उस वक्त पंजाब मे एक सम्मेलन बुलाया गया था और मुख्यमंत्री जी ने मुझे वहां भेजा था। पंजाब मैं बेअंत

सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे तब अकाली नेताओं ने एस० वाई० एल० के बारे में टिप्पणी की थी तो मैंने मंच पर कहा था कि अकाली नेताओं मेरी बात को याद रखो, हरियाणा के लोग इतने कमजोर नहीं हैं। आज तीस साल से आप अपने छोटे भाई से ज्यादती कर रहे हैं अगर ये ज्यादतिया आपने जारी रखी तो हरियाणा के लोग आपको हरियाणा की सड्कों पर नहीं चलने देगे। यह बात मैं आज नही कह रहा हूं ये मैंने तब कही थी। हमें तो एस० वाई० एल० की इतनी तड़प थी। क्या प्रस्ताव पास करने से काम चलेगा। आप सिचाई पर 367.10 करोड़ की बजाय 300 करोड़ रुपये का प्रावधान करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनका फर्ज ये बनता था कि ये बजट मे एस० वाई० एल० की मुरम्मत के लिए फंड रिजर्व करते, बजट में मार्क करते तब लोगों को इस सरकार पर विश्वास होता। (विघन) इससे आपकी नीयत लोगों को साफ दिखाई देती है। और कहां तक आपको बताएं? नैचुरल कैलेमिटी किसी के बस की बात नही है। कपास के उत्पादन की फिगर्ज आपने दिखाई हैं जितनी पैदावार किसानों ने कपास की की थी उसकी 50 परसैंट गांठें भी नहीं हुई। लोग मारे गए और आपने बजट में नैचुरल कैलेमिटी के लिए कोई व्यवस्था नही की। आपत्ति कोई भी आ सकती है, फ्लड आ सकती है. ओले पड सकते हैं, किसी की फसल में आग लग जाए, कोई और बात हो सकती है।

प्रो० संपत सिंह: मांगे राम जी आप बुरा न सोचें।

श्री मांगे राम गुप्ताः सम्पत सिंह जी मैं बुरा नही सोच रहा हूं। एक बात मैं आपको बताऊ। हरियाणा के लोगो के मन में यह बात है कि जब जब भी इनका राज आएगा तब तब नाश होगा। ओले जरूर पड़ेंगे। फसल में कीड़ा जरूर लगेगा। कपास में सुंडी का नाम अमेरिकन सुंडी इसलिए पड़ा, कि वह अमेररिका से आई। अमेरिका से आई तो महाराष्ट्र पड़ा, मध्य प्रदेश आया, यू० पी० आया, दिल्ली आई तो यह सुंडी हरियाणा को ही क्यों खा गई?

श्री उपाध्यक्षः मांगे राम जी, आप काफी वरिष्ठ मैंबर हैं जहा तक सुंडी के प्रकोप की बात है इससे न केवल हरियाणा अफैक्टिड हुआ है बल्कि जहां तक मेरा ज्ञान है इसका आध—प्रदेश और दूसरे प्रदेशो में भी प्रकोप हुआ है। इस सुण्डी का असर दूसरे प्रदेशो में भी क्या है, यह हरियाणा प्रदेश अकेला नही है जहां इसका असर हुआ है। धर्मबीर जी आप आन्य प्रदेश में जाकर देखे जहा भी कपास की फसल होती है उस सुक्खी का असर सभी जगह हुआ है।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, कपास की फसल अगर आप मध्य प्रदेश ओर महाराष्ट्र मे जाकर देखे तो वहां पर पिछले साल से दुगुनी फसल की पैदावार हुई है। वहां पर कपास इतनी पैदा हुई है कि उसको खरीदने वाला ग्राहक नही मिला और हरियाणा के व्यापारियों ने अपने यहां कम पैदावार को देखते हुए 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास खरीदी क्योंकि

कपास की पैदावार हरियाणा में कम हुई है जबकि दूसरे प्रदेशों में कपास को कोई लेने वाला नही मिला उन्हें तो कपास 1700 – 1800/ –रुपये प्रति क्विंटल में बेचनी पड़ी हे।

चौ० नफे सिंह: राठी डिप्टी स्पीकर सर, माननीय सदस्य मांगेराम जी ने किसानों के बारे में चर्चा की है और इनको किसानों के प्रति बड़ी चिंता है लेकिन ये किसानों के प्रति चितिंत तभी होते हैं जब विपक्ष में बैठते हैं। पिछले वर्ष श्री मांगेराम जी ने गेहूं की खरीद के बारे में इस सदन में चर्चा की थी और कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी भीगे हुये गेहूं खरीद रहे हैं जिससे सरकार को करोड़ो रुपये का नुकसान हो रहा है। तब माननीय मुख्यमत्री जी ने इस सदन में खड़े होकर कहा था कि हम किसान को मरने नहीं देंगे चाहे भीगा हुआ गेहूं ही क्यों न हो किसानों का एक–एक दाना खरीदने का काम यह सरकार करेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय यह कहा था कि हरियाणा में गेंहू की पहली बार रिकार्ड तोड़ परचेज 65 लाख टन हुई है और वह बात मैं आज भी कह रहा हूं। इसके साथ –साथ मैंने यह बात भी कही थी कि आज सरकार के जो आकडे हैं, जिस भी गोदाम में, जमीन में खुले आसमान के नीचे गेंहू खरीद करके रखा हुआ है उसमें से 10 लाख टन गेंहू बर्बाद हो कर सड रहा है। अगर उसका नुकसान आप फलाआग तो यह म्हारी प्लान. खून, बजट, बजट धरा का धरा रह जाका। पैडा छुटै कौनी थ्हारा तो पैड। एक बात मैं छूट रयहा सै कि यो

सैन्टर थ्हारै कब्जे मैं आ रहा सै और सारा बोझ उस पर डाल राख्या से जिस दिन हरियाणा के जिम्मे पड गया उस दिन सारे घातन बिक ज्यागें उसकी पूर्ति कही से भी नही हो पायेगी (शोर एवं व्यवधान) सैंटर गवर्नमैंट यह नही कहती। हमने उस वक्त 33 लाख टन गेहूं की परचेज की थी। सपोर्ट प्राइस पर खरीद करके कोई एहसान थोडी कर रहे हो सैंटर ने सपोर्ट प्राईस गेहूं का 610/ – रुपये प्रति क्विंटल रखा था जबकि हरियाणा के किसान का गेहूं 500/ – प्रति क्विंटल में खरीदने वाला कोई नहीं था इसलिए यू०पी० से अडगा लाकर गोदामों में भरा है। आज भी मैं यह बात कह रहा हूं कि अगर कोई चीज आदमी अपने बिहाफ पर खरीदे 100/– रुपये में अपनी जेब से पैसे देकर खरीदनी पड़े तो आप बहुत सोच समझकर खरीदते हो और दो तीन जगह ट्राई करके अच्छी चीज खरीदते हो और जब कोई दूसरा उस चीज के पैसे देने वाला हो तो आप सोचोगे कि मुफ्त में खरीद रहा है कोई लेणी सैं वाहे ले ले, के लागै सै घर तै थारै घर पै कोई बोझ नही पडा बहुत पैसा बना है। मैं मानता हूं कि सरकार को काफी लाभ हुआ है। गेहूं खरीदा तो मार्किट फीस मिली, सेल्स टैंक्स मिला, कमीशन मिली और अगर स्टेट के लाभ के लिए सारे देश का नाश हो जाये ये क्या अच्छी बात है (विघन)

श्री रमेश खटकः उपाध्यक्ष महोदय सैंटर गवर्नमैंट नै उस समय गेहू का भाव 610/– रुपये निर्धारित किया था।

श्री मांगे राम गुप्ताः उसमें म्हारा क्या था।

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरीफिकेशन देना चाहूंगा, श्री मांगेराम जी ने जो बाकी मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब तो मैं बजट स्पीच के समय दूंगा। उन्होंने आकडे दिए हैं कि एस० वाई० एल० का जिक्र नहीं वह मैं सारी बता दूंगा दिन कहां जिक्र है। अब तो केवल मात्र जो उन्होंने किसान की चिंता जाहिर की है कि सैंटर का माल किसानो के लिए लुटा दिया। सरकार बकायदा हर्जाना सह सकती है लेकिन अगर किसान के ऊपर हर्जाना पड़ गया तो सरकार कहां से रहेगी। इसलिए किसान पहले है और सरकार बाद में है चाहे वह सैन्टर की सरकार हो या फिर हरियाणा की सरकार हो। दोनों सरकारों के लिए ही किसान का हित पहले है। अगर किसानों के हितों के लिए फालतू खर्चा भी करना पडा तो हम करेगें ताकि किसान को फायदा मिल सके। किसान जिस दिन मर गया तो सरकार कहां से रहेगी चाहे वह सैन्टर की सरकार हो या फिर हरियाणा 'सरकार हो। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय. मैं इनको करना चाहूंगा कि ये यह। अच्छे–अच्छे सुझाव दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगेराम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर हम अच्छे सुझाव देंगें तो क्या ये उन सुझावों को मान लेंगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः काई भो सदस्य रानी कमैंटरी न कर 1

श्री मांगेराम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, फ्री बिजली पानी का इनका नारा था और यह नारा तो इनको गांवो मे ले डूबा। लेकिन शहरों में इन्होंने हाउस टैक्स लगा दिया, हां उसमें थोड़ी सी अमैंडमैंट जरूर कर दी. प्रोपर्टी पर ट्रेड टैक्स लगा दिया, इन्होंने हलवाई टैक्स लगा दिए तथा इस प्रकार के और कई टैक्स इस सरकार ने लगा दिए।

श्री उपाध्यक्षः मागेराम जी आप वाइंड अप करें और अपनी बात को तेजी से कहैं। **श्री मांगेराम गुप्ताः** उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो कहा था कि खुलकर बोलें आपको टोकेंगे नही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मांगेराम जी, मैं टोकने से आपको प्रोटैक्ट कर रहा हूं।

श्री मांगेराम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि बजट के अन्दर किसानों के हितो के लिए पैसा रखा जाएगा लेकिन इस सरकार ने बिजली और सिंचाई के लिए बजट में पैसे की कमी की है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में बेरोजगारी को दूर करने की भी बात कही गई है। सम्पत सिह जी आपने जब सरकार बनाते ही पहला बजट दिया था तो कहा था कि हरियाणा में 20 हजार करोड़ रुपये इडस्ट्रीज पर इन्वैस्टमैंट के लिए हमारे पास आफर आए हुए हैं और उसमें डेढ करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन आज हालत यह है कि 379 करोड रुपये की

इडस्ट्रीज पर इन्वैस्टमैंट हुई है और साढे 5 हजार लोगो को ही रोजगार मिला है। इतनी बड़ी बेरोजगारी आज हरियाणा मे है। सरकार ने 5500 पोस्टे अबोलिश कर दीं। आज कहीं नौकरी नहीं है। आज नौजवानों के पास कोई काम धन्धा नही है। नौजवानो का रूझान क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) नौजवान आज रास्ते से भटक गए हैं और यदि इस बेराजगारी की बीमारी को दूर नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि हरियाणा बिहार की तरह जल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में किसी की इज्जत सुरक्षित नही है। आज बसों और रेलों मे सफर सुरक्षित नहीं है। दिन दिहाडे बसें लूटी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके पानीपत जिले में पानीपत और सोनीपत के बीच 2 –3 बार रेलें लूटी गई हैं इसलिए रेलों में भी सफर सुरक्षित नही है, अपनी कारों में भी सफर सुरक्षित नहीं है। आज दुकानें सुरक्षित नहीं हैं, बैंक सुरक्षित नहीं हैं। जहा तक मैं बैंको के बारे में बताऊं तो सिरसा जिला जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो का जिला है वहां डींग के पास सरेआम बैंक के मैनेजर को गोली मार दी गई और कैश लूटकर ले गए। जगह–जगह बैंको में डकैतियां हो रही हैं, दुकानों में डकैतियां हो रही है और भरे भराए ट्रक लूटे जा रहे हैं, अम्बाला में 85 लाख का माल ट्रकों में भरकर ले गए, अध्यक्ष महोदय आपके पानीपत जिले में 25 गाठें ट्रक पर लादकर ले गए, रिवाड़ी में 5 लाख का चने का भरा भराया ट्रक लूटकर ले गए। यमुनानगर जहां से ये चुनाव लड़ कर आए हैं वहां लाडवा में दिन दिहाडे 5 लाख का चावल सहस

शत्पर से लादकर ले गए। अध्यक्ष महोदय, फोर्स के होते हुए भी डैकेती, चोरी, किएडनेपिग हो रही हैं।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जो वाईड अप करें।

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय कृषि मंत्री जी की भैंसें ले गये और मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार की भी मुंडाल गांव से 18 भैंसे चोरी हो गई। (विष्य)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी आप 45 मिनट बोल चुके हैं, आपने 12 बजकर 7 मिनट पर बोलना शुरु किया था। प्लीज आप वाईंड अप करें। (विघन)

श्री राम कुमार नगूराः अध्यक्ष महोदय, हमारे भूतपूर्व वित्तमंत्री मांगे राम जी ने बजट पर अपनी जीभ खूब लपकाई है लेकिन मैं मांगे राम जी को बताना चाहूगा कि हमारा बजट यूक बिलोने दफ बजट नहीं है (विघप)। जिस समय ये वित्तमंत्री थे उस समय ये जो बजट लाये थे उसमे और हमारे बजट में दिन रात का अंतर है। लेकिन फिर भी हमने कभी भी ऐसी बात नहीं कही जो गुप्ता जी कह रहे हैं। ये कभी पंजाब में जा रहे हैं, कभी हिमाचल में जा रहे हैं और कभी यू०पी० में जा रहे हैं लेकिन बजट पर कोई सुझाव नही दे रहे। इनको सुझाव देना चाहिए कि पैसे की कमी है तो ऐसे काम करना चाहिए लेकिन ये इधर–उधर की ही बातें कर रहे हैं।

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय मेरा सुझाव यह था कि हरियाणा के लोगों की सुरक्षा के लिए इस बजट में कुछ नहीं दर्शाया गया है। यह ठीक है कि लोगों को ये सड़क बनवा कर दें देंगे अच्छे सिवरज सिस्टम का भी इन्तजाम करवा देंगे, बसों का इंतजाम करवा देंगे लेकिन अब तक व्यक्ति की जान माल भी सुरक्षा न हो तब तक इन चीजों की कोई वैल्यू नही रहती। हरियाणा की जनता की सुरक्षा हरियाणा पुलिस कर सकती है लेकिन हरियाणा पुलिस को ली एंड आर्डर की स्थिति को कंट्रौल करने के लिए क्या नई टैक्नीक के हथियार दिए जायेंगे या पुलिस बल को कंस पावरफुल बनाया जायेगा ताकि लोगों की जान–माल की सुरक्षा हो। इस बारे में बजट में कही जिक्र नही किया गया अगर किताबों में अलग से छाप रखा हो तो अलग बात है।

प्रो० सम्मत सिहः अध्यक्ष महोदय, बजट में पूरी ट्रांसपैरेंसी है, किताबें इनको दी गई हैं, ये किताबैं पढ़ते तो है नही जिस समय मैं अपनी रिप्लाई दूंगा उस समय मैं इनको इस बारे में भी बताउंगा। जिस दिन सदन में बजट पेश किया गया था उस दिन से ये किताबें पब्लिक डॉसुमैंट बन गई थी। अन्दर ये किताबें पढ़ें तो इनको मालूम हो जायेगा कि कहां क्या –क्या दिया त्वा है। ये कभी कह देते हैं कि बजट में एस०वाई० एल० का जिक्र नही है, कभी पुलिस की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में सब कुछ दिया हुआ है, इनको पढ़ना चाहिए।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी आप दो मिनट मे वाईड अप करें।

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय. आप कहेंगे तो मैं अभी बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्षः अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप बैठ सकते हैं आप पहले ही काफी देर बोल चुके हैं।

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कण्डेला काण्ड के बारे में यहां बहुत बार चर्चा हुई। मैं माजरा साहब से पूछना चाहता हू वे मेरी बात ध्यान से सुने और फिर जवाब दें। वे कह रहे थे कि बिजली के बकाया बिलों की उनकी सरकार ने 80 से 85 प्रतिशत की रिकवरी की है। इस बारे मे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जीद जिला जो मुख्यमत्री जो का भै। जिला है और मेरी हल्का भी उसी जिले में है, मुख्यमंत्री जी ने भी नरवाना से चुनाव जीता है। वहां पर दिसम्बर 2001 तक 100 करोड़ रुपये बिजली के बिलों का बकाया था।

स्पीकर साहब, आज जीन्द जिले के 119 करोड़ रुपये बिजली के बिल के बकाया हैं। इनमें से 93 करोड़ रुपये डामोस्टिक के हैं और 27 करोड़ रुपये के करीब टयूबवैल्ज के हैं। इनमें से 112.16 करोड रुपये देहात का है और 6.72 करोड़ रुपये शहर का है।

श्री अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज का तो नही हैं।

श्री मांगेराम गुप्ताः यह इन्डस्ट्री की बात नहीं है। यह तो बिजली के बिल के बकाया की बात है।

श्री अध्यक्षः बिजली के बिल की बात तो है नही। (विघन)

श्री मांगेराम गुप्ताः फिर आप उनको माफ क्यों नहीं करते। (विघन) या तो उनको माफ कर दो। आप मजबूरी में हैं। इन्होंने तो इस बकाया को वसूल करने के लिए कन्डेला मे 1200 गोलियां भी चलवाई हैं। (विघन) वहां पर 22 आदमी जख्मी हुए हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः वहां पर कोई जख्मी नहीं हुआ।

श्री मागेराम गुप्ताः फिर आप क्या करने गये थे वहां पर ....

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी की अशुद्ध बातें रिकार्ड न की जायें।

श्री मांगेराम गुप्ताः स्पीकर साहब, कन्डेला गाव मेरे हल्के का गांव है। इस गांव मैं आज 95 परसैन्ट डिफाल्टर्ज हैं जो बिजली के बिल नही भरते। (विघन) मैं हमेशा इस बात को कहता था कि बिजली के बिल भरो। मैं हमेशा कहता था कि ये बिजली के बिल माफ नही हो सकते। इसी कारण इस गांव के जो 95 प्रतिशत डिफाल्टर्ज थे वे मेरे खिलाफ थे। मै आज मुख्यमंत्री जी को और सरकार को यह बात कह रहा हू कि आपको जो राज मिला हैं वह बिजली माफी पर मिला है। आप इसका माफ कर दो। आज हरियाणा के किसान बिजली का बिल भर नहीं सकते। जहा

किसानो पर बिजली के बिल के 1000 रुपये बकाया थे, अन्य बढकर उनके खिलाफ लाखों रुपये बकाया हो गये है, वे मर जायेंगे, आप गोलिया बरसाये. उनको हरियाणा से निकाल दें। लेकिन बिजली, के लेकर के दिखाएं तो हम मान, वरना माफ कर दे। इसी मे अपिका और किसान का भला है। (विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः ये उत्तेजना दे रहे हैं। (विघन)

श्री मांगेराम गुप्ताः अरे रमलू तमने कहां कहां रोऊं। (विघन) थम कड़े–कड़े इनकी गिनती करोगे। (विघन) अरे आज क्या हालत है फाईनैंस की। अरे कर्जा ले करके आपका पेट भरे नहीं, टैक्स लगा करके पेट भरे नहीं। (विघन) आप लोगों की फसल की प्रोक्योरमैंट की बात कह रहे हैं। आज सरकार ने लोगों के यानि आढ़तियों के बहुत सारे रुपये रोक रखे हैं। डेढ़–डेढ़ साल से, दो –दो साल से लोगों के पैसे नहीं दिये जा रहे। 3 करोड़ रुपया तो अकेला चीका मण्डी का है आपने 3 बार इन्स्पायरी करवाई। उन्होने 50 लाख रुपया भ्रष्टाचार के हाथो से खर्च कर लिया लेकिन आज से जो डेढ़ साल से उनकी 3 करोड़ रुपये की पेमैंट बकाया है वह उन्हें नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से –फयल का बकाया है। कैथल में 30 –30 लाख रुपये की थेलियौ उन्हौंने भेंट कर दी, सोने की ईटें भेंट कर ली। उन्होंने सारे जोर मार लिए लेकिन उन्हें आज तक पैसे वापस नहीं मिले। ऐसे एक नहीं अनेक केस हैं। अरे आप क्यो लोगों का पैसा, लोगों दही अमानत जिनसे वे गुजारा करते हैं उसे वापस करना चाहिए।

आप उनको 5 – 5 करोड़ या 10 –10 करोड़ रुपया डेढ़ साल तक नही दोगों तो उनका काम कैसे चलेगा, क्या आप उनको ब्याज देकर वापस करेंगे। (विघन) उनका पैसा वापस न करके उन पर बहुत सारी पैनेल्टी लगा दी है। मेहरबानी करके उनको .... तो न करें। (विघन) उनका वह पैसा दे दो। आपने उनको बहुतेरा .... लिया। ऐसी .... देखी नही है। अब ऐसी बात नही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः ये अनपार्लियामैटरी शब्द रिकार्ड न किए जाए।

13.00 बजे

श्री मांगे राम गुप्ताः सोरी सर, अगर मेरे मुहं से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसको निकाल दो, मैं कोई गलत बात कहना नही चाहता। मुझसे यदि कोई गलत शब्द निकल गया है लै। मुझे उसको उल्टा लेने मै कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर साहब, केन्द्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अनाज के मामले में भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो गया है और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अनाज रखने के लिए जगह नही है। खरीदने मे बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। फूड ग्रेन के ऊपर फूड आर्टिकल के तहत जो पुराना कानून था वह एक्ट खत्म कर दिया गया है। आज फूड ग्रेन को लाने ले जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में कोई भी किसान या व्यापारी किसी भी स्टेट में कही

पर भी अनाज ले जाए उसके लिए कोई लाईसैंस नहीं है। अध्यक्ष महोदय सैन्टर ने स्टेट गवर्नमैंट्स को चिट्ठी ईशू कर दी है कि अब फूड ग्रेन पर लाईसैस फी खत्म कर दी है। स्पीकर सर एक हजार रुपये लाईसैंस फी के अलावा उस पर सिक्योरिटी भी है। मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में आज के दिन 50 हजार से ज्यादा फूड ग्रेन लाईसैंसी हैं और महकमें ने मन्जूरी लेने के लिए फाईल भेजी और फाईल सी०एम० सैल तरह गई तो उन्होंने मन्जूरी देने से रिफयूज कर दिया नहीं. हम ऐसे ही पैसे वापिस कैसे कर देंगे। स्पीकर साहब, वह लाईसैंस फी सैंटर गवर्नमैंट ने तो वापिस कर दी है लेकिन ये कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं। (विघन)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, लाइसैंस तो गेहू के इलावा और भी कोमोडीटीज पर है ना।

श्री मांगेराम गुप्ताः स्पीकर सर, पूर ग्रेन को फ्री कर दिया गया है अब किसी पर भी लाईसैंस फी नहीं है। फूड ग्रेन आर्टिकल के तहत जितनी भी लाईसैस प्रणाली थी वह सारी खत्म कर दी गई है। वे एके हजार सिक्योरिटी के ही नही एक हजार एनुअल रिन्यूवल फीस भी ले रहे है। हमारे टाईम में यह फीस 100 रुपये हुआ करतो थी लेकिन आज यह 1000 रुपये रिन्यूवल फीस है और यह सरकार उन लाईसैंसियो से एक हजार रुपये रिन्यूवल फीस भी वसूल कर रही है। इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा उनसे लिया जा रहा है, क्या यह ज्यादती नही है। ये लोग किस बात का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जब सैंटर गवर्नमैंट ने आपको चिट्ठी लिख दी

है कि इस प्रकार के फूड आर्टिकल के तहत कोई लाईसैंस फी नही है तो सरकार को उनकी सिक्योरिटी वापिस करनी चाहिए। रिन्यूवल फीस किस बात की ले रहे हैं। इस तरह की जो धाधली हो रही है वह बन्द होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप बैठें (विष्य) आपका टाईम हो गया है दूसरे मैम्बर्ज ने भी बोलना है, उनको भी मौका मिलना है. आप प्लीज बैठ जाएं। (विघन)

श्री मांगेराम गुप्ताः स्पीकर सर, मैं बैठ जाता हूं लेकिन मुझे पानीपत की एक बाल याद आ गई है मैं यह बात कहना चाहता हूर। स्पीकर सर इण्डस्ट्रीज की इस बजट में बड़ी भारी चर्चा है। मैं यह बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। आकड़ों में तो ये चाहे कुछ भी कहते रहें, दिल्ली में पिछले डेढ़–दो साल मे पोल्यूशन की वजह से बहुत इण्डस्ट्रीज उखाड़ दी गई है। इसके लिए एक दौड़ लगी। स्पीकर सर, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बडे उदार ह्दय से राई के पास बने इण्डस्ट्रियल कॉम्पलैक्स मे सब कौ प्लाट्स दिये। (विघ्न) उन्होंने वहां पर सब को एक–एक प्लॉट दिया। स्पीकर सर, वित्तमंत्री जी, या मुख्य मन्त्री जी इस बारे में बताएं। ये कहते थे कि चार हजार मै ज्यादा हमने वहां पर प्लाटस दिए हैं। चार हजार प्लॉटस में से वहां चार इण्डस्ट्रीज भी नहीं लगी हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि इण्डस्ट्री क्यों नहीं लगाते तो वे यह कहते हैं कि थारे हरियाणे ले ऐसा डर लागै है कि जो इण्डस्ट्रीज चल रही हैँ उनमें ही ताले लग रहे हैं, हम क्यों

फसां हम तो अपनी इण्डस्ट्री कही और ही लगा लेंगे। हरियाणा में कोई इण्डस्ट्री लगाने के लिए आना नही चाहता है। स्पीकर साहब. वह जगह जो सब्जी मण्डी के लिए अनफिट कर दी थी। एक प्रश्न के उत्तर मे मुख्य मंत्री जी का जवाब था उसके अन्दर उन्होंने कहा था कि सब्जी मण्डी के लिए वह जगह फलडिड थी और उसकी रिपेयर कर दी थी। सैंटर ने परमिशन नही दी थी हम वहां पर बहुत बडी सज्जी मण्डी बनाना चाहते थे। उसी रिजैक्टिड लैण्ड को आपने इण्डस्ट्री के लिए यूज करके वहां पर इण्डस्ट्रियल कॉम्पलैक्स बना लिया। स्पीकर सर. मैं आपको आपके पानीपत की बात बताना चाहता हूं। यह सरकार उद्योग की बात तो करती है। पंजाब मे जब उग्रवाद था पंजाब के लोग वहां से उखाड कर आए और पानीपत में लुधियाना के बहुत से लोगों ने मिलकर इण्डस्ट्रियल कॉम्पलैक्स बना लिया। वहां से जो लोग भाग कर आए थे उन्होंने कोई रोजगार तो करना था। उन्होंने पिछली दफा इकट्ठे हो कर गवर्नमैंट को चिट्ठी लिखी। उनके यहा जिसका कत्ल हुआ था उसके फादर का नाम मेरे पास है यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूगा। उन्होने इस प्रकार की कई चिडिया लिखी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नही हुई तथा मुलजिम पकडे नही गए। उनकी एफ०आई०आर० भी लोज नहीं की गई। उन्होने मुख्यमन्त्री जी को जो चिट्ठी लिखी है उसमे लिखा है कि जो हमारी इन्वैस्टमैट है उसकी 50 परसैंट कीमत ही दिला दे ता हम लोग आपका हरियाणा छोड़ कर चले जाएगे। हम तो आपकी इण्डस्ट्री के बहकावे में यहां पर आ गए लेकिन यहां तो जिन्दगी

भी सेफ नही तो इण्डस्ट्री क्या सेफ होगी। स्पीकर साहब. आज वहां इतनी बुरी हालत हो गई है कि वहां उन' इण्डस्ट्री तो क्या पुरानी इण्डस्ट्री चलाने मे भी दर्द हाता है। आपके पानीपत में आपके दोस्त राम निवास गुप्ता हैं। उनके यहां से सरेआम 25 गांठे ट्रक मे लाद पर ले गए लेकिन आज तक न कोई एफ०आई०आर० दर्ज हुई है और न ही कोई मुजरिम पकडा गया है। उनका पता ही नही चला किए वे कौन थे. कहां से आए थे और कहा गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, क्या एफ०आई०आर० दर्ज होना कोई मायना नही रखता है खाते मे वे गांठे नहीं होगी तभी उसने एफ०आई०आर० दर्ज नही करवाई होगी। (शोर एवं व्यवधान) आपका लड़का भी तो पानीपत में फैक्टरी लगा रहा है। उसको किसी आफिसर से, किसी महकमे से और किसी और रो कोई दिक्कत हो तो बता दं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरे लड़के को आप अच्छी तरह से जानते हैं हम आज से नही 22 साल से वह। पर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई सरकार आए या कोई सरकार जाए, हमारी फेक्टरी में कोई बिजली की चोरी नहीं होती है, कोई टैक्स चोरी नहीं होता है सब काम कायदे कानून से करते हैं। मेरे लडके की वहां पर हैंडलूम की फैक्टरी है, हाथ का काम होता हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया है। अब आप वाईंड अप करें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दे इनको राय देने दे। हम इनके सुझावों को नोट कर रहे हैं। हम इनके सुझावों से फायदा उठाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप बजट पर ही बोलें। इधर–उधर की बातें न करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जब आप बाहर गए हुए थे उस वक्त मैं बजट पर बोल चुका हूं। बजट में ऐसा कुछ है नहीं जो इस पर चर्चा करूं। यह बजट तो पिछले बजट की डुप्लीकेट कापी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार का सड़कों पर बहुत जोर है। कुछ हद तक तो सड़कें नई बनी हैं और कुछ सड्कों की मरम्मत भी हुई है। वह कहा की बनी हैं और कहां की मरम्मत हुई है और किस पैसे से बनी है इस बारे में मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा। वे सड़कें प्रधान मंत्री जी से कोई रोड फंड का पैसा के। रहा है या हुडको से लोन ले लिया उस पैसे से बनी हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) बलवन्त सिंह मायना जी आप बताएं कि मार्किटिंग बोर्ड ने एक भी सड़क जींद में बनवाई हो अगर बनवाई है तो आप बता दें। अगर मैं यहां पर जींद टाउन की सड़क की बात कर दूं तो आप कहेंगे कि यह मार्किटिंग बोर्ड के क्षेत्र में नही आती

हैँ। महीने में दो–तीन बार तो मुख्यमंत्री जी वहां पर ग्रीवैंसिज कमेटी में आते रहते हैं और आप उनके साथ ही रहते हो। स्पीकर साहब अगर आप मुझे अलग से 15 मिनट दे दें तो मैं आपको बताऊंगा की जींद में सड्कों की क्या हालत है। (शोर एवं व्यवधान) मायना जी आप जो मार्किटिंग बोर्ड की बात कर रहे हो तो आप यह बता दें कि मेरे हल्के में मार्किटिंग बोर्ड ने कितनी सड़कें बनाई हैं।

श्री बलवन्त सिंह मायनाः आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन –कौन सी सड़के बनवाई हैं।

श्री मांगेराम गुप्ताः आप यह बताए कि मार्किटिंग बोर्ड ने जींद हल्के में क्या कोई सड़क बनवाई है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह मायनाः कंडेला में जो सड़क बन रही है वह मार्किटिंग बोर्ड ही बना रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आपका समय समाप्त हो गया है आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी, धूल में लह मारने से कोई फायदा नही है। आपकी बात खत्म हो गई है, आपके पास मसाला खत्म हो गया है। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हम डिसिप्लन में रहे हैं। आपने कहा तो मैं बोलने लग गया और आर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाउंगा। (शोर एवं व्यवधान) ये इस तरह से मेरा समय

खराब कर रहे हैं। मैंने तो अभी और बोलना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चलो ठीक है आप पांच मिनट और बोल लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगेराम गुप्ताः स्पीकर सर, आप इन सें कहें कि मेरा समय यों खराब न करें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री को ग्रह कहना चाहता हूं कि यह आकडों की बजट की किताब इन्होंने छाप दी है। ये 12, 13 और 14 तीनों तारीखों का ध्यान जरूर रख लें यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इनके हमदर्द हैं। यह पिछले साल के बजट की फोटो स्टेट कॉपी इन्होंने करवा कर सदन में रखी है इसमें कोई धांस नही है। मैं इनसे कहना चाहूगा कि चाहे तो आप और टैक्स लगा दें लेकिन इस तरह से हरियाणा का म. नहीं करो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः यह अन पार्लियांमैट्री शब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। अब कृष्ण पाल गुर्जर बोलेंगे।

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय. आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। वित्त मंत्री जी ने जो 13 तारीख को 2002 –2003 का बजट पेश किया है मैं उस पर बोलने के लिए खडा हुआ हूँ। मैंने बहुत सी बातें हरियाणा के हर वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखकर, अपने सभी साथी विधायकों की भावनाओं को ध्यान में

रखकर इस सदन के सम्मुख रखनी है। अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मुझे कितना समय बोलने के लिए मिलेगा ?

श्री अध्यक्षः आप बोलना तो शुरु करें समय तो बाद की बात है। आप बजट पर बोलिए।

श्री कृष्ण पालः बजट पर तो मैं बोलूंगा ही। आप मुझे यह बता दें कि क्या मैं अपनी पार्टी के लिए दिए गए सारे समय मे बोल जू। हमारी पार्टी को बजट पर बोलने के लित जो समय दिया गया है उस सारे समय मे मैं ही बोलना चाहूगा। मेरा निवेदन है कि मुझे बीच मे इंट्रप्ट न किया जाए क्योंकि मैं जो बाते कहा। वह सारे सदन के मतलब की बातें हैं। (विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय आपने जो टाईम डिस्ट्रीच्यूट किया हे आप चाहें तो उसको रिपीट कर दें। आप इनसे पूछ लें क्या ये अपने सभी विधायकों का बोलने का समय भी अकेले है। इस्तेमाल करेंगें या अन्धने दूसरे विधायकों को भी यह समय बोलने के लिए देंगे। ये अपनी पार्टी के लीडर हैं जैसी इनकी इच्छा हो वैसा कर लें चाहें ये खुद ही बोल लें या चाहें इनके मैम्बर्ज भी बोल ने।

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, बी०जे०पी० को बजट पर बोलने के लिए 36 मिनटस दिए गए हैं।

श्री कृष्ण पालः मैं अपने मैम्बर्ज का भी समय बोलने के लिए लेना चाहूंगा। में अपने साथियों से निवेदन करूगा कि वे मुझे इंट्रप्ट न करें। अध्यक्ष महोदय, यह बजट आकड़ों का खेल हैं। जो कल माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसने हरियाणा के हर वर्ग को निराश किया है चाहें वह किसान हो मजदूर हो. कर्मचारी हो, व्यापारी हो या उद्योगपति हो। इस बजट में जो 202. 20 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह घाटा इससे भी कही ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि 2001–2002 मे जो इन्होंने 54.93 करोड़ रुपये का घाटे का अनुमान लगाया था यह भी बढ़कर 191.70 करोड़ रुपये हो गया इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस बार भी घाटा और बढ़ने वाला है। हमें लगता है कि जब यह घाटा बढ़ेगा तो आज नहीं तो बजट के बाद इस घाटे की पूर्ति के लिए टैक्सिज लगाकर हरियाणा के हर वर्ग की फिर कमर तोडी जाएगी इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि क्या इस बजट के बाद हरियाणा के किसी भी वर्ग के ऊपर ये और कोई टैक्स लगाने का काम तो नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय हरियाणा की जनता तो पहले से ही टैक्सी की मार से पीडित है, कराह रही है इसलिए मैं इनसे आश्वासन चाहूंगा कि क्या ये बजट के बाद बिजली के दाम बढ़ाने की बात तो नही करेगे, सेल्ज टैक्स बढ़ाने की बात तो नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बजट एक दृष्टि' में जो कहा गया है उसको आप देखिए। जो 2001–2002 में पब्लिक डैट था उस पर 35.28 फीसदी, इंट्रस्ट था जबकि इस बार यह 37 फीसदी हो

गया है। (विघन) मैं उन बहुत सी चीजों के बारे में बीजा जहां गड़बड़ हुई है जहां घोटाले हुए हैं जिनसे हरियाणा का नुक्सान हुआ है और जिनसे स्टेट की एक्साइज कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह घटकर 7.84 परसैंट से 7 परसैंट आ गयी है। इसी तरह से जो अन्य टैक्सिज से रवैन्यू आता था वह पिछले साल 54. 34 परसैंट था लोकिन अब वह दो परसैंट रह गया है। इसे। तरह से ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कहना चाहूंगा। भाई अशोक अरोड़ा जी ने बड़ी अच्छी बसिज खरीदी हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है घाटा कम किया है। जब वे इतना अच्छा काम ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं तो इनका बजट बढ़ना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल ट्रांसपोर्ट का बजट 3.31 परसैंट था लेकिन इन्होंने उसको भी घटाकर तीन परसैंट कर दिया है। अभी जैसा मांगेराम गुप्ता. जी कह रहै थे कि बिजली, सिंचाई और सड़क पर 2000 –2001 में टोटल बजट का 54.5 फीसदी खर्च होता था वही 2002 –2003 में इन्होंने इसकी नीचे लीकर 52.13 फीसदी कर दिया है। इस तरह से किस तरह से किसानों की एव उद्योगपतियों की रक्षा होगी यह मैं समझ नही पा रहा हू। इसी तरह से जो इंट्रस्ट पेमेंट पर पैसा जाता था। वह पिछले साल 1382 परसैंट था इस साल बढ़कर 14 फीसदी हो गया है, लोन रीपेमेट पिछले साल 2159 था जो इस बार 25 फीसदी तक जाना है। पॉवर जो हरियाणा के किसान के लिए, मजदूर व उद्योगपति के लिए बहुत जरूरी है जिस पर पिछली बार 9.94 खर्च किया गया। उस पर 8 फीसदी रखा गया है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट रोड और बिल्डिंग्ज

जिन पर पिछले साल 8 फीसदी था वह घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। इरीगेशन जो किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है उसको भी घटाकर 5.97 से 5 परसेंट कर दिया गया है. सोशल वैल्फेयर जिसको कहते हैं कि हरियाणा सरकार दलितों और पिछडों के हित की बहुत चिंता करती है उनका बजट पिछले साल 3.38 परसैंट था उसको 3 परसैंट के लिए सरकार कोई टैक्स कहने का मतलब है कि बजट में जो घाटा बढा है उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार कोई टैक्स नही लगाएगी यह बात जवाब देते समय बताएं। अध्यक्ष महोदय, कुछ विषय हैं रजो बजट से संबंधित हैं जिनसे हरियाणा का बजट प्रभावित होता है जिनसे हरियाणा के राजस्व को नुकसान होता है। मैं किसानो के बारे में कहना चाहूंगा। आज हरियाणा का किसान जो धरती को चीरकर करोड़ो लोगो के पेट की आग को बुझाता है उसकी क्या दशा है? मैं इसके बीच मे यह भी कहना चाहूंगा कि उसकी यह दशा क्यो हुई? जब हम पढ़ा करते थे तब की पंक्तिया मुझे याद आ रही हैं Rome was burning and Nero was fiddling. अर्थात् राम जल रहा था नीरो अपनी बांसुरी बजा रहा था। जब हर वर्ग जल रहा था महंगाई की मार से जल रहा था तब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार और अमले को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में मस्त थे। (शोर एवं व्यवधान) तो मै कहना चाहूगा कि हम किसान कै। बात करते हैं। लेकिन किसान का आज क्या हाल है? बड़े दावे किए गये गवर्नरज ऐड्रस पर बोलते हुए कि किसान के लिए ज्यादा गन्ने का पेसा दिया हैं, किसान की हमने पूरी गेहू खरीदी है तो में

कहना चाहता हूं कि हरियाणा के किसान पर कौन सा अहसान किया है इन्होंने। पूरे देश में किसान को जिस रेट पर बिजली मिलती है उससे मंहगे रेट पर हरियाणा के किसान को बिजली मिल रही है पंजाब में फ्री बिजली मिलती है, यू०पी० में 50 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर के हिसाब से मिलती हुँ और पहले हरियाणा के किसान को जो बिजली छह रुपये प्रति हॉर्स पॉवर के रेट से मिलती थी, जिसे 1 जनवरी, 2001 से बढ़ाकर 104 रुपये प्रति हॉर्स पावर कर दिया गया है। इसी तरह किसान के लिए नहरी पानी का रेट गेहूं के लिए 30 रुपये एकड़ था और गन्ने के लिए पानी का रेट 40 रुपये प्रति एकड़ था उसे क्रमश 30 से बढ़ाकर 60 और 40 से बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, यह रेट बंसी लाल की सरकार के समय में बढ़ा था, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं इस बेचारे को उसी समय की बात याद है।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनको रिप्लाई देने का मौका मिलेगा तब मेरी बात का जवाब दे दें। मेरी कोई गलत बात है तो उसके बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप गलत बात कहते ही क्यों हैं?

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि किसान को गन्ने का रेट और किसान की पेमेन्ट समय पर नहीं मिलेगी तो उसको मैं ब्याज समेत वापस करवाऊगा लेकिन आज ब्याज की बात तो छोड़ो मूल ही नही मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हू कि जो किसानों को लेट पेमेंट आपने दी है आज तक उसको उसपर कितना बैंक ब्याज मिला है। आज भी किसान छला गया है, हरियाणा के व्यापारी 'छले गये हैं और हरियाणा के उद्योगपति छले गये हैं। मैं एक बात और यहां कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय फेर अभिभाषण पर जब टयूबवैल्ज कनैक्शज के बारे में बात हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल खड़े होकर बडे जोर शोर से कहा कि हमने तत्काल स्कीम के तहत दस हजार टयूबवैल्ज कनैक्शज दिये हैँ। स्पीकर सर, मेरी समझ में यह बात नही आई क्योकि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का पेज न० 28, यह बतला रहा है कि 1996 –97 में कुरल नलकूप 366540 थे जो 2001 –2002 में घटकर 360995 रह गयो है। जब कनैक्शज दिये गये हैं या लिये गये है। ये जो दस हजार नलकूपों के कनैक्शज दिये हैं ये दस हजार रुपये प्रति पोल के हिसाब से लेकर दिये हैं और छ हजार किसानों के नलकूपों के कनैंक्शज काट भी दिये हैं। यह किसानों की सरकार है और सरकार के आकडे यह बता रहे हैं कि कितने नलकूप कनैक्शज दिये गये हैं। नलकूपों के कनैक्शज देने की बात सरकार कह रही है वह किसानों के साथ इंसाफ नही है। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में चाहे वह

हिसार हो, फतेहाबाद हो, सिरसा हो या दूसरी जगह हो जहां पर ओलावृष्टि हुई है और जहां अमेरिकन सुण्डी से फसल नष्ट हुई है उससे किसान कराह रहा है। काश! हरिरगणा में फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार के अनुसार लागू होती तो आज किसान की बरबाद फसल की बीमा योजना से भरपाई हो जाती लेकिन हरियाणा में यह बीमा योजना लागू नहीं हुई और किसान को मुआवजा नहीं मिला। उसको फसल बीमा योजना के तहत पैसा मिल जाता तो उसकी कुछ भरपाई हो सकती थी। लेकिन वह फसल बीमा योजना लागू होना हरियाणा के किसानों के नसीब में नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशौक कुमारः अध्यक्ष महोदय. इनक साथ यमुनानगर मैं बेइंसाफी हुई है।

श्री कृष्ण पालः अगर आप यमुनानगर की बात करोगे तो मैं उत्तरप्रदेश की बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश के रिकार्ड भी यहां लाया हू। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप बजट के बारे में ही बोलें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, यहां न पंजाब का बजट है और न उत्तराचल का बजट है और न ही उत्तरप्रदेश का बजट है। इस सदन में हरियाणा प्रदेश के बजट पर चर्चा हो रही हैं। हम उत्तरांचल का जिक्र करना नही चाहते, हम उत्तरप्रदेश का जिक्र

करना नही चाहते और न ही हम पंजाब का जिक्र करना चाहते हैं इसलिए माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूगा कि वे हरियाणा प्रदेश के बारे मैं बात करें, हम हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप बजट के बारे में ही बोलें।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय. मैं यह कह रहा था कि उत्तरप्रदेश के चुनाव में इतना पैसा खर्च दुआ है अगर वह पैसा यहां पर खर्च होता तो हरियाणा की तस्वीर सुधर जाती। मुख्यमंत्री जी को बड़ी परेशानी होती है। मैं अब दारू की बात कहना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश में दारू के ठेके किस प्रकार दिए जा रहे हैं। पहले कैबिनेट में 20 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है और दारू वालो से मिलीभगत करके उस टैक्स को हटा लिया जाता है इस प्रकार करोडो रूपया का नुकासान प्रदेश का हो रहा है और इससे हरियाणा राजस्व को कितना नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमारः स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने दारू की बात की। जब ये यमुनानगर मे साईकिल पर घूमते थे तो लोगों ने इनसे पूछा था कि गुर्जर साहब क्या आपके दारू वाले पैसे सामडगे?

श्री कृष्ण पालः स्पीकर सर, मैं नहीं कह रहा हूं यह पूरे हरियाणा की जनता कह रही है कि दारू के ठेकों के लिए टैण्डर कैसे मिलीभगत से दिये जाते हैं। कैसे सेल्स टैक्स लगाकर वापस

लिये जाते हैं। ड्सके पीछे मन्शा क्या है. यह सारे प्रदेश की जनता जानती है करोडों रुपयों का लेन देन हुआ है। इसलिये अगर सदन की एक कमेटी नियुक्त कर दी जाये तो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जायेगा।

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप वाईड अप कीजिये।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, हम तो बड़े सोच समझकर इनके साथ आए थे, हमें मालूम नही था इस बारे में मुझे दो लाइने याद आ रही हैं।

हम तो बैठे थे इनके नीचे घनी छांव देखकर,

क्या मालूम था यह पेड़ गिरेगा हमीं पर।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वह भै। नहीं कर सकता जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः भजनलाल जी, पेड का किस्सा तो आपकी सरकार का आया. था कि इतना बडा पेड गिर गया कुछ हुआ नहीं। इन्दिरा गांधी जी कें मर्डर के बाद पेड का जिक्र हुआ और आजकल आपकी मिली भगत में इन सबको पेडू याद आ रहा है।

चौ० भजन लालः हमारी इनसे कोई मिलीभगत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ये कह रहे थे कि पेडू का जिक्र माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था कि इतना बडा पेड़ गिरा है 1 इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के मर्डर के बाद पेडू का जिक्र किया गया इसी तरह ये पेड का जिक्र कर रहे हैं. इसलिए कह रहे हैं कि क्या बात है क्या दोनों मिल रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः हुड्डा साहब, आपको तो पता है कि भजनलाल तो इनके साथ मिले हुए थे, क्या आप भी मिले हुए थे। (शोर एवं व्यवधान) ये तो क्लीयर था, चुनाव में जाहिर था लेकिन आप तो बंसीलाल के साथ थे इनके साथ तो कभी थे नही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, मेरे से माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नाराज हैं यह बात मैं आज तक नही जान पाया। शायद वे इसलिए नाराज हैं कि मैं इनकी जनविरोधी नीतियो का समर्थन करूं यह नामुमकिन है। मैं हरियाणा की जनता के साथ दगा करूं यह भी नामुमकिन है। इनके इनकी मसीहा कहें यह तो मुमकिन है लेकिन मैं इनको मसीहा कहू यह नामुमकिन हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप 2 मिनट में वाईड अप करें।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ कहने को है। (शोर एव व्यवधान)

चौ० भजन लालः अध्यक्ष महोदय. कृष्णपाल जी को हमारे समय में से 15 मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः भजनलाल जी, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः भजनलाल जी, आपका टाइम होता तो ये इधर क्यों बैठते। आपका टाल तो खत्म हो गया है।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा की जनता के साथ, सारे सदन के साथ यहां भ्रष्टाचार का इतना मसाला लेकर आया है और भ्रष्टाचार की जीती जागती तस्वीर लेकर आया हृ जिसे सारा सदन और पूरे हरियाणा के लोग सुनेंगे। चौधरी देवीलाल जी केह। करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस नारे की धज्जिया उड़ा दी।

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप दो मिनट में वाईड अप करें और बजट पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, ये मेरे से डरते क्यो हैं. मैं सच्चाई कहना चाहता हू और अगर मेरी बातों में कहीं गलती हो तो में सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप 2 मिनट में वाईड अप करें।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास बहुत कुछ मसाला है। मेरी बातों में अगर कर्से कूठ हो तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं खानों की बात लूं तो जिस तरह खानों को लूटा जा रहा है, एक तरफ तो ये खानों कीं ऑक्शन की बात करते हैं ओंर दूसरी तरफ फरीदाबाद में धौल और गुडगांव में नाथुपुर की खानों की लीज दी जाती है। फिर ये ट्रासपेरैंसी की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ आमान है और दूसरी तरफ सिरसा और भिवानी के लोगों को लीज देने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड लेकर आया हू खानों में 300 रुपए लोडिंग के नाम पर साढ़े 22 लाख रुपये 'रोज कौन से खजाने में रजा रहा है, कौन रो विभाग में जा रहा हे इस पर किसी के साइन नही हैं। यह मैं मुख्यमंत्री महोदय से, जानना चाहता हू।

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी. आप एक मिनट में वाइंड अप करें।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे वाइंड अप करने के लिए न कहें, मैं सारे सबूत लेकर आया हू। अज्ज महोदय. इसी तरह क्रशैर जोन के नाम पर खानों को लूटा जा रहा है इसके लिए पहले एन०ओ०सी० चाहिए और एन०ओ०सी०

जब मिलता है जब उसके पास मलकियत हो या उसके पास 99 साला पट्टा हो लेकिन आज खान माफिया को उल्लावांस मै क्रशैर जोन बनाने के लिए दिया जा रहा है जिससे भारी लेन–देन द्या है ऐसा लोग कहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी वाईड अप करें।

श्री कृष्ण पाल: ....

श्री अध्यक्ष: कृष्णपाल जी, अब जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002 – 2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्तमंत्री (प्रो० सम्पत सिह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृष्णपाल जी से स्पष्टीकरण चाहूगा कि ये बजट के समर्थन में बोल रहे हैं या विरोध में बोल रहे हैं। ये भाजपा विधायक दल के नेता हैं, चाहे ये आलोचना करे या सुझाव दें, यह

इनका अधिकार है लेकिन कैटेगरीकली ये बजट का विरोध कर रहे हैं या बजट का समर्थन कर रहे हैं, कृपा यह भी बतायें।

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं अत मे बताऊंगा कि मैं बजट के पक्ष में हू या नही। (विघन)

श्री अध्यक्ष: कृष्ण पाल जी, आप एक मिनट में वाईड अप करें। आपका समय समाप्त हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बहुत कुछ कहना है, एक मिनट में मेरी बात पूरी नही होगी। (विघन) माननीय धीरपाल जी बहुत हो काबिल मंत्री हैं लेकिन इनका मालूम नहीं कि इनके विभाग में क्या होता है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि गुड़गांव में उद्योग विहार में प्लाट नं० 249जी, जो 5000 गज का है उसको प्लाट न० 448 से 451 के साथ एक्सचेज किया गया और यह प्लाट एक जन सेवा ट्रस्ट जो जन निर्देश अखबार निकालती है उस का है। जिसके एक प्लाट की मार्किट वैल्यु 20 लाख रुपये हैं और इसको उस प्लाट के साथ बदल दिया जिसकी मार्किट वैल्यू साढ़े सात करोड रुपये है। इस तरह से .... (विघन)

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णपाल जी ड्रामा कर रहे हैं इस बारे में इन्होंने जो भी जानकारी मेरे विभाग से ली, चाहे फरीदाबाद के

बारे में चाहे गुड़गांव के बारे में वह इन्होंने लिखित में मांगी और इन्हें लिखित में दी गई थी। ये यहां ड्रामा करके केवल हाउस को गुमराह कर रहे हैं। इनकी कोई भी बात सत्य नहीं है।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं यदि इसमें कुछ गलत बात हो तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इस तरह सं डी०एल०एफ० यूनिवर्सल को इन्होंने चेंज ऑफ लैंड यूज किया है और कानून को ताक पर रखकर एक्सचेंज किया है। (विघन)

श्री अध्यक्ष कृष्णपाल जी, आप बजट पर बोले।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा करने से 100 करोड रुपये का नुकसान हुआ है। श्री अध्यक्ष कृष्णपाल जी आप बजट पर बोले।

श्री धीरपाल सिहः अध्यक्ष महोदय, कृष्णपाल जी ने कहा कि गुड़गाव मे ये हुआ वो हुआ, मैं इनको कल फाइल लाकर दिखा दूंगा कि वहां कुछ भी गलत नही किया गया है। वहां पर जो कुछ भी हुआ है वह हुडा के जो नार्म्ज बने हुए हैं उन्ही के मुताबिक हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय.. कही भी लैंड गैर कानूनी तरीके से नही दी गई। (शोर एव व्यवधान)

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इसका बानगी पेश कर रहा हू इन्होंने 18–7–2000 को डी०एल०एफ० यूनिवर्सल जो रिहायशी सैक्टर–30 मे है वहां पर एक कामर्शियल

चेज किया है और इससे हरियाणा सरकार को 100 करोड रुपये का नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, आप बजट पर बोलें।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, 18—7—2002 को डी०टी०पी० ने एक फाईल सी०टी०पी० को भेजी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि चाहे कोई सदस्य गवर्नर एड्रेस पर बोले चाहे बजट पर बोले। लेकिन वह अपना विधन तो बताये कि वह पक्ष मे योग रहा है या विपक्ष मे बोल रहा है। कृष्णपाल जी भी तो बताये कि ये बजट के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं। पहले इनको पक्ष या विपक्ष वलि! बात क्लीयर करनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, आप बजट का विरोध कर रहे हैं या पक्ष में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय जैसा कि सदन मे हमेशा होता रहा है कि अत में बताया जाता है कि कोई सदस्य बजट के पक्ष में बोल रहा है या विरोध में इसी तरह मैं भी अंत में इस बारे में बता दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजेः ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2002 – 2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह)ः अध्यक्ष महोदय, शुरुआत मे भी बताते हैं कि पक्ष में बोल रहा हूं या विपक्ष में और अन्त में भी बताते हैं।

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, पहले आप यह बतायें कि सरकार ने जो बजट पो किया है आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में। (शोर एव व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिहः स्पीकर साहब, इससे इनके अल्टीरियर मोटीव का पता लगता है। इससे इनकी मिलीभगत का पता लगता है। इससे इनके दिन औंर रात जो कांग्रेस पार्टी के साथ मीटिंग करते हैं उसका पता लगता है। (शोर एवं विष्य) इससे यह पता लगता है, इनके खर होने पता व्यक्त है खि इन लोगों के साथ ये मिलीभगत कर रहे हैं। इसलिए स्पष्ट बताए कि पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में बोल रहे हैं। (शोर एव दिव्य)

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, आप एक मिनट में वाईन्ड अप करें। (शोर एव विघन) कृष्णपाल जी आप जल्दी खत्म करें।

चौ० भजन लालः स्पीकर साहब, इनको बोलने तो दें। (शोर पदं विघन)

श्री अध्यक्षः पहले आप बताएं तो सही कि आप विरोध में बोल रहे हैं या पक्ष मे बोल रहे हैं। (शोर एवं विघन)

श्री कृष्णपालः स्पीकर साहब, मैं जो बोल रहा हूं उससे ये खुद पता लगा लें कि मैं विरोध में बोल रहा हूं या पक्ष में बोल रहा हूं। (शोर एवं विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये इस बजट का समर्थन करते हैं या नहीं, यह बताएं। (शोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी आप बजट का समर्थन कर रहे हो या विरोध कर रहे हो। (शोर एवं विघन) आप चेयर की तरफ सम्बोधन करके बात करें। (शोर एवं विघन) आप जल्दी अपनी बात खत्म करें। (शोर एवं विघन)

श्री कृष्ण पालः स्पीकर साहब आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो वैसे ही आप कह दें कि मै बैठ जाऊं (शोर एवं विघन) स्पीकर साहब' मैं अपनी बात यहां पर नहीं कहूंगा तो कहां पर कहूंगा। (शोर एवं विघन) मैं यहां पर लोगों की बात कहूंगा। यहां पर जो टैक्सों की चोरी हो रही है उसकी बात कहूंगा। यहां

पर लोगों का जो दोहन हो रहा है उसकी बात करना चाहता हू। (शोर एवं विघन) हरियाणा जल रहा है उसकी बात कहूंगा। (शौर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः नहीं नहीं, कुष्णपाल जी आप बजट पर नहीं बोल रहे। (शोर एवं विघन)

श्री कृष्णपालः स्पीकर साहब मुझे आप इस सरकार की कार्यकुशलता तो बताने दीजिए। (शोर एवं विघन) सरकार की नीतियों की ही तो बात कर रहा हूं। (शोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः आप क्लीयर करें कि आप बजट का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। (शोर एवं विघन)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इनसे आप यह नही पूछ सकते। (शोर एवं विघन) **प्रो० सम्पत सिंहः** पूछ सकते हैं। (शोर एवं विघन)

श्री कृष्णपालः स्पीकर साहब, 18 –7 –2000 को डी० एल० एफ० और यूनिवर्सल के लिए जो जमीन की चेंज की है, उस बारे मे मैं बताना चाहूगा। वहां पर डी० टी० पी० ने एक स्कीम पास करके सी० टी० पी० को भेजी हें। (शोर एव विघन)

श्री अध्यक्षः आप किस चीज पर बोल रहे हैं. आप बजट के पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में बोल रहे हैं आप यह क्लीयर कर दे। (शोर एव विघन)

श्री कृष्णपालः स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हू कि डी०एल०एफ० व यूनिवर्सल के लिए डी०टी०पी० ने एक स्कीम 18 –7 –2000 को पास करके सी०टी०पी० को भेजी और उसी की डी०टी०पी० ने यह स्कीम पास करके डायरेक्टर को भेज दी और डायरेक्टर ने कमिशनर को भेजी दी और उसने मिनिस्टर को और मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को भेज दी। (शोर एवं विघन) ऐसी कार्यकुशलता की एक ही दिन में फाईल निकल गई है। यह कार्यकुशलता सरकार की एक मिसाल है। (शोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः आप बजट के पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध मे बोल रहे हैं यह तो बताएं। (शोर एवं विघन) यहां पर जनरल सभा की बात नहीं है। (शोर एवं विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः आप पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में बोल रहे हैं। (शोर एव विघन) **चौ० भजन लालः** स्पीकर साहब, आप इनको बोलने तो दे। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी आपको कहां से हमदर्दी आ गई। (शोर एवं विघ्न) मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी को जो विपक्ष के नेता हैं को बताना चाहता हूं कि कायदे के मुताबिक कोई भी सभा का सदस्य जब बोलेगा तो निश्चित रुप से चाहे वह गवर्नर एड्रैस हो चाहे बजट हो गा और कोई मद हो, जब वह बोलेगा तो यह बताना पड़ता है कि वह उस का विरोध

कर रहा है या समर्थन कर रहा है। (शोर एवं विघन) यह तो कायदे की बात है कि उसे इस बारे में क्लीयर करना होता है। आपकी मिलीभगत तो वैसे ही पता है। इसको खुली करके क्यों जाहिर करते हो। (शोर एवं विघन)

चौधरी भजन लालः आप इनकी बात तो सुनें। (शोर एव विघन) इनको बोलने तो दें। ....

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी आप बैठ जाये। भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं विघन) कृष्णपाल जी, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें।

श्री कृष्ण पालः स्पीकर साहब, मुझे अपनी बात तो कहने दें। (शोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप अपनी बात खत्म करें सदन का समय 140 तक है। आप अपनी बात जल्दी खत्म करें। (शोर एवं विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः आप बताए तो सही कि आप पक्ष में बोल रहे हैं गा विरोध में बोल रहे हैं। (शोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, आपका एक मिनट का समय बकाया है। आप क्लीयर करे कि आप बजट के पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में बोल रहे हैं। (शोर एवं बिह्न)

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय. यहां पर बजट पेश हुआ है। सारे हरियाणा की जनता यहां पर बैठी हुई है। (शोर एवं विघन) मैं बोलने के बाद क्लीयर करूंगा कि मैं पक्ष में बोल रहा हूं या विरोध में बोल रहा हूं। (शोर एवं विघ्न)

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो सदन का समय रु मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है सदन का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। (शोर एवं विघन) आप क्लीयर करें कि आप बजट के पक्ष में बोल रहे हो या विपक्ष में?

श्री कृष्ण पालः मैं अन्त में बिलकुल क्लीयर करूगा। (शोर एवं विघ्न)

वर्ष 2002 – 2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप अपनी बात समाप्त करें। (विघन एवं शोर) आपका समय समाप्त होने जा रहा है। (विघ्य एवं शोर) मैं आपसे फिर यह बात पूछ रहा हूं कि आप जल्दी से यह बात बताएं कि आप बजट के पक्ष में बोल रहे हैं या नहीं। (विघन एवं शोर) कृष्णपाल जी, आपका समय खत्म होने जा

रहा है (विघन एवं शोर) पहले आप यह बात क्लीयर करें कि आप बजट का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। (विघन एवं शोर)

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): स्पीकर सर, यह बार–बार उधर देखते हैं, कभी प्रैस गैलरी की तरफ देखते हैं और कभी उधर देखते हैं यह कोई तमाशा नही है यह इस बात को क्लीयर नही कर रहे हैं (विघन एव शोर) इनको यह तो बताना ही पड़ेगा कि यह बजट के पक्ष में हैं या विपक्ष मैं हैं। (विघन एवं शोर)

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह): कृष्णपाल जी, आपसे जो सवाल किया जा रहा है, आप उसका जवाब दें। आप चाहे कोई भी बात कहें लेकिन इतना जरूर बताएं कि आप बजट का समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं। (विघन एवं शोर) स्पीकर सर विपक्ष के बैंचिज की पोल तो खुले तथा विघन के षडयन्त्र का पता तो चले। इनकी बात से खै। यह पता चलेगा कि ये लोग क्या षडयन्त्र रच रहे हैं। (विघन एवं शोर) अध्यक्ष महोदय इनकी रात की मिटिंगों का रात के डिनर का इनकी चाय का भी पता चले कि उसमें क्या हो रहा है, (विघन एवं शोर) यह क्या तमाशा हो रहा है यह तो पता लगे। यह बात क्लीयर तो हो कि ये क्या कर रहे हैं? (विघन एवं शोर)

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (विघ्न एव शोर)

श्री अध्यक्षः राम किशन जी, आप अपनी सीट पर बैठे (विघन एवं शोर) फौजी साहब, आप बैठ जाईये। (विघन एवं शोर) कृष्णपाल जी, आप अपनी बता क्लीयर करे। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने आपसे सवाल पूछा दै, आप उसके सवाल का जवाब दे। (विष्य एव शोर) पहले आप जवाब दें और फिर उनके बाद आप बजट पर बोलें। (विघ्न एवं शोर)

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय. मैं इनकी बात का जवाब भी दूगा। (विघन एव शोर) सम्पत सिंह जी, मैं आपकी बात का तो पूरा जवाब दूगा लेकिन थोडी देर बाद जवाब दूगा (विघन एव शोर)

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, आपके मन में जो भी बात दै आप क्लीयर करें। (दिव्य एवं शोर) आप जो चाहें कहें यह आपकी मर्जी है लेकिन आपको अपनी बात क्लीयर करनी पडेगी either this way or that way.

श्री कृष्णपालः स्पीकर सर, मैं पूरा जवाब दूंगा जो पूछा गया है उसको क्लीयर करुंगा उसके बाद ही जाऊंगा (विघन एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने से एक भूचाल आ जाएगा। (विघन एव शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः कोई भूचाल नही आएगा आप जो कहना चाहते हैं वह कहें। (विघन एव शोर)

एक आवाजः यह सरकार तो हिल रही है। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, ऐसी कोई बात नहीं हैं सरकार बिलकुल ठीक है और कोई चिन्ता की बात नही है (विघन एवं शोर) स्पीकर सर, एक–एक बात का ठीक कर जवाब देंगे भूचाल वाली कोई बात नही है। वे सारे सदस्य जो बजट पर बोले हैं वे बोलने के बाद सुनने की हिम्मत भी रखें। स्पीकर सर, उनकी एक–एक बात का जवाब देंगे, ये लोग गर्वनर एड्रैस की तरह से चले नही जाए (विघन एवं शोर) जो लोग बोले हैं वो बैठे और जो जवाब देगे वह भी बैठ कर सुनें। हमारे पास इनकी हर बात का जवाब है। हम हर बात का जवाब देंगे सिर्फ जवाब सुनने के लिए बैठें (विघ्न एवं शोर) आप भी चले गए थे आप भी सुनना। तीन दिन आपके पास हैं, आप चाहे जितना बोलें। आप लोग अपनी बैंचों पर बैठ कर जवाब भी सुनना। (विघन एवं शोर)

श्री कृष्णपालः स्पीकर सर, मैं बजट पर बोल रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, आप 35 मिनट बोल चुके हैं आप एक मिनट में पार्लियामैंट्री अफेयरज मिनिस्टर की बात का जवाब दें कि आप बजट के पक्ष मे बोलेगे या विरोध में बोलेंगे, आप यह बात क्लीयर करे। (विघन एवं शोर) आप एक बज कर

दस मिनट पर बोलने के लिए खडे हुए थे आप अपनी बात क्लीयर करें।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब भी दूंगा, अभी मैं बोल रहा हूं और अपनी बात कहूंगा। (दिव्य एवं शोर)

श्री अध्यक्षः अभी आपका समय समाप्त हो जाएगा। आप 35 मिनट बोल चुके हैं लेकिन फिर भी आप क्लीयर नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। (विघन एवं शोर)

श्री कृष्ण पालः स्पीकर सर, आप मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दें। मैं अपनी सारी बात क्लीयर किये बगैर नहीं जाऊंगा। (विघन एवं शोर)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जो।

श्री अध्यक्षः ठीक है सदन का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002 – 2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल गुर्जर जी जैसा कि आपसे पार्लियामैटेरियन मंत्री जी ने पूछा है कि आप यह क्लीयर करें कि

आप बजट के पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में बोल रहे हैं। (शोर एव व्यवधान) कृष्ण पाल गुर्जर जी, आपका समय समाप्त हो गया है। आपको बोलते हुए 35 मिनट हो गए हैं और आपको बोलते हुए काफी समय हो गया हे इसलिए आप अब वाईड– अप करे।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय. मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो रहे हैं। (शोर एवं बावधान)

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, कृष्ण पाल जी काफी देर से हाउस मे बोल रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं. यह इनके बस की बात नही है। अध्यक्ष महोदय, जब किसी भी आदमी को कोई बीमारी होती है और जब तक उस बीमारी का इलाज न हो तब तक वह आदमी ठीक नही होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इल्लियास जी के पास गुर्जर जी को लगाने वाला सही इंजैक्शन है और आप उस इजैक्शन को लगाने की इजाजत दे– दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल गुर्जर जी, आपका समय समाप्त हो गया है। आपको बोलते हुए 35 मिनट हो गए हैं और आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप अब वार्डड–अप करें। (शोर एवं व्यवधान) कृष्ण पाल गुर्जर जी, आपका समय समाप्त हो गया है। आपको बोलते हुए 35 मिनट हो गए हैं और आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप अब वाईड–अप करे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० लीला कृष्ण: अध्यक्ष महोदय,

''हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम

और वे कत्ल भी कर दें तो चर्चा भी नहीं होती। ''

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि यह बजट पर चर्चा हो रही है या जीरो आवर चल रहा है। ये जो कुछ भी चाह रहें हैं चाहे वह सच हो या झूठ हो सदन में बोल रहे हैं (शोर एवं व्यवधान) ये किसपर बोल रहे हैं आप इस बारे में अपनी रूलिंग दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णपाल: जिन चीजों से हरियाणा का बजट प्रभावित हो, जिन चीजों से हरियाणा के राजस्व का नुकसान होता है वह बजट नहीं है तो क्या है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से' भागी राम जी को कहना चाहूंगा कि भागी राम जी, इल्लियास का इंजैक्शन तो मैं झेल जाऊगा लेकिन मेरा .... नही झेल पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इनकी यह बात रिकार्ड नही की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ० मोहम्मद इल्लियास): अध्यक्ष महोदय, अगर कृष्ण पाल जी मेरा इंजैक्शन झेल जाएं तो मैं सदन से अपना इस्तीफा दे दूगा। (शोर एवं व्यवधान) यह तो स्वास्थ्य

मंत्री जी श्री रंगा जी का इंजैक्शन नही खेल पाएगा तो पशुपालन मंत्री का इंजैक्शन क्या झेलेगा।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूगा कि जो भैंस दूध नहीं देती छद्य उसको इजैक्शन लगाकर दूध निकलवा लेती है, मैं उस बिरादरी मे सम्बन्ध रखता हूं। (शोर एवं व्यवधान) इल्लियास जी, हम तो उन भैंसों से भी दूध निकलवा लेते है जो दूध नहीं देती है, आप तौ क्या हो। (शोर एव व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने ला वजह से मुख्यमंत्री जी बहुत ही नाराज हो रहे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश की हार का नजला मेरे से निकाल रहे हैं, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। (शोर एनं धावमान)

श्री अध्यक्षः आप उत्तरप्रदेश की बात न करते हुए बजट पर बोलें। (शोर एव व्यवधान) **श्री कृष्णपालः** अध्यक्ष महोदय, अब यमुनानगर में जो हुआ है और जो लोगों ने फैसला दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल जी, आप एक मिनट में वाईंड–अप करें। (शोर एवं व्यवधान) **श्री कृष्णपालः** अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी का इतिहास रहा है कि ये एक बार जिस प्रदेश मे जाते हैं फिर लौटकर उस प्रदेश में नही देखते हैं। राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली में तो जा आए अब पंजाब में जाएगे क्या? (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय. ये इस तरह की बातें करके सदन का बहुमूल्य समय बिना वजह से नष्ट कर रहे हैं। ये तो इस समय बातों का मजा ले रहे हैं। आप तो हुनसे यह पूछ रहे हैं कि ये बजट के पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में। हम तो इनसे यह पूछेंगे कि कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ा रहे हो या इडिपैंडेंट लड़ा रहे हो? फिर ये क्या जवाब देंगे? (शोर एव व्यवधान) आपका दिवाला तो पीट गया है क्या इनका भी पिटवाओगे? आप पहले बंसी लाल के साथ रल गए और उनका सत्यानाश कर दिया था अब क्या इनका करने जा रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बवाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए और बढा दिया जाये।

आवाजें ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाता है।

वर्ष 2002 – 2003के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो न बंसीलाल जीं का सत्यानाश किया न आपका सत्यानाश किया और न इनका

सत्यानाश किया लेकिन ये जरूर इनका सत्यानाश कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुजर साहब, अब आप एक मिनट में वाईड–अप करें। आप यह भी क्लीयर करें कि जो पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने कहा हैं कि आप बजट के विरोध में बोल रहे हैं या पक्ष मे।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय, इस तरह के मैं कितने ही केस आपको बता सकता हूं। इसी प्रकार से पंचकूला में दैवीनगर की साढ़े तीन एकड़ जमीन एक्यायर करके डिवैल्प की गयी लेकिन उसको फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया।

श्री अध्यक्षः गुर्जर साहब आप केवल बजट पर ही बोलें।

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय. इसका मतलब है? अध्यक्ष महोदय, इससे 19 करोड़ रुपये का हरियाणा को राजस्व का नुक्सान हुआ हैं। यह बजट नही तो क्या है? साढ़े तीन एकड जमीन एक्वायर करके डिवैल्प करके वापस कर दी गयी। इसी तरह से गुड़गाव मैं सैक्टर 28 –सी, 28 –डी डी०एल०एफ० फेज–111 में भी ऐसा ही किया गया। (विघन) मैंने कोई पैसा दारू में नहीं लिया। इसी तरह से गुड़गाव मे 2.38 एकड़ जमीन सैक्टर 42 मे खसरा नं० 532/1/1,533/ 1/1, 534/1/1 गांव चकरपूर मे जमीन को छोड दिया गया।

श्री अध्यक्षः गुर्जर साहब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री कृष्णपालः स्पीकर साहब, मैं सारी बातें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप केवल बजट पर ही बोलें। आप बजट पर णौ भी बाते विरोध मे या पक्ष में हो, बजट पर ही बोलें।

श्री कृष्णपालः स्पीकर साहब. हमारी तरफ से अब कोई मैम्बर नहीं बोलेंगा क्योकि सबकी तरफ से मैं ही बजट पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आपको भा बोलत हुए 38 मिनटस से ज्यादा है। आपने अपनी पार्टी का टाईम पहले ही ले लिया है। आप 110 पर बोलने के लिए खडे हुए थे। (विघन)

श्री कृष्णपालः अध्यक्ष महोदय. इसी तरह से मानसेर में 1500 एकड जमीन एच०एस०आई०डी०सी० की एवं राई में 560 एकड़ जमीन एच०एस०आई०डी०सी० की है जिसका 1500 रुपये रेट रखा है. लेकिन वह जमीन उद्योगपतियों को चार सौ रुपये प्रति गज से ऊपर लेकर दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय. यह बात लोग कह रहे हैं, उद्योगपति कह रहे हैं। इससे 399 करोड़ रुपये का घाटा हरियाणा सरकार को हो रहा है। यह हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्षः साहब अब आप वाईंड–अप करें।

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002 – 2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट उसॅफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इनकी बात मेरी समझ से बाहर है। कोई भी चुनी हुई सरकार हो उसको रोजाना निर्णय लेने होते हैं जो भाई गुर्जर साहब कह रहे हैं इसका मतलब तो यह होगा कि सरकार कोई काम कर ही नहीं सकती हे। में आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार जमीन एक्वायर करती है उसको डिवैल्प भी करती है और जब हर बिरादरी की धर्मशालाए बनती हैं, कम्यूनिटी सैंटर्ज बनते हैं, स्कूल कालेज बनते हैं तो सरकार उनको जमीन देती है। आर ऊंची नीची जमीन होती है तो उसको इकसार करते हैं। इसके बाद अगर यह कहा जाए कि साहब यह कर दिया वह कर दिया तो यह बात मेरी समझ में नही आती। (विघन) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता

हूं कि इसका मतलब तो यह है कि कोई काम हो ही नही, इसका मतलब यह है कि हरियाणा का कोई भी आधिकारी, कोई भी मंत्री किसी भी कागज पर दस्तख्त नही करेगा। (विघन) श्री उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलोत) अध्यक्ष जी, अभी हमारे विधायक बार–बार गुड़गांव की चर्चा कर रहे थे। गुड़गांव के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि वह मेरी कांस्टीच्यूएंसी है। माननीय गुर्जर साहब से मैं कहना चाहूंगा कि तीनों सरकारों के समय में जितने सी०एल०यू० हुए हैं उन सबको वे सामने रख लें और चौम्बर में बैठ कर यह देख लें कि गुड़गांव के अदर कितने सी०एल०यू० चौधरी साहब के टाईम में हुए हैं और कितने उस सरकार के समय में हुए जिसमे आप मंत्री थे। जहां तक खानों की बात हें वह भी बड़ी स्पष्ट है। यहां पर जौन की बात चली थी। यहां पर चौधरी भजनलाल जी भी बैठे हैं, विधायक भी बैठे हैं और मंत्री भी बैठे हैं मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये बताएं कि रायसीना के अंदर क्या हुआ था? इनको शायद कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। अध्यक्ष जी, खराज भी मैं दावे से इस हाउस के अदर कहता हू कि मैं रामवीर जी और गुड़गांव जिले के जो विधायक यहा पर बैठे हैं, अगर कोई भी एक आदमी एक इंच भी जमीन के बारे में हमारे सामने बता दे तब बात है। अध्यक्ष जी मैं आज भी बता सकता हूं कि किस किसके पास कितने –कितने एकड़ खाने हैं। ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं। इनको शायद अपना पुराना टाईम याद आ गया। मैं इनको बताना चाहा। कि इन लोगों ने तो शमशान तक की जमीन हमारे यहां पर नही छोडी थी। चौधरी भजनलाल

जी, मैं आपको आज भी इस बारे में गिना सकता हूं। अगर किसान की जमीन कोई बनी हुई जगह पर छोड़ी है तो वह कोई अन्याय नही किया है। अगर ऐसा है तो स्पीकर साहब के चौम्बर मैं बैठ जाएं या मुख्यमंत्री जी के पास बैठ जाए और गुडगांव का तीनों सरकारों के समय का लेखा जोखा रख लें सारी पिक्चर क्लीयर हो जाएगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात कह दी मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। भजनलाल ने कोई गलत काम नहीं किया। इनके कहने से क्या होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री गोपी चन्द गहलोतः मैंने आपका नाम पर्टिकुलरली नहीं कहा है मैंने कहा है कि तीनों सरकारों के समय का लेखा जोखा रखवा लो। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय...............................

श्री अध्यक्षः भजन लाल जो की कोई बात रिकार्ड न की जाए। ये बिना परमीशन के बोल रहे हैं।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है वह ठीक है मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए तीनों सरकारों के समय में जो हुआ है। ....

श्री अध्यक्षः श्री कृष्ण पाल गुर्जर की यह बात रिकार्ड न की जाए। गुर्जर साहब, आप बजट पर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग की क्या हालत है। अध्यक्ष महोदय. ये कह रहे हैं कि हरियाणा मे नये उद्योग आ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं लेकिन इनका आर्थिक सर्वेक्षण रिकार्ड इस बारे में क्या कहता है। संपत सिंह जो आप जरा इसे देखना। इसमें कहते हैं कि 1996 –97 मे जो उद्योगो के बिजली उपभोक्ता थे उनकी संख्या 77422 थी और 2001–2002 मैं 67478 रह गई यानी कि 10 हजार कम हो गई। मैं पिछले पांच साल की फिगर्ज बता रहा हू यदि मैं एक साल की फिगर बताऊं तो 2000 –2001 में उद्योगों के बिजली उपभोक्ता 70710 थे जो 2001 –2002 में घटकर 67478 रह गए। इस प्रकार पिछले एक साल में भी 2232 औद्योगिक बिजली उपभोक्ता कम हुए हैं। ये तस्वीर बताती है कि हरियाणा से उद्योग बंद हो रहे हैं। यह एक हकीकत है यह आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कह रही है। इसकी ऐसी हालत क्यों हुई। बहुत चीजें इसलिए हुई कि उद्योगों का दोहन हो रहा शै. उद्योगों की बिजली मंहगी की गई है इसके अलावा 70 हॉर्स पॉवर का, 50 हॉर्स पावर ट्रांसफार्मर लाने की बात की गई दै। 4 परसैंट लोकल एरिया डिवैलपमैंट टैक्स लगाया है और जो फमि–38 लगाया हें उसकी वजह से उद्योगपति दूसरे प्रदेशों के उद्योगपतियों से मुकाबला नही कर पा रहे हैं इसलिए उद्योग बंद हो रहे हैं और उद्योग बंद होने की वजह से कर्मचारी बेरोजगार

हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं एस०सी० एस०टी० और बी०सीज का बहुत हितैषी हूं जबकि झारन पूरे हिंदूस्तान में एस०सी०, एस०टी० एवं बी०सी० के नौजवानों के लिए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजिज में रिजर्वेशन है पंजाब में भी रिजर्वेशन है लेकिन हरियाणा में नहीं है 1 हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी और टैक्नीकल ऐजूकेशन के कहने के बावजूद भी हरियाणा मैं रिजर्वेशन नहीं है। जिसकी बावजूद से पिछडे छात्र आज आक्रोष में बैठे हुए हैं, पूरे हिदुस्तान के छात्रों को रिजर्वेशन मिले और हरियाणा का छात्र उससे वंचित रहे तो यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है।

श्री अध्यक्षः आप समअप करें।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, मैं समअप कर रहा हूं अब मैं इन्फोर्मशन टैक्नोलोजी के बारे मे कहना चाहता हूं। इन्फोर्मेशन टैक्नोलौजी का बहुत प्रचार हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपका समय समाप्त होता है अब आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) **श्री कृष्ण पालः** अध्यक्ष महोदय, लेटेस्ट इन्फोर्मेशन हरियाणा में आज भी नही है। आज भी कंप्यूटर पर नहीं है। आज भी वैब साईट पर भी नहीं दी है।

श्री अध्यक्षः कृष्णपाल गुर्जर जी आप बैठ जाइये अगर बोलना है तो केवल बजट पर ही बोलिये।

श्री कृष्ण पालः हरियाणा At a Glance क्या दिखाता है 98–99 की तस्वीर दिखाता है, जिसमें 3838 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 4138 हाई स्कूल, 1792 मिडिल स्कूल और 1887 प्राईमरी स्कूल (विघन एवं शोर)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइये, नही, नही, आप पहले यह बताइये कि आप बजट के पक्ष में है या विरोध में। यह बताना है तो बतायें वरना आप का समय समापत होता है (शोर)

श्री कृष्ण पालः स्पीकर सर, सता का केन्द्रीयकरण (शोर)

श्री अध्यक्षः आपका समय समाप्त होता है Please take your seat. Hon'ble Members, now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 15th March, 2002.

14.00 hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 15th March, 2002)